

A

128

द्वयायालय तहसिलदार तहसिल नागौद जि. सतना (म. प्र.)

26  
1929/106/82

दिनांक 9/1/29

# ❖ जाति प्रमाण पत्र ❖

रा० नि० वृत्त सी हनुमन्त पटवारी हल्का भैरव

एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री कामता कृष्ण

तनय श्री भुवुवा कृष्णबाबू निवासी ग्राम भैरव

तहसील नागौद जिला सतना म० प्र० का निवासी है इनकी जाति काही एवं

उप जाति के अन्तर्गत म० प्र० शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जाति

के अन्तर्गत आते हैं



*[Signature]*  
Tahsil Dar  
Nagod, Satna (M.P.)

❖ सम्तोष फोटो कापी सम्तर, नागौद ❖

101

द्व्यांयालय तहसोलदार तहसोल नागोद जि. सतना (म. प्र.)

क्रमांक ११५२९/५६०८

दिनांक १२/५/६८

# 卐 जाति प्रमाण पत्र 卐

रा० नि० वृत्त सी इपुर पटवारी हल्का मे हई

एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री कामता प्रसाद कुशवाल

तनय श्री मुलुवा कुशवाल निवासी ग्राम मे हई

तहसील नागोद जिला सतना म० प्र० का निवासी है इनकी जाति काही एवं

जति के अन्तर्गत जो म० प्र० शासन द्वारा घोषित पिहड़ी जाति

के अन्तर्गत आते हैं।



*[Signature]*  
तहसीलदार  
तहसील नागोद जिला सतना (म. प्र.)

卐 सन्तोष फोटो कापी सप्टर, नागोद 卐



जाति प्रमाण पत्र

140

प्रमाणित किया जाता है। कि श्री कामता प्रताप  
कुशवाहा अन्तमज श्री मुलुवा कुशवाहा ग्राम मैहार्ड पंचायत  
मैहार्ड पोस्ट सिंदपुर, जिला सतना के निवासी है। जाति  
जाति के कुशवाहा है।

Handwritten signature or name in Hindi.

पंचायत प्रमुख  
श्री मुलुवा कुशवाहा  
ग्राम मैहार्ड

संभव

ग्राम - मैहार्ड,

पोस्ट - सिंदपुर, जिला - सतना

840908





कार्य

6  
51  
45

संख्या 677 दिनांक 4 29 8 2007

X-10  
XXXVI N.E.S.

संविधानसभेचे तेजगार एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश  
गोनगर कार्यालय  
वेणी सन्धा/अ.ज.जा./प्र.सं.वि.

पहचान-पत्र

(या पत्रात दिल्या जाणाऱ्या बाबी साक्षात्कार के लिये योग्य-पत्र देणे हे)

1. क्रम : 119677 दिनांक 29/06/2007 2. जन्म तिथि : 05-06-1981
3. पंजीकरण की तारीख : 15-05-2007
4. पंजीकरण की संख्या : 1352/2007
5. योग्यताएं : 3116वीं 8वीं
6. एन. सी. ओ. कोड सं. : 2/10
7. व्यवसाय : (सी)
8. पहचान का प्रमुख निशान : दाया आंख वरिष्ठ (अधिकारी के हस्ताक्षर)

21.189  
21/6/07  
म.प्र.  
2007

अगला पंजीकरण काय होना है न पंजीकरण लिपिक के हस्ताक्षर  
(महीना और वर्ष) व तारीख

05-06-2007

Affected  
Dy. Supt. of Police (Radio)  
Bhopal

03  
04

पंजीकरण

पंजीकरण

कार्यालय तहसीलदार नसरुल्लागंज, जिला- सीहोर (म.प्र.)

दिनांक 17-6-11

मूल निवासी प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी - पवन शर्मा - उद्दिष्ट

पुत्र/पुत्री/पति श्री - 22/11/21 - उद्दिष्ट

जाति - [Blank] निवासी - [Blank] तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश के है।

- 1. (क) उद्दिष्ट मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है। अथवा
- 2. (ख) उसके पालन में से कोई अथवा
- 3. (ग) उसके पालन में से कोई जीवित न हो तो उसके अभिभावक (गार्जियन) मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 95 वर्ष से रह रहा है अथवा

उसके पालन में से कोई भी :-

- (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी हो अथवा।
- (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत हो अथवा
- (ग) (घ) का बन्धु बन्धुत्व :-
- (घ) उसके मातापिता मृत्यु के बाद से कोई अथवा समस्त उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हो।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त :-

- 1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश के किसी भी शिक्षण से कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की हो अथवा
- 2. उसने मध्यप्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अथवा
- 3- यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्व विद्यालय की उपायक उपाधी निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 12 वीं कक्षा की परीक्षा
- 4. किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्व विद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा
- 3- अन्य मामलों में चौथी कक्षा की परीक्षा

प्राधिकृत अधिकारी  
तहसीलदार  
नसरुल्लागंज  
31/3

पटवारी रिपोर्ट :-

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री - [Blank] - आत्मज श्री - [Blank] - जाति - [Blank]

निवासी - [Blank] - तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर का मूल निवासी है।

Abdul  
5/12  
Dy. Supt. Police (Radio)  
Chopal

हरताक्षर पटवारी/सरपंच

# कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्या. निमोटा

तह. नसरुल्लागंज जि. सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक 3.12.03

// अनुभव प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि पवन सिंह उद्के भाटमम श्री अमरसिंह उद्के ने कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्या. निमोटा तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सीहोर [म.प्र.] में सहायक लेखा-जोखा एवं स्टोर कीपर का कार्य दैनिक वेतन पर अस्थाई रूप से दिसम्बर 2000 से जनवरी 2002 तक कार्य किया । इनको इस [संस्था] के कार्य का पूर्ण अनुभव है ।

इनका चरित्र एवं कार्य व्यवहार उत्तम है । इनके उभाविव्य की कामना करता हूँ ।

हस्ताक्षर/सील

नाम- श्रीकेश सिंह राजपूत  
अध्यक्ष

दि. 3.12.03 तह. निमोटा

A.H. 10/12  
Dy. Supdt. of Police (Radio)  
Bhopal

23/21/98

# स्थायी प्रमाण-पत्र

54

परिशिष्ट - तीन  
(नियम क्र. 8 (1) देखें)

## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग नसरुल्लागंज जिला सीहोर (म.प्र.)

पुस्तक क्रमांक.....

नोट नं० 443/B-12/03-04

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

S.O प्रकरण क्रमांक 2558 / B-12/03-04

## जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी पवन सिंह.....

पिता/पति का नाम अमर सिंह..... निवासी ग्राम/नगर

निमरा..... विकास खण्ड नसरुल्लागंज तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर संभाग

भोपाल म.प्र. के निवासी है, जाति/जन जाति का /की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 /342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह श्री 5..... जाति / जन

जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संसोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 16..... पर अंकित है अतः श्री / श्रीमति / कुमारी

पवन सिंह..... पिता / पति का नाम अमर सिंह.....

अनुसूचित जाति:  जनजाति का की / है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी पवन सिंह..... के

परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 20,000/-..... है

दिनांक 13-7-04.....

सील



Attested  
Dy. Supdt. of Police (Rd/Pr)  
RHO, Bhopal

हस्ताक्षर  
अनुविभागीय अधिकारी  
नसरुल्लागंज  
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
पद नाम

पंवार फोटो कापी नसरुल्लागंज



मन्नेवार समाज जबलपुर । म० प्र० ।

7

121

कार्यालय : 678, डॉ.क्षामा शिक्षा सार्वजनिक, जबलपुर

म० प्र० शासन पंजीयन पत्र क्रं. 3914 दि. 5-9-1974 द्वारा पंजीयत- म० प्र० मन्नेवार समाज, भागीधर से सम्यक्दत्त प्राप्त क्रं० 31 दि. 31/3/1976 अनुसूचित आदिम जाति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था

जाति - प्रमाण - पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुल - मुखेश शर्मा -

पिता/पति/भाई - रघुशर्मा शर्मा

गो. जबलपुर जिला जबलपुर राज्य का/की निवासी हैं और मन्नेवार जाति का/की हैं । तथा इस संस्था का/की नियमित सदस्य/सदस्या हैं

जिसे अनुसूचित आदिम जाति सूची संशोधन आदेश - 2066 के अंतर्गत मान्य किया गया है ।

मुख्यमंत्री (जबलपुर)

मन्नेवार समाज जबलपुर

समाज प्रमाण-पत्र

पंजी. क्रं. 269 वर्ष 2079

:: प्रमाण - पत्र ::

प्रमाणित करता हूँ कि छात्र - मुखेश शर्मा

पिता/पिता - रघुशर्मा शर्मा स्थान - जबलपुर का निवासी

है । उसकी जाति - मन्नेवार जो कि हरजन/अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित

है । तहसील - जबलपुर जिला - जबलपुर के स्थायी निवासी है ।

स्थान - जबलपुर

दिनांक :-

8

पुनर्गठन

पुनर्गठन क्रमांक 9071

वी.ए.ए. 1982-83

पुनर्गठन का क्रमांक है 1/वि.ए.ए./पुनर्गठन

आस्था/पुनर्गठन/वी.ए.ए. 1982-83

तत्पश्चात् वि.ए.ए. 1982-83 में वि.ए.ए. में कार्य

माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य में अर्थात्

कार्यवाही के माध्यम से निरंतर कम से कम 15 दिनों से

रत रहा है अर्थात्

3- जो कि वि.ए.ए. में से कोई राज्य शासन का शिवालय या सेवा निवृत्त

कार्यकारी है अर्थात्

4- जो कि वि.ए.ए. शासन का कार्यकारी है जो मध्यमिक शिक्षा विभाग है अर्थात्

5- जो कि वि.ए.ए. में कार्यवाही के माध्यम से निरंतर कम से कम 15 दिनों से

अर्थात् वि.ए.ए. में कार्यवाही के माध्यम से

कार्यवाही के माध्यम से

उत्तम अपनी शिक्षा मध्यमिक शिक्षा में स्थित किन्हीं विभागों में कार्य से

कम तीन वर्षों के लिए ही है अर्थात्

यदि मध्यमिक शिक्षा विभाग किसी शिक्षा विभाग या विभागाधीन

परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है:-

आस्था/पुनर्गठन/वी.ए.ए. 1982-83

वि.ए.ए. माध्यमिक शिक्षा

वि.ए.ए. माध्यमिक शिक्षा

वि.ए.ए. माध्यमिक शिक्षा

वि.ए.ए. माध्यमिक शिक्षा

वि.ए.ए. माध्यमिक शिक्षा

टीप- जो कि वि.ए.ए. में कार्यवाही के माध्यम से उन्हें काट दिया जाये।

पुनर्गठन





ANNEXUR "II"  
R.C. No 1958 / MRCB / 83-84 (मुख्यालय) न. पूर (11)  
**FORM OF CASTE CERTIFICATE**

This is to certify that Shri/Shrimati/ Kumari Sudha. N.

Rangari

Son/Daughter of Namdeo. Rangari

of Village/Town Nagpur in District/Division Nagpur

of the State/Union Territory M.P.

belonge to the Makar Caste/Tribe which is

recognised as a Scheduled Caste   
~~Scheduled Tribe~~

Under :-

\* The Constitution ( Scheduled Castes ) Order, 1950.

\* ~~The Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950.~~

\* ~~The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories ) Order, 1951.~~

\* ~~The Constitution ( Scheduled Tribes ) Union Territories) Order, 1951~~

( as amended by the scheduled caste and Scheduled Tribes lists ( Modi-  
fication ) order, 1950. The Bombay Reorganisation Act. 1960. ~~the~~  
~~Panjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act.~~  
~~1970, The North Eastern Areas ( Reorganisation ) Act, 1971 and the~~  
schedule castes and scheduled Tribes Orders (Amendment) Act. 1976.)

\* ~~The Constitution ( Jammu and Kashmir ) Scheduled Castes Order. 1956.~~

\* ~~The Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled Tribes  
Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes  
Orders ( Amendment ) Act. 1976.~~

\* ~~The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order. 1962.~~

\* ~~The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.~~

\* ~~The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964~~

\* ~~The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.~~

Attested in  
Dr. D.K. WAGELA

Dr. D.K. WAGELA  
Scientist,  
M. P. Pollution Control Board,  
INDORE.

- \* ~~The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1962~~
- \* ~~The Constitution (Goa, Daman / and Diu) Scheduled Tribes Order 1968~~
- \* ~~The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970~~

2. ~~Shri / Shrimati / Kumari~~ Sudha. N. Rangan  
 and/or his/her family ordinarily reside (s) in villege / town Nagpur  
 of Nagpur District/Division of  
 the State/Union Territory of MU

Signature

*[Handwritten Signature]*  
 21/6/84

Place Nagpur

Destination

NAGPUR

Date 21-6-84



(With seal of office)

State MU  
 Union Territory ~~is~~

*Attested*  
*[Handwritten Signature]*

\* Please delete the words which are not applicable.

Dr. D.K. WAGELA  
 Scientist,  
 M. P. Pollution Control Board,  
 INDORE.

NOTE :- The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

*[Handwritten Signature]*  
 21/6/84



(5)

क्रमांक 73326  
उपवन

दिनांक 2 12 00

### प्रमाण-पत्र

मैं प्राप्त जानकारी एवम् श्री/कुमारी/श्रीमती के द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि श्री/कुमारी/श्रीमती श्री/कुमारी/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पति श्री/कुमारी/श्रीमती जाति कुमार निवासी ... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के सदस्य है। जो मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में मान्य की गई है।

*(Signature)*  
 ...  
 ... (नाम)

7  
न्यायालय तहसीलदार पांढुरना

रा. प्र. प्रमांक. 1 जी 929 / 1-6-77

जाति प्रमाणपत्र.  
=====

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आबादास पिता मणवत चौधे,  
जाति बहार, ग्राम डेजीबलां, तहसील पांढुरना, जिला झिन्टवाड़ा जी. प्र.  
के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जो आभासीय सूची में दर्ज की जा चुकी है।

जाति - बहार, उपाजाति -

यह प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के आदेश सं. ए. ड. नं. 20 के प्रमाणपत्र के  
आधार पर दिया गया है।

दिनांक 21.11.77

20/11/77  
जाति प्रमाणपत्र

निवासी प्रमाणपत्र

८३२४

जानकारी प्राप्त जाता है कि श्री श्रीमकादरस  
का नाम बलपत ठोके ग्राम खेडीका  
की न पान्दुरना जिला, छिन्दवाड़ा म.प्र. का निवासी है।

यहाँ पर :-

- 1. जन्मपत्र में पंजीकृत है, अर्थात्
- 2. पद/पात्र/सैन्य अभिभावक जन्मपत्र में निर्दिष्ट उम्र से कम से 15 वर्ष से रहे हों, अर्थात्
- 3. उक्त पात्रों के से कोई राज्य शासन या सेवारत अर्थात् सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अर्थात्
- 4. सेवानिवृत्त शासन का कर्मचारी जो जन्मपत्र में सेवारत हो, अर्थात्
- 5. वह 15 वर्ष अर्थात् उक्त पात्रक राज्य में पिछले 5 वर्ष से कोई अन्य संघर्षी उद्योग अर्थात् संलग्न रहने है।

उक्त निवासी :-

- 1. उक्त उम्र अर्थात् उक्त उम्र में स्थित किसी शिक्षण संस्था में पढ़ने के लिए न हो, अर्थात्
- 2. उक्त जन्मपत्र में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परिधियों में से एक से कम से कम एक परिधियाँ उत्तीर्ण की है :-
  - ✓ ६. उत्तम माध्यमिक परिधियाँ,
  - ✓ ७. उच्च शैली की परिधियाँ,
  - ✓ ८. डॉक्टरेट की परिधियाँ.

*[Signature]*  
सहायक निवासी  
छिन्दवाड़ा जिला, छिन्दवाड़ा

दिनांक 26/7/84



कार्यालय नज्दुल मुल्क

दिनांक/ जा.प्र. 784/

कार्यालय नज्दुल मुल्क

श्री. *Ass. H. Quraishi* तथा जो *10/1/19*

धार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री *...*

श्री *...* निवासी *...* भोपाल के हैं जो कि *...*

यह प्रमाण पत्र *...*

हस्ताक्षर ।


*...*  
F. 1/2/CS

*...*  
S. B. ...

श्री  
परी  
दिनांक  
संज्ञा

53

प्राप्ति स्थान- कमलेश्वर बैंक एवं जनरल स्टोर्स  
बस स्टेशन, सेंधवा (S) 22527, पिन कोड 23336



# स्थाव प्रमाण पत्र

## प्रमाणीकरण

पुस्तक क्रमांक ..... जिला रुंधवा

### जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पिता/पति का नाम लजिहा जमरा

पटवारी हल्का नं ५ तह ५ रुंधवा जिला रुंधवा

संभाग रुंधवा जाति/जनजाति का/की सदस्य है।  
को संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्य-प्रदेश राज्य के निवासी प्रमाणित किया गया है।  
सूचित जनजाति के रूप में विनिश्चित किया गया है।  
जाति प्रमाणित अनुसूचित जाति एवं (संशोधन) प्रमाणित किया गया है।  
सूचि सं. क्रमांक ०६ पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी  
..... पिता/पति का नाम लजिहा जमरा

अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
प्रमाणित की पुस्तक का नाम सप्रेम

Handwritten signature and text:  
22.09  
Asst. Professor  
Govt. College. SETHWA (M.P.)

8 JUN 2001

Handwritten signature and text:  
सत्यप्रकाश  
.....

अनुभाग अधिकारी (स्थाव प्रमाणित)  
व. प्र. प्रवृत्त निदेशन बोर्ड  
बीकानेर

30/9/98

वेतः  
ह

### जाति का प्रमाण पत्र

(67)

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता/करती हूँ कि- 1980-81-26

(1) श्री / श्रीमती / कुमारी रामराम

पुत्र / पुत्री / पत्नी लुकाराम

का स्थायी निवास दुबरी

है।

(2) श्री / श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ की

जाति लुकार है, और इनकी उपजाति \_\_\_\_\_

तथा इनका धर्म हिन्दू है जो म० प्र० शासन द्वारा घोषित विछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पूरा पता \_\_\_\_\_

पदनाम एवं मुहर \_\_\_\_\_



कार्यालय ग्राम पंचायत घुट्टी  
वि. खं. जुन्नारदेव जि.-छि. (म. प्र.)

दि- 2/3/98

## - आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति शतिशम

पिता/पति कुमार शम ग्राम घुट्टी ग्राम पंचायत घुट्टी

तहसील जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) का मूल निवासी है। इनकी जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विछडा बर्ग के अन्तर्गत आती है।

धिस - इनकी पत्नी - कुमार देवी

प्रमाण पत्र पंचायत ने शतिशम के लिए जारी किया/ जो सत्य है।

सचिव के हस्ताक्षर

2.3.98

सरपंच के हस्ताक्षर

2/3/98

द्वारा

कार्यालय सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग

(20)

दि. 10/11/73

आदिम जाति कल्याण पत्र

इसके सम्बन्धी पत्र एवं

आदिम जाति कल्याण

विषय में आदिम जाति कल्याण किया जाता है कि श्री/श्रीमति/दुर्गा

श्री/श्रीमति/दुर्गा आदिम जाति

जिला आगरा की आदिम जाति

के सम्बन्धी आदिम जाति कल्याण के अन्तर्गत आती है।

आदिम जाति कल्याण के अन्तर्गत आती है।

आदिम जाति कल्याण के अन्तर्गत आती है।



आदिम जाति कल्याण विभाग  
आदिम जाति कल्याण  
आदिम जाति कल्याण

कार्यालय कलेक्टर  
कमांक नं० रि० डि० कले०/१०/१०६५

(प्रमाणिकरण शाखा) जिला २१/११/५८  
दिनांक १३/१२/५८

7

# निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजेश कुमार  
आरम्भ राजेश कुमार निवासी राजेशपुरा तहसील राजेशपुरा  
जिला राजेशपुरा मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है क्योंकि—

१. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
२. वह मा/वेध/अभिभावक न. प्र. में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है) अथवा
३. इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है। अथवा
४. वह स्वयं अथवा उसके प्रभुत्व में पिछले पांच वर्षों से कोई अच्छा सम्पत्ति अथवा उद्योग व्यवस्था रखते हैं।

### इसके अतिरिक्त—

१. वह मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्षों तक प्रमाणित की है।
२. उसने ५० प्र० से किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- (क) उच्च माध्यमिक परीक्षा/
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा/
- (ग) चौथी कक्षा की परीक्षा/

टीपः— जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जाये।

*(Handwritten signature and notes)*

(कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत)



*(Handwritten signature)*  
कलेक्टर, राजेशपुरा

परिशिष्ट निम्न क्र. 1/2/3

# अस्थाई प्रमाण - पत्र

कार्यालय तहसील..... प्रमाणीकरण

अनुभाग..... जिला..... (म.प्र.)

पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

1315 B17A  
200203

## जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....

पिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम/नगर.....

पटवारी/हल्का नं..... तहसील..... जिला..... सम्भाग.....

जाति / जनजाति का / को सदस्य है और इस जाति जनजाति की संविधान के अनुच्छेद 349 के अधिन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया है और

यह.....

जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....

पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमति/कुमारी.....

पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति

जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी.....

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... है।

दिनांक.....

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम  
पद नाम

नोट - यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।


सत्यप्रतिनिधि  
23/02/05  
Attested  
प्रमाणित  
आ. बालक उ. मा. वि., राजपुर

अनुभाग अधिकारी (स्वायत्त)  
च. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
जीवालय

5

कार्यालय

राज्य शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश



1315 B/124  
2022/23

# प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

छमलेश

आत्मज / पति / अत्मजा

राजेश्वरी

निवासी ग्राम

निहाली

तेहसील

राजपुर

जिला

बड़बाना

मध्य प्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह-

- 1] म० प्र० में पैदा हुआ / हुई अथवा
- 2] यह पालक बच अभिभावक मध्य प्रदेश में निरन्तर रूप से कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है। अथवा
- 3] उसके पालक में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्ति कर्मचारी है अथवा
- 4] केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है अथवा
- 5] यह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले ५ वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति / उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त :-

- 1] उसने अपना शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी शिक्षा संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। अथवा
- 2] उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।
  - क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
  - ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा
  - ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

दिनांक

22/9/23

*(Signature)*  
25/02/25  
बहुभागीय अधिकारी - प्रमाणित  
ब. प्र. प्रवृत्त निबन्धन बोर्ड

Attested  
Rajeshwari  
ग्याख्याता

राजेश्वरी (प्रमाणित अधिकारी)  
बड़बाना (म. प्र. राज्य)

नोट :- जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जावे। ह्या. बालक उ. वा. वि., राजपुर

तहसीलदार तहसील खुर जिला भोपाल

क्रमांक 282

आदिम जाति प्रमाण पत्र 50/89 भोपाल दिनांक

आदिम जाति प्रमाण पत्र

15/12/89

श्री-बाबूलाल

जिला भोपाल

के बाधार पर दिवा जाता है कि श्री कुमारी मंगला दुबे

शपथ पत्र

पुत्री/पत्नी श्री-हरिशचंद्र दुबे

निवासी-कोटरा मुल्तावावाड

जिला भोपाल

जिला भोपाल के मूल निवासी है। तथा उनकी जाति-बिजवा

वर्ध हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आंदोलन (संशोधन) अधिनियम 1970 के अनुसार भोपाल जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

म० प्र० शहसन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 74 सी० आर० 335/4183 दिनांक 8 जनवरी 1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का क्रमांक/राज्य शहसन की नौकरियों तक ही मान्य होगा।



Handwritten signature of the Tahsil Dar. Below the signature, the text reads: 'तहसीलदार एवं कार्यपालक अधिकारी, तहसील खुर, जिला भोपाल, खुर (बोपाल)'.

जाति प्रमाण पत्र

राज्य ग्राम पंचायत चौकलाय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए  
राधेश्याम मेहरा आत्मज श्री मकुन्दराम मेहरा  
ग्राम किल्लाव तहसील सिवनी मालवा जिला. दशंगा-  
बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं।

इन्की जाति मेहरा अनुसूचित जाति  
हस्तिना है जो शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति  
की सूचि में सम्मिलित है।

दिनांक  
20.6.66

हस्ता. एम. मुहर  
उप सरपंच  
ग्राम पंचायत चौकलाय

प्रमाणित किया जाता है  
कि राजेश्याम मेहरा  
आत्मज मकुन्दराम ग्राम  
किल्लाव के निवासी हैं  
तथा इन्की जाति मेहरा  
अनुसूचित है।

Signature  
Seal -  
नायक तहसीलदार  
सिवनी मालवा

हस्ता. 0.  
पटवारी  
प. ट. नं. 26  
26.6.66

क. (ल. क. प्र.)  
28/5/66  
Administrative Office  
Directorate of Health Service  
Madhya Pradesh, Bhopal

Handwritten notes on the right margin, including '877' and 'd.'



न्यायालय तहसीलदार पेन्द्रागोड (म. प्र.)

**—: जाति-प्रमाण-पत्र :—**

प्र. ११० क्र. ५२१... १९११ — सन् - १९८३

इलकडामा एवं षट्बारी तथा ग्रामपंचायत प्रतिवेदन के आधार पर—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

जाति नं. .... बीजा/ग्राम ..... प. ६० नं. ....  
तहसील पेन्द्रागोड, तिला चिन्नातपुर के निवासी है।

जो इनको उप जाति ..... है, जो कि ये [अनुसूचित जाति] [अनुसूचित, जम जाति]  
राष्ट्रीय, संविधान, की, [संबंधित नं० १०८/१८ सितम्बर सन् १९७६] के अनुसार ये [अनुसूचित जाति]  
एवं [अनुसूचित जन, जाति] के अन्तर्गत आता है।

और ये ..... धर्म के अनुयायी है।

*[Handwritten Signature]*

हस्ताक्षर—

दि. नं. ....

हस्ताक्षर—

प्रमाणित कर्ता अधिकारी

के पद एवं सील

दिनांक.....





2

परिशिष्ट-तीन  
(नियम क्र.-8(1) देखें)

# कार्यालय-अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... इवा. / इलाहाबाद जिला-सीधी, (मध्यप्रदेश)

स्तक क्रमांक..... प्रमाण-पत्र क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक 2842 / 10/10/10

## जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती लाल

पेता/पति का नाम शुभदेव निवास ग्राम/नगर कचवाही

वे.ख. इवा. / इलाहाबाद तहसील इवा. / इलाहाबाद जिला इलाहाबाद सम्भाग इलाहाबाद

जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सम्बंध में अनु. जाति/अनु. जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह पुनिया

जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 36 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती लाल

पिता/पति का नाम शुभदेव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... है।



(सील)

श्रीमती लाल  
मोतीलाल

उपस्थित अधिकारी

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
जिला सीधी (म.प्र.)  
पदनाम

शुभदेव

कायम जिला प्रशासनिक कार्यालय, कैलाली जिला, नेपाल

# जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र

क्रमांक १७७/१९६/१२१/९६



दिनांक १०/११/९६

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमान सुख लाल शर्मा

जन्मदिनांक १०/११/९६ जाति ब्राह्मण

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

पिता/पति श्रीमान सुख लाल शर्मा पति श्रीमती

सत्यापित प्रति

*[Signature]*

प्रशासकीय अधिकारी

स.प्र. प्रवृत्त निरीक्षण बोर्ड, कैलाली

सत्यापित प्रति

*[Signature]*

प्रशासकीय अधिकारी

स.प्र. प्रवृत्त निरीक्षण बोर्ड, कैलाली

8

दिनांक 17/1/96

SS6/96 B12 1/96



### स्थायी निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनसुख लाल शर्मा .....  
आत्मब मानिया लाल ग्राम भीगावाड़ तहसील मन्दाव  
जिला झाड़सोली ..... मध्य प्रदेश के निवासी है क्योंकि वह पुस्तकी नसिखाई

मध्य प्रदेश में पैदा हुआ।

वह पुस्तकी बंध अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रहता है।

X- उनके पालकों में से कोई कार्य राज्य शासन का सेवा या सेवा से निवृत्त कर्मचारी है।

X- केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है अथवा .....

य- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कार्य अथवा अथवा सञ्चालित उद्योग  
अथवा व्यवसाय रखते हैं। आविष्कृत पिता के नाम 2/2/2 हे. मूमि

1- इसके अतिरिक्त- एवं कक्षा माफक है।

अ- उनके आने शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष की है अथवा।

ब- उन्हे म० प्र० में स्थित किसी भी शिक्षा संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक  
परीक्षा पास की है :-

1- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 3- मा. वि. पाठ्य से पत्र थी।

2- आठवीं की परीक्षा दूसरी मा. वि. पिनीर।

3- चौथी कक्षा की परीक्षा प्रा. पाठ भीगावाड़।

सत्यापित प्रती

प्रशासकीय अधिकारी  
म.प्र. वि. वि. नियंत्रण बोर्ड, नोयाला

Head Master  
Govt. Middle School Finatir  
Distt. Umaria (M. P.)

प्राधिकृत अधिकारी

(14)

हासन के निर्देश पर [चिह्न सं-8 (1) देखें]

मे संयुक्त रूप से **जाति प्रमाण-पत्र**

संक्षिप्त पत्र के द्वारा **कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

पूर्वक जार, **ड्यूर** जिला **भीषम**

अनुचित स्वतः निरस्त न हो जाये।

पुस्तक क्रमांक .....  
प्रमाण-पत्र क्रमांक ..... 5572/11-12/2007

### जाति प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है कि श्री **सुनीता देवी**  
**विवासी/ग्राम देरिया**  
**जिला भीषम**  
का जाति **ब्राह्मण** है।  
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि **10/12/2007**  
प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकारी **अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**  
जिला **भीषम**  
पुस्तक क्रमांक .....  
प्रमाण-पत्र क्रमांक .....  
पुस्तक क्रमांक 7-26/8/11 और पुस्तक क्रमांक 8/अ/11/2007 को संदर्भित है।  
(3) यह पत्र प्रामाणिक है।



राज्यपाल के आदेश पर जारी, भोपाल-2001.

Authenticated by

6-2-16  
Under Secretary  
Madhya Pradesh Vidhan Sabha

मूबदस्तावेज से सत्यापित (मूब-मूब)

Relly  
1-2-16

स्वयं सत्यापित

6-02-16

15



कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

31

बुक नंबर 342...

सीरियल नंबर.....

प्रकरण क्रमांक 419/B-121/0405

भोपाल, दिनांक 15-9-05

स्वामीय

मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती

संगीता मेवाड़ा

आत्मजा/आजीजा/पति श्री

मन्मथ सिंह

पति/पत्नी

देवरिया खल्ला

तहसील हुजूर, जिला भोपाल

अपनी निवासीता प्रमाणित है क्योंकि

तहसील मुख्यालय पर एक वर्ष से अधिक

वर्ष से अधिक समय तक निवास कर चुके हैं, मध्यप्रदेश में निरंतर रूप से कम से कम 15 वर्षों से निवास कर चुके हैं, अथवा

अपने पति/पत्नी/पिता/माता/पिता की सेवाएँ या सेवावन्त कामें कर चुके हैं, अथवा क्षेत्र शासन की कार्यवाही में निरंतर रूप से कार्य कर चुके हैं, अथवा

किसी अन्य वैध प्रमाणों से पिछले पांच वर्षों से कोई अलग सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय देखते हैं,

परन्तु इसके अतिरिक्त


यदि आपकी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो, अथवा

इसमें मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो

(1) निरंतर माध्यमिक परीक्षा (दसवीं, बारहवीं)

(2) शास्त्री की परीक्षा

(3) पानिवा की परीक्षा



मन्मथ सिंह  
[Signature]

Attested by  
[Signature]

Under Secretary  
Madhya Pradesh Vidhan Sabha

रजय खन्नापत

कतिपय तहसील मुख्यालय  
सांभिकृत अधिकारी

6-02-016



कार्यालय  
अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)


अनुभाग ..... ७६ तारदेव ..... जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र.)  
पुस्तक क्र. २२ ..... प्रमाण पत्र क्र. ५२०/A ..... प्रकरण क्र. १३/१३/०७०७

- जाति प्रमाण पत्र -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. भारती .....  
पिता/प्रति का नाम जोगवसिंग .....

निवासी ग्राम/नगर ताम्रिया ..... पटवारी हल्का नं. १३ ..... तहसील ताम्रिया  
जिला- छिन्दवाड़ा सभाग- जबलपुर जति/जनजाति क्रम/को सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन म. प्र. राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विचिष्ट किया गया है और यह ताम्रिया जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम १९७६ के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ७५ (पंच) पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कु. भारती .....  
पिता/प्रति का नाम जोगवसिंग .....

अनुसूचित जति/जनजाति क्रम/को है।  
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. भारती .....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ० ..... है।



प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम  
...

मूल दस्तावेज से सत्यापित किया गया।

Relly  
13.7.16

सत्यं सत्यापित किया गया है। Anati Bhandari

न्यायालय तहसीलदार, तामिया  
कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार टप्पा /  
तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

प्र.क्र. 5442 / बी-121 / वर्ष 2011

दिनांक 5.9.11

**मूल निवासी प्रमाण-पत्र**




प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु... जंगलसिंग पिता/पति  
निवासी तामिया तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा

सुकल मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप  
दिनांक 28 अक्टूबर 2010 में निर्धारित मापदण्ड की कठिना क्रमांक 102 की पूर्ति करने के  
फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2.\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/  
3/ दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के अधीन आवेदक द्वारा दिए वितरण अनुसार आवेदक की पत्नी \*/आवश्यक  
तकचे \* जिनका विवरण नीचे वर्णित है मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है-

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम ..... आयु ..... वर्ष हैं।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र / पुत्री
  - 1. नाम हुगा पुत्र/पुत्री / आयु 18 वर्ष
  - 2. नाम रमेश पुत्र/पुत्री / आयु 22 वर्ष
  - 3. नाम पार्वती पुत्र/पुत्री / आयु 12 वर्ष
  - 4. नाम हुगेशि पुत्र/पुत्री / आयु 15 वर्ष

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारण  
वाह्य नहीं होगा।



मूल दस्तावेज से सत्यापित किया गया।

तहसीलदार  
तामिया

13-7-16

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

22/11/11 Aneto Bante



5


प्राप्ति स्थान-श्री शंकर स्टोर्स, देवास


कार्यालय ..... लालबीलदार लोठकीरा देवास (गठेरा) .....

### -: जाति प्रमाण-पत्र :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पुनमचन्द्र भाठवीर  
 पिता / प्रतिपति श्री जगदीश भाठवीर निवासी अदाई शाहीपठर  
 जिनकी जाति लाली उपजाति हरिजन है।

दिनांक

  
 लालबीलदार  
 लोठकीरा

Verified from  
 Original  


Form No. 2

पंचायत शाहपुरा

परिशिष्ट - तीन  
(नियम क्र. 8 (1) के अन्तर्गत)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुभाग शाहपुरा जिला बिजनौर मध्य प्रदेश

प्रमाणिकरण क्रमांक 1244/12

प्राप्तिक क्र. 1244/12

स्थाई प्रमाण पत्र  
जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमान राजेश्वरी देवी


पिता राजेश्वरी देवी नवमी नाम राजेश्वरी देवी

राजेश्वरी देवी जन्मदिन 15/05/1950 जन्म स्थान शाहपुरा जिला बिजनौर मध्य प्रदेश

जन्मजाति के रूप में विहित किया गया है और यह राजेश्वरी देवी जाति प्रमाणित करने वाले प्रमाणित पत्र/अनुविभागीय अधिकारी/आदेशनियमावली के अन्तर्गत गृहपत्रिका की प्रती में अनुमत्यांक 1244/12 पर अंकित है और राजेश्वरी देवी अनुमत्यांक 1244/12 में प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमान राजेश्वरी देवी

वास्तविक आय राजेश्वरी देवी और परिवार की कुल



राजेश्वरी देवी

अनुविभागीय अधिकारी

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम

महामा

मूलदस्तावेज से स्थापित किया गया।

Revi

उपर्युक्त प्रमाणित

Prakashya

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार  
टप्पा / तहसील मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी

प्र.क्र / बी-121/वर्ष..१०।१२....

दिनांक 1.6.2012....

3052

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र




1\* प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति कु. पंचवती पिता/  
पति पिरभा निवासी मेंहदवानी तहसील शहपुरा  
जिला डिण्डौरी (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के  
लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 28/10/2010 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक 2 (ii)  
की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3/22/  
2010/3/एक दिनांक 28/10/2010 के आधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\* /  
अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है।

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम..... आयु..... वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री
- |     |                        |
|-----|------------------------|
| (1) | ..... आयु..... वर्ष है |
| (2) | ..... आयु..... वर्ष है |
| (3) | ..... आयु..... वर्ष है |
| (4) | ..... आयु..... वर्ष है |

टीप - यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य  
हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।



[Signature]  
ह. तहसीलदार / तहसीलदार  
तहसील शहपुरा ( मेंहदवानी )  
जिला - डिण्डौरी

# सभी प्रकार के फार्म मिलने का एक मात्र स्थान - शैलेंद्र जनरल स्टोर्स मेंहदवानी - (07640) 263465 - 263441 - 8424713474

मूल दस्तावेज से स्थापित किया गया है।

REW

स्वयं प्रमाणित

[Signature]

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, शहपुरा  
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

परिशिष्ट - तीन  
(नियम क्र. 8 (1) देखें)

अनुभाग - शहपुरा जिला - डिण्डौरी मध्यप्रदेश

प्रमाण पत्र क्रमांक 20

प्रकरण क्रमांक 291

पुस्तक क्र. 26

स्थाई प्रमाण पत्र  
जाति प्रमाण पत्र

6-12-08-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी पद्मावती सिंह

पिता/पति का नाम खलचंद निवासी ग्राम/नगर पडरिया वि.ख.

शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी संभाग खलचंद जाति / जनजाति का / की सुदस्य है और इस

जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जाति/जनजाति मान्यता प्राप्त है।

जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमिक - 262 पर

अंकित है, अतः श्री/श्रीमति/कुमारी पद्मावती सिंह पिता/पति का नाम

खलचंद अनुसूचित जाति/जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी पद्मावती सिंह के परिवार

की कुल वार्षिक आय रुपये 7 हैं।



अनुविभागीय अधिकारी  
शहपुरा, डिण्डौरी

मुद्रक : प्रगति प्रिंटिंग प्रेस, शहपुरा फोन : 30247

शहपुरा जिला के प्रमाणित  
@shahpura  
[Signature]

12-2-2016  
पद्मावती सिंह  
रामकृष्ण

1767

दिनांक 16/9/10

12109-10

स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी

एलवाकिसिंह

आत्मज / आज्ञा / पति

निवासी

कुलचन्द

पति

तहसील

जिला

डिण्डीरी

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय

निवासी के लिये निर्धारित मापदण्ड की निम्न क्रमांक

1.2

एवं क्रमांक

3.3

पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है।

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई अथवा
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसके पालक वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है अथवा
- 1.3 उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश से सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है अथवा
- 1.5 वह स्वयं/ उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/ उद्योग/ व्यवसाय है एवं
2. इसके अतिरिक्त
  - 2.1 उसमें मध्यप्रदेश राज्य अथवा अधिभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है अथवा
  - 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए अनिवार्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड इन्टरमीडियट हायर सेकेंडरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा
  - 2.3 अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
3. परन्तु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2, 1 से 2, 3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है
  - 3.1 वह अंध/ मूक/ बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण किया अथवा
  - 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है अथवा
  - 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1, 2 की पूर्ति करते हैं एवं
    - 3.3.1 वह अशिक्षित है अथवा
    - 3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
4. वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है :-
  - 4.1 मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संतान/ पत्नि/ पति है अथवा
  - 4.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नि / पति है। अथवा
  - 4.3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर महासचिव/ राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/ पत्नि/ पति है।

Handwritten signature



नायब तहसीलदार मेहदवानी

17-9-2010

प्रारूप- 'एक'

निर्देश दिनांक 12.3.1997 का क्रोडिका क्र. 8(2) देखें

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग मुरैना, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)

अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति के लिये स्थायी प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक 6445  
प्रमाण-पत्र क्रमांक 6445 **2006-2007/बी-121**

## जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आरुमा खान  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अशफाक अली निवासी ग्राम/शहर मुरैना  
तहसील मुरैना जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं, जो मुसलमान  
जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984; पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमन्व्य किया गया है और जो सूची के क्रमांक 87(2) पर अंकित है। श्री अशफाक अली और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला मुरैना सभाग चम्बल में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आरुमा खान  
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट की अनुसूची के काम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आरुमा खान के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 20,000/- है।

दिनांक 24/7/07

(सील) मुपेन्द्रसिंह  
अनुविभागीय अधिकारी

अशफाक अली  
अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणित)  
अनुविभाग-मुरैना  
जिला-मुरैना (मध्यप्र.)

Attested True Copy

18/11/15

Aashua Khan  
व्यक्तिगत प्रमाणित

Attested  
प्राचार्य  
शासनलगावा कच्चा उमारावि  
क्र01 मुरैना (म.प्र.)

(K)

### प्रमाणिकरण

1. आवेदक/आवेदिका श्री असिता खान  
पुत्र/पुत्री/पत्नी अफ़्ताब अली  
का परिवार वर्ष 1984 से ग्राम सजिय कालेफरी  
तहसील मुरैना का स्थायी  
निवासी है।
2. आवेदक की जाति हिन्दू (मुसलमान) है जो मुरैना जिले  
में पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती है।
3. आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय  
लगभग ₹ 10000 रुपये है।

हस्ताक्षर पटवारी

नाम अफ़्ताब अली खान  
हल्का नं० 22  
रा०नि०वृत्त० 6  
तहसील - मुरैना (म०प्र०)  
दिनांक .....

आवेदक की उप ऊपर लिखी है

असिता खान  
इन्सपेक्शन कमेटी  
नुरानो इन्सपेक्शन कमेटी  
ईदगाह कांस्ट्रक्शन मुरैना (म० प्र०)

असिता खान  
प्राचार्य  
शा०म०ल०बा० कल्या 30मार्च  
क्र०1 मुरैना (म.प्र.)


14

# मध्य प्रदेश के " स्थानीय निवासी " होने का प्रमाण-पत्र

क्रमांक 209/2005-06 A 131 दिनांक 22-5-06

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती आरुभा खान  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी अशाफाक अली  
ग्राम मुरैना तहसील मुरैना जिला मुरैना (म०प्र०)  
का/की "स्थानीय निवासी" है क्योंकि वह -

1. मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है। ✓  
अथवा
2. वह, पालक/वैध अभिभावक म०प्र० में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है। ✓  
अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या/सेवानिवृत्त कर्मचारी है।
4. केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो म०प्र० में सेवारत है। ✓  
अथवा
5. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले दो वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति/उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।  
इसके अतिरिक्त  
उसने अपनी शिक्षा किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। ✓  
अथवा



उसने किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है :-

- (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ✓
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा ✓
- (ग) पाँचवीं कक्षा की परीक्षा ✓

[Signature]  
प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर

[Signature]  
प्राधिकृत अधिकारी का पद,  
मुरैना, सी.टी.ओ. (अ.प्र.)

जो अंश लागू न हो उन्हें (X) कर दिया जावे

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी 3-18/2003/3/एक भोपाल 6.10.2003 द्वारा संशोधित।

Attested True copy

[Signature]  
18/11/15

[Signature]  
स्वयं द्वारा प्रमाणित  
18/11/15

[Signature]  
प्रचार्य  
शा.म.उ.ल.वा. कक्षा उ०मा०वि०  
क्र०1 मुरैना (म.प्र.)




कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग 1567 मुलताई जिला ६१२० मध्यप्रदेश 39  
पुस्तक क्रमांक ..... अनुक्रमांक .....  
प्रमाण-पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक 9165 (B12) 02-03

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी माधुरी  
पिता/पति का नाम दिगेश्वर तहसील आमरा जिला ६१२०  
वि.ख. आमरा जिला ६१२०  
संभाग जिला ६१२०  
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संविधान अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 36 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी माधुरी पिता/पति का नाम दिगेश्वर अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल जनसंख्या है।



Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Muzaffargarh.

जाति प्रमाण-पत्र विभाग जिला मुलताई द्वारा जारी किया गया है।

पुस्तक प्रमाण पत्र ले  
लक्षणापत्र क्रिया/गणना  
दिनांक

स्वयं द्वारा उभाठा Ambalker  
23-02-16

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,  
टप्पा/तहसील आमला जिला बेतूल

प्र.क्र. RS/447/0110/108/2015 /बी-121/2015

दिनांक 14/12/2015

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. माधुरी पिता/पति झिंगर्या निवासी तोरनवाड़ा, Toranwada, Amla, बेतूल तहसील आमला जिला (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. \* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विद्यार्थी ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि  
प्रमाणित किया जाता है  
प्रमाणित किया जाता है

ने होने पर काट दें।

स्वयं डी.ए.एम.

*(Signature)*

23-02-16

*(Signature)*

हस्ताक्षर

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,

तहसील आमला

जिला बेतूल


नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/447/0110/108/2015 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट [lokseva.gov.in](http://lokseva.gov.in) अथवा [mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट [www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in) से भर द्वारा निकाला गया है।

परिशिष्ट तीन  
[नियम क्र० ८ (१) देखें]

कार्यालय अतिरिक्त अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग रामपुर बाघेलान जिला सतना (मध्य प्रदेश)



पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

589  
प्रकरण क्रमांक B121-20223

# जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी कुठ अंजली साकेत  
पिता/पति कानाम बांशदारी प्रसाद निवासी/ग्राम/नगर डेलीरा  
पटवा हल्का नं० 53 तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना संभाग सीधी

जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जन जाति को संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह  
चमार जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम १९७३ के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 14 पर अंकित है अतः

श्री/श्रीमती/कुमारी कुठ अंजली पिता/पति का नाम बांशदारी प्रसाद  
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 20.01.03

(सील)

अतिरिक्त अधिकारी  
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
रामपुर बाघेलान  
जिला- सतना

अजय प्रिंटिंग प्रेस, रामपुर बाघेलान : 71251

Attested True Copy

Head Master  
Govt. Hr. S. S. Sajjanp  
Distt. Satna (M.P.)

मुख्य अधिकारी से लिये गए

सिद्ध प्रमाण

REL  
5-2-16

Handwritten signatures and notes in the bottom left corner, including 'मिलाना' and 'रामपुर'.

क्रमांक ..... 1116 / बी-121 /  
09-10

दिनांक ..... 31/08/2016

### स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मजा / पति श्री ..... राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिये निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्रमांक ..... एवं क्रमांक ..... पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

हस्ताक्षर म.प्र. एवं मुद्रा  
तहसीलदार  
तहसील रामपुर बघेलान  
जिला सतना (म.प्र.)

### मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड


- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है, अथवा हाँ
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसका पालक/ वैध अभिभावक म.प्र. में कम से कम 15 वर्षों से निरंतर रह रहा है, अथवा हाँ
- 1.3 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, अथवा
- 1.5 वह स्वयं / उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल सम्पत्ति/ उद्योग/ व्यवसाय है, एवं इसके अतिरिक्त-
  - 2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
  - 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीडिएट, हायर सेकेण्ड्री या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा हाँ हाँ स्कूल सज्जन हाँ सतना (म.प्र.)
  - 2.3 अन्य मामलों में पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
3. परंतु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 म. प्र. से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है -
  - 3.1 वह अंधा/ मूक/ बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, अथवा
  - 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है, अथवा
  - 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त 1.2 की पूर्ति करते हैं एवं
    - 3.3.1 वह अशिक्षित है, अथवा
    - 3.3.2 म. प्र. के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा म. प्र. के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
- वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है -
  - 4.1 म. प्र. को आर्बिट्रि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संतान/ पत्नी/ पति है, अथवा
  - 4.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वाले की पत्नी/ पति है, अथवा
  - 4.3 म. प्र. में सैनिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/पत्नी/पति है।

हस्ताक्षर म.प्र. एवं मुद्रा  
5.2.16



Attested True Copy

Head Master  
Hr. S. S. Sajjanp  
Satna (M.P.)



मूल-निवासी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....आत्मज/अपत्यज/पत्नी/श्री.....  
निवासी .....  
निवासी है।

क्योंकि यह

1- MOPRO में पैदा हुआ/हुई/अथवा

2- वह पालक/वेप. अभिभावक MOPRO में निरंतर कम से कम 5 वर्ष से रही/रहा है। अथवा :-

उसके पालकों/में से कोई राज्य शासन का सेवारत या नियुक्त कर्मचारी अथवा कन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो MOPRO सेवारत है अथवा :-

3- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच सालों से कोई अचल सम्पत्ति या उद्योग या व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त :-

4- उसने अपनी शिक्षा MOPRO में स्थिति किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 50% तक प्राप्त की है। अथवा :-

5- उसने MOPRO में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो।

अ) उच्चतर माध्यमिक कक्षा की परीक्षा

ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा

ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

द) अन्य कोई परीक्षा जो उसने पास की हो।

नायब सहस्रीक्षक, विद्या

प्राधिकृत अधिकारी

।पद. एवं सील।

नोट:- जो अंग लागू न हों उन्हें काट दिया जावे।

हसोलदार सा०

तहसील

जुमना

6

जिला रोवा (स० प्र०)

प्रकरण क्रमांक...

वर्ष... १९९१

दिनांक... ३०.७.९०

# जाति प्रमाण-पत्र

पटवारी हल्का प्रबं राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदनानुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री ... तनव श्री ...  
निवासी मास ... के हैं एवं ये ... जाति के हैं तथा ...  
... भ्रंणी के अन्तर्गत आते हैं।

\* कुमार प्रेस, सऊर्गज।

हस्ताक्षर  
तहसीलदार, रोवा (स० प्र०)  
पदाधीन, ...

उप नं० ६०६० पहाडी तहसील हुमना जिला रोवा (म० प्र०)

3

क्रमांक... १२... वर्ष... १९९९... दिनांक... ११/६/९७

# 1095 निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ... रोशन लाल ...

ज श्री ... केशवती प्रसाद ... तहसील ... हुमना

रोवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं क्योंकि वह:-

मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है।  
इसके पालक, वेध अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रहता है।  
इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवा में या सेवा निवृत्त कर्मचारी है।  
केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है। अथवा  
इस स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले ५ वर्षों से कार्य अथवा अचल सम्पत्ति, उद्योग  
अथवा व्यवसाय रखते हैं।

उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी संस्था में कम से कम ३ वर्ष प्राप्त की है अथवा—  
उसने म० प्र० में स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा  
पास की है—

- १- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- २- आठवीं की परीक्षा
- ३- पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

गणेशचन्द्र शर्मा २१/६/९७  
 KN ५१०२५५  
 ६/६/१९९७

अधिकृत अधिकारी  
 ११/६/९७

दि. २१/६/९७

कुमार प्रेस, मऊगंज।



7

आरक्षित वर्ग के आगेहन कार्य के साथ संलग्न करने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

क्रमांक 192

दिनांक 2/7/01

अनु. जाति/अनु. जनजाति

नाम एवं पता के साथ प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमम...  
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/श्रीमम...

म. प्र. के ग्राम... तहसील... जिला... के निवासी है एवं अनु. जाति/अनु. जनजाति/ के जाति के...

स्थान: ...

दिनांक 2/7/01

हस्ताक्षर  
District Organiser  
Tribal Welfare  
जिला... के अतिरिक्त  
कल्याण विभाग

**ANNEXURE - 'A'**

Form of caste certificate to be issued to Vimukta Jati / Nomadic Tribe or Other Backward Class persons belonging to the State of Maharashtra.

**Documents Verified:-**


- 1) Application submitted by the applicant
- 2) School leaving certificate
- 3) School Leaving certificate of Uncle & Grandfather
- 4) Caste Certificate of Sister
- 5) Ration Card
- 6) Election card
- 7) Residence proof given by Municipal Corporation
- 8) Affidavit made by the applicant

**CASTE CERTIFICATE**

This is to certify that Kumari Rupali Prakashrao Deshmukh, Daughter Of Shri. Prakashrao Wamanrao Deshmukh of town/village Amravati, Taluka Amravati in District Amravati of the State of Maharashtra belongs to the KUNBI caste which is recognised as a **Other Backward Classes** under the Government Resolution Department No:- C.B.C.-1467/M, Date 13/10/67 as amended from time to time.

Kumari Rupali Prakashrao Deshmukh and Her family ordinarily reside(s) in town/village Amravati, Taluka Amravati of District Amravati of the Maharashtra State.

On found that the applicant has furnished incorrect or false information this certificate is liable for cancellation



(Rajesh P. Itware)  
Signature  
Sub-Divisional Officer,  
Amravati, Deputy Collector  
Amravati

Place: Amravati.

Date: 17/03/05

N. B. - (a) The term 'Ordinarily' Used are here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of People Act, 1950.

(15)

1952

1953

2

N. E. S.  
 UNIVERSITY  
 1954

UNIVERSITY  
 1954

प्रदायत प्रमाण पत्र

*Handwritten mark*

*Handwritten number 1992*  
**निवास प्रमाण-पत्र**

*Handwritten signature*  
 दिनांक *Handwritten date*

प्रमाणित किया जाता है कि श्री **शंकर मिश्र**  
 निवासी **गुवादावा प्रस्तामना नाम गुवादावा प्रस्तामना गुवादावा**  
 निवासी **गुवादावा** का **पता** **गुवादावा** है।  
 निम्नलिखित बातें सत्य हैं :-  
 1. यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया है।  
 2. इसके मातृका में से कोई सत्यता का खतरा या कोई भी खतरा नहीं है।  
 3. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।  
 4. निम्नलिखित बातें सत्य हैं :-  
 1. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।

- 1. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 2. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 3. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 4. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 5. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 6. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 7. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।
- 8. प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी कागजात सही प्रकार से प्रमाणित हैं।

दिनांक *Handwritten date*

*Handwritten signature*  
 प्रमाणित करने वाला





# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन

तहसील - खरगोन  
जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश

## (अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 5085/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र

दिनांक : 23/07/2016

प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/440/0104/10522/2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द साँवले पुत्र श्री राजाराम साँवले (पिता) एवं श्रीमती लक्ष्मी साँवले (माता) ग्राम रनगाँव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) बलाई जाति के सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 4 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1951
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्री अरविन्द साँवले पुत्र श्री राजाराम साँवले सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम रनगाँव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के चिवासी हैं।

मूल जाति के पत्र पर प्रमाणित किया गया  
25/7/16

स्थान : खरगोन

दिनांक : 23/07/2016

आधार नंबर : 807603854982

समर्थन :

तहसील - खरगोन

महेन्द्रसिंह कवचे  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpdistrict.gov.in](http://www.mpdistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र संघना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्र RS/440/0104/10522/2016 के द्वारा वेबसाइट <http://mpdistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंट आउट वेबसाइट ([www.mpdistrict.gov.in](http://www.mpdistrict.gov.in)) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

व्याख्याती (जीव-विज्ञान)

दे. अ. शा. उरुकुष्ट मा. वि.  
क्र. 1, खरगोन (म.प्र.)

Self Attested  
Jawale  
25/7/16  
होस्त सेवा केंद्र  
खरगोन (म.प्र.)



संघवी, खरगोन  
कार्यालय तहसीलदार (खरगोन) खरगोन (म.प्र.)

914 B-121  
17/11/16

यह प्रमाणित किया जाता है कि अरविंद कुमार  
आत्मज/अत्मजा श्री शालाराम सावले ग्राम राणखोल  
तहसील खरगोन जिला प. निमाड का निवासी है क्योंकि :-

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ / हुई है अथवा
2. वह पालक वैध अधिभावक म.प्र. में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रहा है  
अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत/नियुक्त कर्मचारी है।
4. वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं। इसके अतिरिक्त
5. उसने अपनी शिक्षा म. प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। अथवा
6. उसने म. प्र. स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- क - उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- ख - आठवीं कक्षा की परीक्षा
- ग - पांचवी कक्षा की परीक्षा

*[Signature]*  
प्राधिकृत/अधिकृत  
तहसीलदार, खरगोन (म.प्र.)

नोट - जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

5 देखाकेन ले  
प्रमाणित किया गया  
*[Signature]*  
25/7/16

*[Signature]*  
व्याख्याता (जीव-विज्ञान)  
दे. अ. शा. उत्कृष्ट उ. मा. वि.,  
क्र. 1, खरगोन (म.प्र.)

Self Attested  
*[Signature]*  
25/7/16

4

परिशिष्ट-तीन

(नियम क्र.8 (1) देखें)

# कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जौरा जिला भुरैना मध्यप्रदेश

क्र. 2134  
प्रमाण पत्र क्र. 17/31200

2134वी121  
प्रकरण क्र. 2000-2001

## जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी गोरे सिंह पिता/प्रति  
 का नाम श्री रामसिंह निवासी ग्राम/वार्ड मानपुर वि. खं. श्री पहाड़ा  
 तहसील जौरा जिला भुरैना संभाग धम्बल जाति/जनजाति का/की  
 सदस्य है। और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के  
 संबन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। और यह  
सहरिया (आदि) जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम  
 1978 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 42 पर अंकित है अतः  
 श्री/श्रीमती/कुमारी गोरे सिंह पिता/प्रति का नाम श्री रामसिंह अनुसूचित  
 जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी गोरे सिंह  
 के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

सत्यप्रतिपत्ति  
21/02/05

दिनांक  
गोरे सिंह

(सील)

प्रमाणीकृत अधिकारी का नाम  
...  
 पदनाम  
...

गोरे सिंह



कृष्यप्रदेश मूल निवारी

Swastik

कृषि तटसीलकृषि जीव विज्ञान मुद्रा (म.प्र.)

**प्रमाण-पत्र**

पु.प्र. की श. - 280, 2005-2003 दि. 28/11/02



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी गौरी सिंह  
मातृज/पत्नी/आत्मजा श्री रामसिंह  
ग्राम भा.पुर तहसील जारा जिला/का  
निवासी है क्योंकि वह

- (१) म.प्र. में पैदा हुआ है /हुई है अथवा
- (२) वह पालक/वैद्य अभिभावक म.प्र. में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है अथवा
- (३) उसके पालकों से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो म.प्र. में सेवारत है अथवा
- (४) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अस्थाई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते है।

इसके अतिरिक्त

- (१) उसने अपनी शिक्षा म.प्र. में स्थिति किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।
- (२) उसने म.प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।

रसिंह

- (क) उच्च माध्यमिक परीक्षा
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा 37/1994
- (घ) चौथी कक्षा की परीक्षा 54/1991
- (घ) हाई स्कूल (मैट्रिक) परीक्षा 683 अक्टूबर/1991

सत्यप्रतिनिधि  
*(Signature)*  
2/12/05

तहसीलदार  
जारा जीव विज्ञान मुद्रा (म.प्र.)

टीप : जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जाये।

कृषि विभाग कृषि विज्ञान (न्यायिक)  
च. प्र. प्रदूषण निरोधक  
जारा

पर नाम सील

114  
दस्तावेज नं. २३८६

डा० स. नं. ११२३

नगर निगम शिक्षा विभाग, जबलपुर

❧ ट्रांसफर सर्टीफिकेट ❧

सर्टीफिकेट लिख दिया कि लड़की का नाम गीता वाई

पिता का नाम श्याम लाल जाति होरजन जबलपुर

तहसील जबलपुर में तारीख १५/१/६२ से तारीख ३१/६/६४ तक

दाखिल रही और स्कूल की तारीख X तक की सब तारीख चुकाकर

११/६/६४ को स्कूल छोड़ी है। स्कूल रजिस्टर के अनुसार उसकी जन्म

तारीख ११/६/६४ (अक्षरों में एक जुलाई सन् चौसठ

उसे माता का टीका ल गा है। माता निकल चुकी है।

वार्षिक परीक्षा में तीसरी कक्षा में सन् १६/६६ में तरक्की पाई

उसका नाम कक्षा चौथी में दर्ज था। उसका आवरण अच्छा था।

तारीख ६.६.६९

हस्ताक्षर शान्ती जायसवाल  
अधिसूचना  
पुणेवाला दरवा पाथर नं० २  
जबलपुर

नोट:- जन्म तारीख व कक्षा अक्षरों में लिखी जावे।

सहायक सचिव  
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
जबलपुर - 4

जामा मस्जिद

जामा मस्जिद के पास शिवपुरी।

जाति प्रमाण-पत्र

(1) - 302

1/1987

मैं आपकी जातिकारी का अधिकार प्रमाणित करता हूँ कि

श्रीमान श्री [Name] [Address] [District]

पास/आहरणा [Address] [District]

जिला [District] [State]

की जाति [Caste] [State]

सिमान सूची के अनुसार [Caste] [State] पर मान्यता प्राप्त है।

[Signature] [Date]

(30)

प्रमाणित किया जाता है कि...

कृषि - कृषि/अधिस/नगरीय/पंचायत/...

प्रमाणित किया जाता है...

...

...

...

...

...

...

Organiser  
Welfare  
District - Ujjain

# जाति प्रमाण-पत्र

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि :-

श्री / श्रीमती / कुमारी..... शोभा देवी .....

पुत्र / पुत्री / पत्नी..... पति डा. अमरनाथ देवी .....

स्वास्थ्य निवास..... प्लॉट नं. 421 गीताम नगर मर्मदा अंधक  
पास्त (2250) है।

श्री / श्रीमती / कुमारी..... शोभा देवी .....

जाति..... भहार .....

उत्पत्ति..... होरे उत्तकी उपजाति .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....

उत्पत्ति..... होरे .....



हस्ताक्षरित सहस्रीलदार  
पूरा नाम सहस्रीलदार  
सहस्रीलदार (सोपाल)

नोट-यह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छाहवृत्ति मुख्यतः सप्रमाण पत्र के आधार पर ही जाती है, अतः प्रमाणपत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम एवं पद को सुदृढ़ अवश्य लगायें।

जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम हैं

- १- संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
- २- जिला कलेक्टर
- ३- परिवोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें
- ४- उपसंचालक, आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ५- जिला संचालक, जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ६- विकास सचिव अधिकारी कौशल संचालक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ७- सहायक अधिकारी (सिस्ट्रट)
- ८- म्युनिसिपल कोसलर
- ९- सहस्रीलदार / नायब सहस्रीलदार
- १०- जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच
- ११- मण्डल संचालक, आदिम जाति कल्याण, हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण

जाति विकसन, सोपाल कोन : ७४७६०

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, शहपुरा  
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

परिशिष्ट - तीन  
(नियम क्र. 8 (1) देखें)

अनुभाग - शहपुरा जिला - डिण्डोरी मध्यप्रदेश

प्रमाण पत्र क्रमांक.....57.....

प्रकरण क्रमांक. 533

पुस्तक क्रं. ....05....

स्थायी प्रमाण पत्र  
जाति प्रमाण पत्र

Code No. 2  
Tahsil Shahpura  
Dist.-Dindori (M.P.)

8121-07-00

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी राधा सिंह धुवे

पिता/पति का नाम लोहर मेन निवासी ग्राम/नगर सुरजपुरा वि.ख

शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी संभाग जबलपुर ज्मति/ जनजाति का / की सदस्य है और इस

ज्मति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित

जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह लोहर ज्मति-जनजाति अनुसूचित

जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 03 पर

अंकित है, अतः श्री/श्रीमति/कुमारी राधा सिंह धुवे पिता/पति का नाम

लोहर मेन अनुसूचित ज्मति/जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी के परिवार

की कुल वार्षिक आय रुपये हैं।

1/7/08

अनुविभागीय अधिकारी  
प्रमाणित किया जाता है  
पदनाम

श्री/श्रीमति/कुमारी  
आय की

श्री/श्रीमति/कुमारी  
13.7.016





केजीव कार्यालय,  
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
30, ई. कालोनी,  
उज्जैन.

Control

41

40

यमागा - 4N

दिनांक  
२१/११/९३

यमागा किमा जाणू व किमा मीने रेली  
मिना झरना लालजी जाणी भाट ठाणुर निमा  
जाणू नवाखणी का ठाणुर हलका  
या ल - यलन देवळा व ११ फा २६  
मिखडी पत्र ~~मि~~ जाणू व

प्रशासक  
ग्राम संचायक नगर  
विकास अण्डर

अगला नवीकरण कब होना हें (जिल्हाधिकारी मित्तीपत्रा अकरा स्तंभपर  
(महीना और वर्ष) अक्टोबर 1993 उज्जैन [म. प्र.]

उज्जैन .

// सीटिंग //

11/1



केंद्रीय कार्यालय,  
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
30, म. कालोनी,  
उज्जैन.

42

41

Preven & Control

शामामुई-६०६-१०- लाई-३-१०  
X-10  
XXXVI-N.E.S.  
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश  
रोजगार कार्यालय  
श्रेणी-अ.जा./अ.ज.जा./भू.सं.वि/  
**पहचान-पत्र**  
(यह नियोजकों के साथ साक्षात्कार के लिये परिचय-पत्र नहीं है)

१. नाम मे. कालोनी चन्देसुर जन्म तिथि 44-04-72
२. पंजीकरण की तारीख 22-8-1990
३. पंजीकरण की संख्या 4694/90
४. योग्यताएं 8 वी
५. एन. सी. ऑ. कांड सं. X02/0
६. व्यवसाय स्वामित्व व्यवसाय

७. पहचान का प्रमुख निशान \_\_\_\_\_  
(आवदक के हस्ताक्षर) मे. कालोनी चन्देसुर (अध्यक्ष) 8150

अगला नवीकरण कब होना है \_\_\_\_\_  
(महीना और वर्ष) अक्टूबर 1993 उज्जैन | म. प्र. प्र. बोर्ड

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उज्जैन.

1101

परिशिष्ट-तीन  
(नियम क्र. 8(1) देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (अनुसूचित जात) विभागीय अधिकारी

(राजस्व) कांजी

अनुभाग कांजी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

434 B14  
प्रकरण क्रमांक..... 03

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

**जाति प्रमाण-पत्र**

स्थाई

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी महेन्द्र कुमार पिता/पति का नाम यशवन्तराव निवासी ग्राम/नगर चोरी घुसमारा वि.ख. कांजी तहसील कांजी जिला बालाघाट संभाग जबलपुर जाति/जन्मजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जन्मजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्मजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह महार जाति/जन्मजाति/अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 36 पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी महेन्द्र कुमार पिता/पति/का नाम यशवन्तराव अनुसूचित जाति/जन्मजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी यशवन्तराव के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 106996/- है



दिनांक.....

[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
कांजी

(सील)

[Signature]  
PRINCIPAL  
Govt. High School  
Kachnari, Balaghat (M.P.)  
Govt. High School  
Kachnari, Balaghat (M.P.)

सत्यापित प्रति  
[Signature]  
प्रशासनिक अधिकारी  
म.प्र. प्रवृत्तन नि.प्र.बोर्ड, भोपाल.  
म.प्र. प्रवृत्तन नि.प्र.बोर्ड, भोपाल.

[Signature]  
श्रीधर लाल सिंह यादव  
(राज्य प्रशासनिक सेवा में)  
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिवर्द्धन  
श्रीधर लाल सिंह यादव

(Digamdar)  
PRINCIPAL  
Lucky Shorthand & Typing Institute  
Ramgall, W.No. 20, Balaghat (M.P.)

(डी.ए.के. निभा)  
अध्यक्ष  
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिवर्द्धन  
श्रीधर लाल सिंह यादव संवातनालय, म.प्र.

**- प्रमाण-पत्र -**

**ब्यायालय**

तहसीलदार लॉजी  
राजस्व प्रकरण क्रमांक 666 बी १२१/वर्ष 1२0०0

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी सुहेलकुमार जागदेव  
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री यशवन्तराव जागदेव ग्राम ठावी घुसमण  
तहसील लॉजी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश का निवासी है।

व्योंकि वह :-

- १) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।  
अथवा
- २) वह पालक/वंध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है।  
अथवा
- ३) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा-निवृत्त कर्मचारी है।  
अथवा  
केन्द्रीय शासन कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।
- ४) वह स्वयं उसके पालक राज्य में पिछले ५ वर्षों से कोई अचल सम्पति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

**- इसके अतिरिक्त -**

- १) उनके अपनों शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण सस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्न की है।
- २) उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण सस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।
- क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- ख) आर्य समाज परीक्षा
- ग) उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा



दिनांक ०७.०७.२०००

टिप - जो असलू लागू न हो उन्हें काटे दिया जावे।

तहसीलदार  
राजस्व प्रकरण क्रमांक 666  
पद नाम एवं सील  
7-7-2000

जननों की राजस्वों के लिये सम्पर्क करे।  
गणेश रामटेककर दस्तावेज लेखक, लॉजी

*Attested*  
  
**PRINCIPAL**  
Gov. High School  
Kachnari, Balaghat (M.P.)

(सीता देवी सावित्री)  
**साक्षात्पति प्रति**  
  
प्रशासनिक अधिकारी  
म.प्र. प्रवृथण नि. अण बोर्ड, भोपाल

श्री घलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद  
राज्य कुलदण गिह जागदेव  
(राज्य प्रशासनिक दफ्तर म.प्र.)  
श्री घलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद  
राज्य कुलदण गिह जागदेव

(Digambara)  
**PRINCIPAL**  
Lucky Shorthand & Typing Institute  
Rangall, W.No. 20, Balaghat (M.P.)

(डी ए. के. निधी)  
अध्यक्ष  
श्री घलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद  
लोक शिक्षण संवातनालय, म.प्र.



(9) 5

**स्थायी प्रमाण-पत्र**

परिशिष्ट - तीम  
( नियम क्र. ८ (१) देखें )

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग ..... इंदौर ..... जिला ..... इंदौर ..... मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक .....  
प्रमाण-पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक 21/18121/04-05

**जाति प्रमाण - पत्र**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अक्लि राजौरिया .....  
..... पिता/प्रति का नाम श्री राम उसाद राजौरिया .....  
निवासी/ग्राम/नगर ..... इंदौर ..... वि.सं. ..... इंदौर ..... तहसील ..... इंदौर .....  
जिला ..... इंदौर ..... संभाग ..... इंदौर ..... जाति जनजाति का/की सदस्य है और  
इस जाति /जन्मजाति को संविधान के अनुच्छेद 349 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित  
जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह  
अनुसूचित (भारत) जाति/जन्मजाति/अनुसूचित जाति एवं जन्मजाति ( संशोधन ) अधिनियम 1996  
के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है। अतः श्री/  
श्रीमती/कुमारी ..... अक्लि राजौरिया .....  
पिता/प्रति का नाम श्री राम उसाद राजौरिया ..... अनुसूचित जाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... के परिवार की कुल वार्षिक आय  
रुपये ..... है।

दिनांक 26/10/04 .....



*[Handwritten Signature]*  
प्रमाणित किया जाता है  
इंदौर प्रमाणित किया जाता है  
इंदौर प्रमाणित किया जाता है

नीमा चिन्मिता पदा. प्रमाणी,  
.....  
नेहड़ बगर, इंदौर

प्रमाणित प्रति  
*[Handwritten Signature]*  
प्रमाणित किया जाता है  
प्रमाणित किया जाता है



(H) (6)

559 ✓

26/6/2002

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कु./श्री अवनि राजौरिया  
श्री आत्मजा/पत्नि/आत्मजा राम प्रसाद राजौरिया ग्राम रसीलपुर  
तहसील जिला मुरैना म. प्र. का  
निवासी है क्योंकि वह 201 डॉ. अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)

- अ) म.प्र. में पैदा हुआ है / हुई है / अथवा  
ब) वह / पालक / वैध अभिभावक / म.प्र. में निरंतर कम से कम १९ वर्ष से रह रहा है अथवा  
३) उसके पालकों में कोई राज्य शासन का सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म.प्र. में सेवारत है। अथवा  
४) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले ९ वर्षों से कोई अचल संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त -

- ५) वह स्वयं अपनी शिक्षा म. प्र. में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम ३ वर्ष तक प्राप्त की है।

अथवा

- ६) उसने म. प्र. में स्थित किसी भी शिक्षा संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा  
ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा  
ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

प्रमाणित प्रति

प्रमाणित अधिकारी  
प्रमुख निदेशक बोर्ड, भीपाल

नोया त्रिकिरण प्रसाद, प्रयागी,  
क. रा. बी. अम्बेडकर,  
नेहरू नगर, इंदौर

26/6/2002  
प्रमाणित अधिकारी  
पद, भीपाल

टीप - जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जावे।

स्थाई प्रमाण-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)  
अनुभाग \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ मध्यप्रदेश \_\_\_\_\_

पुस्तक क्रमांक \_\_\_\_\_  
प्रमाण-पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_

प्रकरण क्रमांक 8155/15  
8/11/15

**जाति प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आशा कुमारी  
पिता/पति का नाम स्व. हर्याम कुमार निवासी ग्राम/नगर बुना, पंचशूलिका  
बोपाल

विवेक पहला तहसील डुधूर जिला बोपाल  
सम्भाग बोपाल जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के  
अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विहित  
किया गया है। और यह जाटव जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संविधान  
अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक \_\_\_\_\_ पर अधिनियम  
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी आशा कुमारी पिता/पति का नाम स्व. हर्याम कुमार  
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है। इनका धर्म हिन्दू है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी आशा कुमारी  
के परिवार का कुल वार्षिक आय रुपये 12000 है।



प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी आशा कुमारी  
के परिवार का कुल वार्षिक आय रुपये 12000 है।

Attested by \_\_\_\_\_  
16/11/15

Junior Scientific Officer  
गुणता आश्वासन स्थापना (यु.सि.)  
Quality Assurance Estt. (WE)  
आ मंत्रालय (यु.आ.म.वि.), बोपाल  
Min. of Defence (DGQA), Bhopal

Attested by self  
Ashu  
16/11/15



कार्यालय जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 8957 (प्रमाण-पत्र)

भोपाल, दिनांक 29/9/2011

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती आशा कुमारी

आत्मजा/आत्मजाप्रति श्री स्व. शाम कुमार

पता स्व. नं. 230 प्रियदर्शिनिय नगर भोपाल

मध्यप्रदेश के निवासी है क्योंकि :-

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है, अथवा

2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है; अथवा

3. उसके पालकों में से राज्य शासन का समर्पित या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में पदस्थ हो, अथवा

4. वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अच्छे सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय चलाते हैं

5. वह अपने अतिरिक्त

6. अपने अपने शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक को हो, अथवा

7. अपने मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास को है :-

1. विचार माध्यमिक परीक्षा

2. आठवीं की परीक्षा

3. पंचवीं की परीक्षा

Attested by self

Aska

16/11/15

Attested by  
16/11/15

प्राधिकृत अधिकारी  
जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल

श्री सिंह J. SINGH  
जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी  
Junior Scientific Officer  
गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (म.प्र.)  
Quality Assurance Est. (M.P.)  
कार्यालय (ग.आ.प्र.नि.) भोपाल





6

परिशिष्ट - तीन  
(निर्देश क्र. 8 (1) देखें)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग - सागर, जिला-सागर (म.प्र.)

प्रक. क्र. 272  
बी.-121/2003-2004  
संकरण क्रमांक 121/2002-2003

जाति प्रमाण - पत्र

272/0121/2003-2004

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुं विजेता डाकुर  
आत्मज श्री कमल सिंह डाकुर निवासी ग्राम कडादा काजलपुर  
जिला/संभाग सागर मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो जाट जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के  
रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/  
पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमार्ग्य किया गया है।

श्री कमल सिंह डाकुर और या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश  
के जिला सागर संभाग सागर में निवास करता है।

1. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल सिंह डाकुर क्रीमीलेयर (सम्पन्न  
वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक  
360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8/9/93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन  
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ/7-26/93/1/आ. प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट इ की अनुसूची के  
कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रु. है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह म.प्र. राज्य में दिनांक को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक : 22/7/04



सील

22-7-04  
अनुविभागीय अधिकारी  
हस्ताक्षर  
प्राधिकृत अधिकारी का नाम  
पदनाम

महिला सोसायटी, फोटोकापी एवं स्टेशनरी, तहसीली प्रांगण, सागर

Attested By self  
Wijeta

Attested True Copy  
2

7

# कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

सुदर्शन प्रेम, गुना

टप्पा/तहसील..... ३७१..... जिला..... ३७१.....

प्र.क्र. ७२४/वी-१२१/वर्ष ०१०१/

दिनांक ५/१/२०१०

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु. विजला आर  
 पित्त/पति विजय सिंह निवासी देव चौकी  
 तहसील ३७१ जिला ३७१ मध्यप्रदेश, राज्य  
 शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील जाप.  
 दिनांक २४/१०/२०१० में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्र. (ii) की पूर्ति  
 करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2. प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप. क्रमांक ३१-४/२०१०/२४/९/९  
 दिनांक २४/१०/२०१० के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/अवयस्क  
 बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, म.प्र. के स्थानीय निवासी हैं।


- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. आवेदक की पत्नी का नाम.....   | आयु..... वर्ष है।           |
| 2. आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री | 1. लजिना का आयु २१ वर्ष है। |
|                                 | 2. .... आयु..... वर्ष है।   |
|                                 | 3. .... आयु..... वर्ष है।   |
|                                 | 4. .... आयु..... वर्ष है।   |
|                                 | 5. .... आयु..... वर्ष है।   |

टीप-यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में  
 साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्रहण नहीं होगा।  
 (आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

हस्ताक्षर  
 तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 तहसील.....  
 जिला.....

जो टीप लागू न हो काट दें।

Attested True copy Attested By self  
 Vijeta  
 16/11/2015



# Office of the Sub Divisional Officer, Revenue

Tehsil - Lahar  
District - Bhind, Madhya Pradesh

## CASTE CERTIFICATE OF SCHEDULED CASTE

Application No. 29749/B - 121/Caste Certificate  
Certificate No. : RS/420/0104/42687/2015

Dated : 18/08/2015

1. This is to certify that Shri **RAVINDRA SINGH SHAKYAWAR** Son of Shri **HARI DAS SHAKYAWAR** (Father) and Smt. **MUNNI DEVI** (Mother) Town **Mihona (NP)**, District **Bhind** of the State **Madhya Pradesh** belongs to the **Kori** Caste. His Caste is at Serial No. **31** in the list of **Scheduled Caste** notified for **Madhya Pradesh** under Article 341 of the constitution by :-

1. The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950.
2. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

2. Shri **RAVINDRA SINGH SHAKYAWAR** and/or his family ordinarily reside(s) in Town **Mihona (NP)** of District **Bhind** of the State **Madhya Pradesh**.

Place : Lahar  
District : Madhya Pradesh  
Date : 18/08/2015  
AADHAR No. :  
SSSM No. :



Tehsil - Lahar

*L K Pandey*  
L K Pandey  
Sub Divisional Officer (Revenue)

This is to certify that this certificate is downloaded from digitally signed document repository (<http://mpedistrict.gov.in>) of M.P. Government. Certificate is digitally signed by competent authority.  
This is recognized under IT Act 2000.  
This Certificate can be verified online using Registration No. RS/420/0104/42687/2015 from website (<http://mpedistrict.gov.in>).

[mpedistrict.gov.in/Public/ViewCertificateSP\\_Public.aspx?param=6blKH0+OSWISpWw9Ni8C3dsT932kKQEqF+2sx1C](http://mpedistrict.gov.in/Public/ViewCertificateSP_Public.aspx?param=6blKH0+OSWISpWw9Ni8C3dsT932kKQEqF+2sx1C)

*Medical Officer*  
Civil Hospital Gwalior

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,  
टप्पा/तहसील Mihona जिला भिण्ड

प्र.क्र. RS/420/0101/18623/2015 /बी-121/2015

दिनांक 18/08/2015



स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/क. रविन्द्र सिंह शाक्यवार पिता/पति हरी दास शाक्यवार निवासी मेहोना, Ward 014, Mihona (NP), Mihona, भिण्ड तहसील Mihona जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित जापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।  
\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 2/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

नोट :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी।

1/690

हस्ताक्षर  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार,  
तहसील Mihona  
जिला भिण्ड

लागू न होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/420/0101/18623/2015 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाईट lokseva.gov.in अथवा mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट www.mpedistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

श्री रविन्द्र सिंह शाक्यवार से पत्र जारी किया गया

20/08/15  
04-01-16

Q

Medical Officer  
Civil Hospital Gwalior

Handwritten signature

हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल

कार्यालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला - भोपाल ( प्र. म. )

"अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक सेवा में नियुक्ति के लिये" प्रस्तुत किये जाते हैं।

जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक 1196 / 1312 / 98 99 दिनांक 21/8/99

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुनेर सिंह मीना

जातमज/आत्मजा/श्रीमती श्री अवध नारायण मीना

निवासी/ग्राम/ म. नं. - 151 ग्राम चीचली बरगठ -

तहसील हुजूर भोपाल

जिला सम्भाग भोपाल में भोपाल राज्य म.प्र.

के निवासी है। जो मीना - पिछड़ा वर्ग जाति के हैं, जिसे

मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की

अधिसूचना क्रमांक एफ/8/5/पचोस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की अनुसूची में

मीना - पिछड़ा वर्ग क्रमांक 21 पर जाति / उपजाति

बनने समूह में अधिमान्य किया गया है।

श्री अवध नारायण मीना और/ या उनका परिवार सामान्यता म. प्र. के जिला भोपाल सम्भाग भोपाल में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवध नारायण मीना को

सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 एया. ( ए.सी.टी. ) दिनांक

08-09-93 द्वारा जारी सूची के कालम 3 में तथा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 7-26-93/91/ आ. प्र. दि. 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट-इ के

कालम



21/8/99  
आधिकारिक मुद्रा  
यह जाति प्रमाणित किया गया है।

कार्यालय जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

6065 (प्रमाण-पत्र)

भोपाल, दिनांक 2/8/99

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती सुनेर सिंह

ज/आत्मजा/पति श्री अवध नारायण

क्र. सं. 151 चिन्मयी नारायण कोलाह रोड भोपाल


प्रदेश के निवासी हैं क्योंकि :-

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है; अथवा
2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है; अथवा
3. उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हो तो मध्यप्रदेश में पदस्थ हो, अथवा
4. वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय देखते हैं,

परन्तु इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो, अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :-

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
2. आठवीं की परीक्षा
3. प्राथमिकी की परीक्षा



Handwritten signature of the District Collector.

प्रधान जिलाधिकारी,

जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

जायतिय विभालय, [आओजओको शाखा] जबतपुर

204 आओजओको/83/

जबतपुर, दिनांक 2/83

जाति प्रमाण पत्र  
-----

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री.....

..... जाति.....

..... जिला.....

के अंतर्गत आती है। वह जाति संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की 108 की धारा की उपधारा [2] के अंतर्गत 27 जुलाई 1977 मध्य प्रदेश राज्य के लिये घोषित है।

है प्रमाण पत्र श्री.....

संसद सदस्य/विधायक/संस्थान/तहसीलदार/पार्षद.....

के द्वारा प्रसारित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

*[Signature]*  
District Organizer  
Tribal & Harijan Welfare  
Jabalpur

मन्नेवार समाज जबलपुर । म० प्र० ।

कार्यालय : 6/8, दोकाना सिविल लाइन्स, जबलपुर

म० प्र० शासन पंजीयन पत्र क्रं. 3914 दि. 5-9-1974 द्वारा पंजीयन- म० प्र० मन्नेवार, समाज, धोपाल से सम्बद्धता प्राप्त क्रं० 31 दि. 31/3/1976 अनुसूचित जाति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था

-: जाति - प्रमाण - पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु - राजेश राव

----- सुपुत्र/पुत्र/सुपुत्री - रघुपानी राव -----

गाँव जबलपुर - जिला जबलपुर - राज्य का/की निवासी है जो मन्नेवार जाति का/की है। तथा इस संस्था का/की नियमित सदस्य/सदस्या है जिसे अनुसूचित जाति सूची संशोधन आदेश - 9-6-66 - के अंतर्गत मान्य किया गया है।

समाज प्रमाण-पत्र

पंजी. क्रं. 26-E वर्ष 9-1-73

पुष्परा  
(ज. प्र. मन्नेवार)  
समाज प्रधान  
(जबलपुर)

:: प्रमाण - पत्र ::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आज - राजेश राव

पिताश्री रघुपानी राव स्थान जबलपुर का निवासी

है। उसकी जाति मन्नेवार है जो कि संशोधन आदेश 9-6-66 में समाविष्ट

है। तद्वसील जबलपुर जिला जबलपुर के स्थायी निवासी है।

स्थान:- जबलपुर

दिनांक :-



प्रमाण पत्र  
.....

प्रकरण क्रमांक 909

वी/121 वर्ष 1982-83

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राजेश बाल

आर्यभट्ट/राजेश्वरी श्री राधुलाल शर्मा - गांव- राईल 2 (उत्तर)

पिबली/राजेश्वरी/राजेश्वरी मध्यप्रदेश का निवासी है क्योंकि यह :-

- 1- मध्यप्रदेश में निवासी हुआ है/होई है अथवा
- 2- यह पाठक/अध्यापक आश्रम/मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है अथवा

3- उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मी है अथवा

4- वह शिक्षा शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में निवासी है अथवा

5- वह स्वयं अथवा उसके पालक/पालकों में किसी पाठक/अध्यापक के रूप में कार्य करता है अथवा

अपनी/अपनी/अपनी उद्योग/कार्यवाही करती है।

इसके अतिरिक्त

उत्तरे अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष प्राप्त ही है अथवा

उत्तरे मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्त्री शिक्षण संस्था में निम्नलिखित

परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है :-

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

बालिका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

4 वी, स्त्री उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

तीसरी परीक्षा का आयु न हो उन्हें काट दिया जाये। 07/20

राजेश बाल के पिता श्री

प्रमाण पत्र 07/20

राजेश बाल के पिता श्री

प्रमाणित  
पुस्तक

//याचालय तहसीलदार, केडलारी//

परिशिष्ट-ब

अन्य पिछड़े वर्गों को शासनाय सेवा में नियुक्ति,

के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का

प्रारूप

प्रमाण-पत्र

राजपूरा-121/97-98

केडलारी, तिनकि

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री-

फूलचंद

आत्मज श्री- बैरीराय - - - - - तिनकि गांव- किता तिला/

संभाग तिनकि/जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो- पंवार - - - - - अंक-13-

जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिसूचना के/एच/-8-5/पचवात/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री- फूलचंद - - - - -

और/या उनका परिवार सामान्यतः म0प्र0 के जिला तिनकि संभाग जबलपुर में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री- फूलचंद - - - - -

क्रामादेशर शसम्पन्न वर्ग/व्यक्ति/वर्गों को श्रेणी नहीं आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र0 0360/2/22/93 तथा म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आपन क्र0 एफ-7-26/93/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ सलग्न परिशिष्ट "इ" का अनुसूची के कालम-3 में किया गया है।



तहसीलदार  
केडलारी

Sharad Nagrikar

Sharad Nagrikar  
Private Secretary  
Agriculture Production Commissioner  
Mantralaya

न्यायालय तहसीलदार केवलारी

## निवास प्रमाण-पत्र

रा० प्र० क्र० 675/बी-१२१/९७-९८

24

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी सुनंद  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री बलराम  
जाति पवार निवास ग्राम किरार तह०-केवलारी  
जिला-सिवनी म० प्र० का निवासी है, क्योंकि:-

१. मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है।

अथवा

२. वह/पालक वैध अभिभावक मध्य प्रदेश में निरंतर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है।

अथवा

३. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत था, सेवा निवृत्त कर्मचारी है। अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

४. वह स्वयं एवं उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त:-

१. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

अथवा

२. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (१०+२)

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) चौथी कक्षा की परीक्षा।

स्थान:- केवलारी



ना हो उसे काट दिया जावे।

केवलारी  
18/11/98

Attested

Sharad Nagrikar  
District Secretary  
Agriculture Production Commissioner  
Mantralaya

7

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक 474

प्रमाण-पत्र क्रमांक 67321

प्रकरण क्रमांक बी 121/2002

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सविता वर्मा प्रिता/पति  
का नाम विजेन्द्र कुमार वर्मा निवासी ग्राम/नगर बदरौव वि. ख. रीवा  
तहसील हुजूर जिला रीवा संभाग रीवा रीवा जाति/जनजाति का/

सम्बन्ध है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में  
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह मांझी

जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में

अनुक्रमांक 29 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी सविता वर्मा

प्रिता/पति/ का नाम विजेन्द्र कुमार वर्मा अनुसूचित जाति/जनजाति का है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी सविता वर्मा के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 2,14,500/- है।

दिनांक 1/10/2002



(सील)

[Signature]  
हस्ताक्षर  
प्रमाणित अधिकारी का नाम  
पदनाम

well

क्षेत्रीय अधिकारी  
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
उत्तरी कार्यालय रा.रा. (म. प्र.)

2/3/


8

राज्यपाल तहसीलदार तहसील..... इरु..... जिला..... सी.बी. म.प्र.  
प्र. क्र. .... /बी 121/ ..... दिनांक 9/07/10

## स्थानीय निवासी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सविता वर्मा  
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री स्व. विजय कुमार वर्मा निवासी इरु तार  
तहसील इरु जिला सी.बी. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के  
लिए निर्धारित मापदण्ड कांडिका क्र० ..... एवं क्र० ..... पूर्ण करने  
के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

- 1. (1) वह म.प्र. में पैदा हुआ है/हुई है, अथवा
- 2. (2) वह स्वयं अथवा उसका पालक/वेध अभिभावक म.प्र. में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर रह रहा है।  
अथवा
- 1. (3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत निवृत्त कर्मचारी है। अथवा
- 1. (4) उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन कर्मचारी है, अथवा
- 2. (5) वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/उद्योग/व्यवसाय है, एवं  
2. (1) उसने म.प्र. राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य  
के अंतर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
- 2. (2) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिये, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय  
की शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीडियट, हायर सेकेंडरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित  
की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा
- 2. (3) अन्य मामलों में पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा  
परंतु उपरोक्त शर्त क्र० 2 (1) से 2 (3) म.प्र. से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण  
लागू नहीं है :-
- 3. (1) वह अंधा/मूक/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, अथवा
- 3. (2) वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है  
एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है, अथवा
- 3. (3) वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्र. 1.2 की पूर्ति करते हैं, एवं
- 3. (1) वह अशिक्षित है, अथवा
- 3. (2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के संतान हैं एवं उनके  
द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
- (1) मध्यप्रदेश का आश्रित अथवा भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान/पत्नी/  
पति हैं, अथवा
- (2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी/पति हैं, अथवा
- (3) मध्यप्रदेश के विधायक या विधिक पदों पर महामहिम सत्तापति/राज्यपाल द्वारा नियुक्ति व्यक्तियों  
की संतान/पत्नी/पति हैं।



तहसील इरु तहसीलदार..... जिला सी.बी. (म.प्र.)  
पद सं. 121 (म. प्र.)


क्षेत्रीय अधिकारी  
म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय कार्यालय रावा (म० प्र०)

10  
28

# मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

क्र 4524/बी-12/09-10 दिनांक- 8-12-15

11



न्यायालय तहसीलदार तहसील.....लोहागुड़ा जिला.....शहडोल (म0प्र0)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....किशन वर्मा

आत्मज / आत्मजा / श्रीमती.....नाथूराम वर्मा

शहडोल तहसील.....लोहागुड़ा जिला.....शहडोल (म0प्र0)

के निवासी है क्योंकि-

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुए हैं। ✓
2. इनके मालिक वेध अभिभावक श्री / श्रीमती.....नाथूराम वर्मा के  
ग्राम / नगर.....चडमभिया खला तहसील.....लोहागुड़ा जिला.....शहडोल  
मध्यप्रदेश में वर्ष..... से वर्ष..... अर्थात् कम से कम  
पुल्लेनी निरन्तर रह रहे हैं।

3. मैं इनके पालकों में इनके माता/पिता.....  
आत्मज/पत्नी की..... मध्यप्रदेश राज्य शासन  
में सेवारत / सेवा निवृत्त कर्मचारी है।

4. केन्द्रीय शासन के पिता रेजर्वे विभाग के कार्यरत विभाग के कर्मचारी है जो वर्तमान  
समय में मध्यप्रदेश..... जिला में कार्यरत है।

मैं स्वयं इनके माता/पिता /पालकश्री/ श्रीमती.....  
मध्यप्रदेश नगर/ग्राम..... जिला..... में मध्यप्रदेश  
अचल सम्पत्ति उद्योग और व्यवसाय करते है। आवेदक के पिता के नाम रेजर्वे विभाग में पदस्थ है  
इसके अतिरिक्त इन्होंने मध्यप्रदेश के नगर /ग्राम..... के पाठशाला/विद्यालय में वर्ष.....  
से..... वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक  
परीक्षा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पाठशाला विद्यालय से पास की है।

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2007 राजपूत स्कूल अमरखोला
2. आठवी कक्षा की परीक्षा
3. चौथी कक्षा की परीक्षा


अपने पत्र/पत्रावली के प्रतिवेदन के आधार पर जारी

प्रमाणित अधिकारी  
शहडोल, म.प्र.

नोट :- जो अंश लागू न हों उसे काट दिया जावे।

पदनाम एवं सील

अलंकार मुद्रणालय शहडोल



26/12/15



# निवास प्रमाण-पत्र

86/  
16/7/90

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती अश्विनी देवी पटेल  
आत्मज/भातीजा/पत्नी श्री खालसीक पटेल ग्राम दरदा  
तहसील अमरपाटन जिला खजुराहो मध्यप्रदेश का निवासी।

क्योंकि वह :-

- १- मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है हाँ
- २- यह पालक बंध/अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहे हैं ०१

उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवा निवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन का कर्मचारी मध्यप्रदेश में सेवारत है अथवा

४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले ५ वर्षों से, पूरी मिली के ना का राज्य में कोई उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। 25.05 (का) मंगल है।

इसके अतिरिक्त :-

- १- उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थिति किसी भी शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है अथवा—
- २- उसने मध्यप्रदेश में स्थिति किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है—

- क- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। श्रीमती अश्विनी देवी माध्यमिक शिक्षा का परीक्षा
- ख- ल- आठवीं कक्षा परीक्षा। श्रीमती अश्विनी देवी माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा
- ग- चौथी कक्षा परीक्षा। श्रीमती अश्विनी देवी आठवीं कक्षा का परीक्षा

टीप : जो अंक लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

दिनांक 16/7/90

हस्ताक्षर एवं पद का नाम  
मय ...  
राज्य व्यवसाय, खजुराहो (ब.प्र.)



220

अनुसूचित जाति / जन जाति का प्रमाण पत्र

2614

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार ( राजेश कुमार )

आमज राजेश कुमार ... निवासी ग्राम हनुमानपुर ...

डाकखाना ... तहसील ... जिला ...

उत्तर प्रदेश के ... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है

जो अनुसूचित वर्ग अनुसूचित जनजाति आदेश [ संशोधन ] अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत

स्थापना प्राप्त है।

दिनांक 18-5-2012 मुहर-

श्री/श्रीमती/कुमारी ... और अनुसूचित जनजाति

परिचय ... गांव/नगर ... जिला ...

राज्य उत्तर प्रदेश में सामान्यता रहता है।

यह प्रमाण पत्र लेखपाल/मु.कानूनगो ... की आख्या पर दिया गया

... ह. तहसीलदार

( राज प्रसन्न उरई कोन-2514 )

133

# जाति प्रमाण-पत्र

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि :-

श्री / श्रीमती / कुमारी प्रेम लाल

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री राम सधाम

स्थायी निवाह संजय गौधी नगर 1100 कल्याणत अरेश

राजकोजी मोपाल

श्री / श्रीमती / कुमारी प्रेम लाल

जाति ब्राह्मण की है, और उसकी उपजाति \_\_\_\_\_

वयं डि-डू है।

जो म. प्र. शासन द्वारा घोषित संशोधन आदेश सन् 1958 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में मान्यता प्राप्त है।



हस्ताक्षर [Signature]  
पूरा नाम सहस्रीलदार एवं प्रशासक

नोट :- यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छात्र वृत्ति मुक्तता आदि प्रमाण-पत्र पर दी जाती है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम व पद की मोहर अवश्य लगायें।

जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सहमत हैं।

- 1- संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
- 2- जिला कलेक्टर
- 3- परियोजना अधिकारी/ एकीकृत आदिवासी हरिजन विकास परियोजनाएं
- 4- उप संचालक, आदिम जाति कल्याण विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- 5- जिला संयोजक, जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- 6- विकास सचिव अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- 7- प्रशासिक अधिकारी ( मजिस्ट्रेट )
- 8- म्युनिसिपल कॉमिश्नर
- 9- तहसीलदार, नायब तहसीलदार
- 10- जनदप अध्यक्ष, ग्राम संचायक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच
- 11- मण्डल संयोजक, आदिमजाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

Handwritten notes at the bottom left corner, including 'मार्क' and '11.11.11'.

Vertical text on the right margin, including '133', 'अंशुलार', 'मोवाठ', 'या', 'अंशुलार', '3', '11/09', 'उत्त', '12/2000', 'पद', 'पद'.

::: कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल :::

क्रमांक/ 2155 /93-94 भोपाल, दिनांक 21.7.65

X/ जाति प्रमाण-पत्र X/

श्री. रामचंद्र प्रसाद झा (पिता) एवं श्री. गणेश राय (पुत्र) विधायक

साधारण पर स्त्यापित किया जाता है कि श्री गणेश राय पुत्र/पुत्री/प्रांत श्री

निवासी जिला के मूल निवासी है तहसील जिला के मूल निवासी है तथा इनकी जाति का 2 व धर्म हिन्दु हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश 1976 के अनुसार संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार भोपाल जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक - 147/सी.आर/355/ दिनांक 08 जनवरी, 1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ जात्रवृत्ति/ राज्यशासन की आवश्यकता तक ही मान्य होगा।

सम जिला अधिकारी 11/32/05

Sub-Engineer (Select Grade) E.P. Sub-Div. No. 5 P.H.E. Dept. Bhopal

तहसीलदार हुजूर भोपाल 21/7/65

प्रभाग अधिकारी (स्थापना) प. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

5

कार्यालय, जिला अधक्ष, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश

क्रमांक..... प्रमाण पत्र

भोपाल, दिनांक 18/01/02

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ~~कुमार श्रीमती~~ ~~अहे~~ ~~शुभार~~.....

आत्मज/आत्मजा/पति श्री ~~शुभार~~ ~~राज~~.....

पता..... ~~वि. 24, नरार~~ ~~भोपाल~~.....


मध्य प्रदेश के निवासी है क्योंकि :-


- 1. वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, अथवा
- 2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है, अथवा
- 3. उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हो तो मध्य प्रदेश में पदस्थ हो, अथवा
- 4. वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा देवते है,

इसके अतिरिक्त


- 1. उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो, अथवा
- 2. उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :-

- 1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- 2. आठवीं की परीक्षा
- 3. चौथी की परीक्षा

सत्यप्रतिनिधि  




Sub-Engineer  
(Select Grade)  
C.P. Sub-En. No 5

  
उप-जिला अधक्ष  
प्राथमिक शिक्षण विभाग, भोपाल

सबुभाग अधिकारी (स्वायत्त)  
न. व. प्रवृत्तन नियंत्रण बोर्ड,  
भोपाल

(4)

कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुजर, जिला भोपाल ॥म०प्र०॥

क्रमांक ..... 3003 .....

भोपाल, दिनांक 21/1/193

जाति प्रमाण-पत्र

श्री रामप्रसाद, निवासी हुजर तहसील, जिला भोपाल  
विराजपत्रित अधिकारी

के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि श्री 0. रामप्रसाद पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री 1. विराजपत्रित निवासी हुजर तहसील, जिला भोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति कौशिक व धर्म हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश 1 अक्टूबर 1976 के अनुसार जाति भोपाल जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 14/सी/आर/355/11/13 दिनांक 8 जनवरी 1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उत्तरवृत्ति राज्यशासन की नौकरियों तक ही मान्य होगा।



"सील"

हस्ताक्षर तहसीलदार हुजर, जिला भोपाल

सत्यप्रति लिपि

True copy Attested

Handwritten signature

19/1/2003 सह-प्रक यंत्री (हिवाइन)

बहुभाषी अधिकारी (स्थापना) जल संसाधन विभाग, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता

ब. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक. 6 (प्रमाण-पत्र)

भोपाल, दिनांक 12/12/03

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुसुमी/श्रीमती अमृता देवी

आत्मज/अनुज/भ्राता/भ्रातृश्री शालिमार शर्मा

पता 10 मोडे पुरा भोपाल  
मध्यप्रदेश के निवासी है क्योंकि :-

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है; अथवा
2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है; अथवा
3. उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हो तो मध्यप्रदेश में पदस्थ हो, अथवा
4. वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा देखते हैं.

इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो; अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :-

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

2. आठवीं की परीक्षा

3. चौथी की परीक्षा

प्रतिनिधि  
11/102

अधिकारी (स्थापना)  
प्रमाणन नियम बोर्ड,  
भोपाल

True copy attested  
Shreey  
10/9/03

हय जिलाध्यक्ष  
महोदय, भोपाल  
भोपाल.

श्री राजेश कुमार दत्त

69

46

5

कार्यालय ब्लॉक ऑफ आदिम जाति, कलपाथ, बेल

क्रमांक: - आ 02/080/वा प्र जा 02/05न/87/10      दिनांक 21/1/87

आदिम जाति प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार दत्त, निवासी [...], जिला बेल का आदिम जाति प्रमाणित है जिसे अनुसूचित जाति/प्रजाति अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जाति माना गया है।

जो ब्लॉक द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाणित है।

जिला सचिव,  
आदिम जाति कलपाथ  
बेल

//सोपादव//

श्री राजेश कुमार दत्त  
युवाक 2 प्रमाणित  
4/1/87 पर 48 अक्षर  
6/4/94 - क्रि. नं. 12  
Vanshakar  
30.3.94

ग्रहण के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

प्रशासकीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुन्नर जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक..... 1079 / 18-83

भोपाल दिनांक 26/5/83

**-: जाति प्रमाण-पत्र :-**

श्री श्री. मधु. शिवाजी. शर्मा निवासी ...  
पुत्र ... राजपूत अधिकारी

के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि श्री ...  
पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवास 1250 इन्द्रावती - जिला भोपाल तहसील हुन्नर  
जिला भोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति ... व वंश ... है।


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1986 के अनुसार ... भोपाल जिले में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग क्रमांक 14 सी/आर/342/11(3) दिनांक 6 जनवरी 1982 द्वारा राजपूत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का प्रवृत्ति राज्य शासन की नोक-रियों तक ही मान्य होगी।



...  
तहसीलदार  
तहसील हुन्नर जिला भोपाल  
कार्यपालक दफ्तराधिकारी  
तहसील हुन्नर (भोपाल)





पुस्तकालय



पुस्तकालय

पुस्तकालय

पुस्तकालय

पुस्तकालय

पुस्तकालय

पुस्तकालय



श्रीमती अयोव्या देवी

(174)

(4)

156

कार्यालय तहसीलदार, तहसील गोहरगंज जिला रायचूर (म० प्र०)

# जाति प्रमाण-पत्र

श्री.....

विधायक..... एवं राजपत्रित अधिकारी

के आधार पर सत्यापित किया है, कि श्रीमती अयोव्या देवी  
पुत्र श्री..... निवासी (आकलनपुर) धारा 6  
तहसील गोहरगंज जिला रायचूर के मूल  
निवासी है तथा इनकी जाति गोहर (हादिवासी)  
व धर्म के हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)  
अधिनियम 1966 के अनुसार रायचूर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में  
सन्मिलित है।

म० प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 18/सी/  
धार/355/11 (8) दिनांक 5 जनवरी 1962 द्वारा राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति/राज्य शासन की  
कार्रवाई तक ही मान्य होगा।

सील

27/7/64

Handwritten signature

अध्यक्ष तहसीलदार  
तहसीलदार

**मूल निवास प्रमाण-पत्र २०४ बी१२९**

३४५४६

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शुभारी/श्रीमती श्रीमती  
 आत्मजा/आत्मजा/पत्नी श्री श्रीमती का नाम श्रीमती  
 तहसील श्रीमती जिला श्रीमती मध्य प्रदेश का मूल निवासी है।  
 क्योंकि वह :-

- (१) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/है/है
- (२) वह/पालक बेटे/बिभावना भव्यकला में निरन्तर कम से कम २५ वर्षों से रह रहा है।
- (३) उसके पालकों में से कोई राज्य यासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी के पद पर में केन्द्रीय शासन कर्मचारी मध्य प्रदेश में सेवारत है अथवा यह स्वतंत्र अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों में कोई राज्य संपत्ति उत्थान अथवा व्ययसाप रखते है।
- (४) इसके अतिरिक्त :-
  - (१) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है अथवा :-
  - (२) उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था के निम्नलिखित परिणामों में कम से कम एक परीक्षा पास की है :-
    - (क) एकवर्षीय माध्यमिक परीक्षा।
    - (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।
    - (ग) दसवीं कक्षा की परीक्षा।

टीप - जो अंक लाभ न हो उसे काट दिया जाय।

**हस्ताक्षर**  
**उप तहसील अधिकारी**  
 जिला सतना (म.प्र.)

दिनांक २९/११/१९

महाराष्ट्र  
 राजधानी  
 पुणे  
 श्री. अ. अ. अ.  
 श्री. अ. अ. अ.

महाराष्ट्र  
 राजधानी

200

# कार्यालय ग्राम पंचायत, पारा

विकास खण्ड रामा, जिला झाबुआ [म. प्र.]


अनु. क्र० 117

## प्रमाण-पत्र


दिनांक 14-1-95

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ~~जंगी लाल खरिया~~  
 पिता ~~श्री शंकरलाल~~ निवासी ~~ग्राम खंडवलपुर (पारा)~~  
 का होकर ग्राम ~~पंचायत-पारा~~ का स्थाई निवासी है।  
 इनकी जाति ~~श्रील (मंजः जा)~~ उप जाति ~~खरिया~~  
 है।

प्रार्थी की मांग पर कार्यालय से जारी किया गया।



हस्ताक्षर ग्राम सहायक  
ग्राम पंचायत, पारा



सरपंच  
ग्राम पंचायत, पारा

5

कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

क्रमांक 21252/98

दिनांक 4/3/98

# निवास प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कू. उज्वलेश कुमार  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री रामशुभाभ .....

निवासी ख. 8 ~~पूना महल हुजूर भोपाल~~  
भोपाल के हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कू. उज्वलेश कुमार  
भोपाल में विगत 05 ~~पाँच~~ वर्षों से निरन्तर रूप से रह रहे हैं।

यह निवास प्रमाण-पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, आवेदन-पत्र एवं  
अन्य दस्ता के आधार पर जारी किया गया।

स्थान - भोपाल  
दिनांक



[Signature]  
नायक उज्वलेश कुमार  
तहसीलदार एवं आवास अधिकारी  
हस्ता. उज्वलेश कुमार  
भोपाल

श्री मंजीव कुमार मेहरा

93

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

कलेक्टर (प्रमाणपत्र शाखा) दुर्ग

### जाति का प्रमाण - पत्र

क 92626 / 8222 / 22

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती मंजीव कुमार मेहरा  
सुपुत्र/पत्नी सुश्री रेशमसिंहविद्याम व पो. आ. डुर्ग  
तहसील व जिला डुर्ग संभाग रायपुर राज्य संघ राज्य क्षेत्र म. प्र.  
जाति मेहरा समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

सविधान "अनुसूचित जाति/आदेश 1950" ✓

सविधान "अनुसूचित आदिम जाति/आदेश 1950" ✗

श्री/श्रीमती मंजीव कुमार मेहरा और अथवा

उनका परिवार काटिया ग्राम व पो. आ. डुर्ग  
तहसील व जिला डुर्ग संभाग रायपुर राज्य संघ राज्य क्षेत्र  
मध्य प्रदेश में सामान्यतया रहता है।

स्थान  
राज्य संघ/राज्य क्षेत्र



Dy. Col.  
District Collector, Raipur  
हस्ताक्षर  
8/2

दिनांक 2/92/22

नोट- कृपया उन शब्दों को हटा दीजिए जो लागू नहीं हैं।

विशेष ध्यान दें- यहाँ प्रयुक्त सामान्यतया ही शब्दों का अर्थ नहीं होगा जो पाल प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 की धारा 190 में है।





कार्यालय

# जाति का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी

पिता/पति वर्दी राम निवासी लायाडी है।

जिसकी जाति ब्राह्मण धर्म हिन्दू है। जो अनुमोचित जाति-संश्लेषण है। जो सिड्पूल ट्राइव लिस्ट मोडिफिकेशन आदेश १९५६ एच पठित सिड्पूल कास्ट ट्राइव आदेश अमेण्डमेंट एक्ट १९५६ के अन्तर्गत सम्मिलित है।

अथवा

म. प्र. शासन द्वारा सन् १९६२ से गिळडे वर्ग में घोषित है। जो अंश लागू न हो काट दिया।

यह प्रमाण-पत्र लायाडी के शपथ पत्र/सांसद/विधायक/वाड

समर्थन ग्राम पंचायत

के प्रमाण-पत्र के आधार पर आज दिनांक 2-9/3/89 को मेरे हस्ताक्षर-व मुद्रा से दिया गया है।

कार्यालय की मुद्रा

दिनांक 2-9/3/89

हस्ताक्षर हस्ताक्षर/राजक्यूट द्वारा



## माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रमाणपत्र-सह-अंकसूची स.क्र. 305/51

हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (१०+२), १९८९

नेत्र संख्या 2225/ PR

MARCH-APRIL, 1989

281434

गैर-अंकित

प्रमाणित किया जाता है कि

SRI MOHAN LAL SINDAL

श्री. VARDI RAM SINDAL

SON OF

जिनकी जन्मतिथि

09.09.1967 NINTH SEPTEMBER SIXTY SEVEN

पिता/पति/स्वध्यायी छात्र/छात्रा के रूप में इस मण्डल की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में

संस्था/केन्द्र GOVT H S SCHOOL KHACHROAD (UJJAIN)

सम्मिलित हुए/हुई व निम्नांकित विषयों में उनके सम्मुख अंकित प्राप्तांक अर्जित किये

विषय	अधिकतम अंक	युनिक आंशिक	प्राप्तांक				योग	ग्रेड
			प्रथम परीक्षा	द्वितीय परीक्षा	योग	प्रयोगिक		
HINDI	100	33	17	27	44	-	44	
SPECIAL ENGLISH	50	17	17	-	17	-	17	
GENERAL ENGLISH	50	17	18	-	18	-	18	
MATHEMATICS	150	50	31	08	39	20	59	
SCIENCE	150	50	09	15	24	20	44	
SOCIAL SCIENCES	150	50	37	28	65	20	85	
योग	650	200	108	50	156	60	227	
परीक्षाफल: <b>PASS IN THIRD DIVISION</b>								227

SOCIALLY USEFUL PRODUCTIVE WORK  
PHYSICAL & MORAL EDUCATION

परीक्षाफल: **PASS IN THIRD DIVISION**

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

५७८ १६९  
 ५७९ १७०  
 ५८० १७१  
 ५८१ १७२  
 ५८२ १७३

श्री अटॉलत श्रीमान्

जिला शिक्षा तहसील राउतगढ़ी

तहसील राउतगढ़ी

जिला रोहतास (उ०प्र०)

442

प्र० क्रमांक

दिनांक 9/2/59

वर्ष 1959 दिनांक 26-6-59

# निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री रजय 442

आत्मन श्री रजय प्रसाद निवासी उदा गढ़ी तहसील राउतगढ़ी  
जिला रोहतास म० प्र० के निवासी हैं क्योंकि वह—

- 1- मध्य प्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।
- 2- इनके पालक, वधु अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम 11 वर्ष से रहते हैं/अथवा नहीं।
- 3- उनके पालकों से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा के निवृत्त कर्मचारी हैं/अथवा नहीं।
- 4- केन्द्रीय शासन का कर्मचारी मध्य प्रदेश में संचालित है, अथवा/नहीं।
- 5- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई व्यवसाय उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त—

स्त्री मजदूरी

- 1- उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है अथवा/नहीं।
- 2- उसने म० प्र० में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- 1- उच्च माध्यमिक परीक्षा 217 उच्च विद्यालय लहरी
- 2- आठवीं की परीक्षा 217 वि० वि० जूलहा
- 3- चौथी कक्षा की परीक्षा 217 वि० वि० जूलहा

दिनांक 9/6/59

सुदरक-युवराज प्रेस, रोहतास।

श्री विद्या अधिकारी

FOR SECRETARY

## पिछड़े वर्ग / जाति का प्रमाण पत्र

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता/करती हूँ कि—

- (१) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... शिवसिंह हाडुर  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... श्री दीवानसिंह हाडुर  
 का स्थायी निवास ..... बलारपुर मुख पो. बलारपुर  
 सहज व जिला ..... कर्नाट (म.प्र.) है।
- (२) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... शिवसिंह हाडुर ..... को  
 जाति ..... हाडुर है, और इनकी उपजाति ..... लोधी  
 तथा इनका धर्म ..... हिन्दू है जो म० प्र० शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की  
 सूची में सम्मिलित है।

हस्ताक्षर .....

पूरा पता .....

पदनाम एवं मुहर .....

नोट—ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे, जिन पर प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को मुहर नहीं होगी।

जाति संबंधी प्रमाण देने के लिए निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासक अधिकारी सक्षम हैं—

- (१) संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य
- (२) जिला कलेक्टर
- (३) परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ
- (४) उप संचालक, आ. जा. क. हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- (५) जिला संयोजक, " " " "
- (६) मंडल संयोजक, " " " "
- (७) विकास खंड अधिकारी / क्षेत्र संयोजक " " "
- (८) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट)
- (९) तहसीलदार / नायब तहसीलदार
- (१०) म्युनिसिपल कौंसिलर
- (११) जनपद अध्यक्ष / ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत सरपंच

छपे फार्म मिलने का पता—स्टूडेंट्स बुक स्टोर्स, ग्रन्थेखेव, जबलपुर।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग मण्डला जिला मंडला (मध्यप्रदेश)

4

पुस्तक क्रमांक 653  
05272  
प्रमाण पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक 506  
(B-121) 03/04

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
जाति प्रमाण - पत्र

स्थायी

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी विकास बाबू  
पिता/पति का नाम सुरेश प्रसाद  
निवासी/ग्राम/नगर रीयगांव वि.खण्ड मोहगांव तहसील  
मंडला जिला मंडला संभाग जबलपुर जाति जनजाति का/की  
सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के  
में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह बौद्ध  
जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत  
म.प्र. को सूची में अनुक्रमांक 3 पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी  
विकास बाबू पिता/पति का नाम

सुरेश प्रसाद अनुसूचित जाति/जनजाति का की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी विकास बाबू  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 60,000-00 है।

स्थान मंडला

दिनांक 15/7/04



अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व) मण्डला  
अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व)  
मण्डला/बिड़िया/नेनपुर/निर्वास  
जिला- मण्डला

(सील)

Sub Divisional Officer  
E/M Sub Dn No 7  
Bargi Nagar Jabalpur

सत्यापित प्रति

अधिकारी  
म.प्र. प्रमुख संरक्षण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

जिला मण्डला तहसील मण्डला

कार्यालय कार्यपालन दण्डाधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी

मूल निवासी प्रमाण पत्र

प्रकरण क्र. 4801 /0121/2002-03

दिनांक 28-Apr-03

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास बाबू

पिता का नाम श्री सुरेश प्रसाद

जिला वर्तमान निवास है जयपुर

ग्राम रथगांव जंर तहसील मण्डला जिला मण्डला

मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी है क्योंकि:

- वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है (अथवा)
- उसके पालक या वेध अभिभावक निरंतर 15 वर्ष से राज्य में रह रहे हैं (अथवा)
- उसके पालक राज्य शासन के स्थायी सेवा से सेवानिवृत्त कार्यकारी हैं (अथवा)
- वह केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो राज्य में सेवामें है (अथवा)
- स्वयं अथवा पालक राज्य में 5 वर्ष से कार्य/व्यवसाय कर रहे हैं अथवा चल/अचल संपत्ति है

इसके अतिरिक्त / अथवा:

- उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त की है
- उसने मद्र में स्थित शिक्षण संस्था से 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है

वर्ष 2001 रोल नं. 17135447 सरभा शास.हा.से.स्कूल बरगौनगर जबलपुर

प्रमाण पत्र निम्न प्रमाणित होने जारी किया गया  
नौकरी हेतु



यह  
तहसीलदार  
नाम, मंद व ताल  
मण्डला

जिस दिन आओ वस्तु दिन पाओ प्रणाली से जारी

28-Apr-03 10:10:14

Software by IT3501

Sub Divisional Officer  
E/M Sub Dn No 7  
Bargi Nagar Jabalpur

सत्यापित प्रति  
प्रशासकीय अधिकारी  
म.प्र. प्रवृत्त नियंत्रण बोर्ड, मोपा

# न्यायालय श्री के. के. त्रिपाठी

नायब तहसीलदार करेजी

## पिछड़े वर्ग/जाति का प्रमाण पत्र

में पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता / करती हूँ कि-

करेजी दिनांक 20/3/21

(१) श्री/श्रीमति/कुमारी ... .. सन्तोष कुमार ... ..  
 पुत्र/पुत्री प्रती ... .. श्री पतिराम ... ..  
 का स्थायी निवास ... .. सिमरिया कला ... ..  
 ... .. हैं।

(२) श्री/श्रीमति/कुमारी ... .. सन्तोष कुमार ... .. की  
 जाति ... .. कोडरा ... .. है, और इनकी उपजाति ... .. गोल्डम ... ..  
 तथा इनका धर्म ... .. है जो म. प्र. शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की  
 सूची में सम्मिलित है।

हस्ताक्षर ... ..  
 (के. के. त्रिपाठी)  
 पदनाम एवं मुहर ... .. करेजी ... ..



नोट: प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे, जिन पर प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी की मुहर नहीं होगी।

जाति संबंधी प्रमाण देने के लिए निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासक अधिकारी सक्षम हैं—

- (१) संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य
- (२) जिला कलेक्टर
- (३) परियोजना अधिकारी, एकीकृत अ. दिवासी विकास परियोजनाएं
- (४) उप संचालक आ. जा. क. हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- (५) जिला संयोजक, " " " "
- (६) मंडल संयोजक, " " " "
- (७) विकास खंड अधिकारी / क्षेत्र संयोजक " "
- (८) दंडाधिकारी (मनिस्ट्रेट)
- (९) तहसीलदार / नायब तहसीलदार
- (१०) म्युनिसिपल कौंसिलर
- (११) जनपद अध्यक्ष / ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत सरपंच



मान्यता प्राप्त निवासी

माध्यम सहसंबन्धित निवासी  
मूल निवासी--प्रमाण-पत्र

करेली लिंक - 309<sup>3</sup>

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... सन्तोष कुमार

आत्मज / आत्मजा / पुत्री / श्री ..... श्री - पतिराम


की जाति ..... करेला ..... है। ये जम्मा प्राम सिमरियाकुला सहसिल करेला

विकास खण्ड ..... करेली ..... जिला ..... नयासिंहपुर ..... के / की निवासी हैं। मैं

इन्से परिचित हूँ। मध्यप्रदेश में इनका निवास ..... जन्म ..... वर्षों से है। राज्य शासन द्वारा

मान्य नियमों के अन्तर्गत ये मध्यप्रदेश के / की मूल निवासी हैं।

माध्य / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
(**डॉ० डॉ० त्रिपठी**)  
माध्य सहसंबन्धित  
करेली



प्राप्ति स्थान - स्टेट्स बुक स्टोर्स, अन्वेरदेव, जबलपुर।

5

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग मण्डला जिला मण्डला (मध्य प्रदेश)

पुस्तक क्रमांक 694

प्रकरण क्रमांक

प्रमाणपत्र क्रमांक 69241

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

जाति प्रमाण - पत्र


स्थायी

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शंकर लाल गुडरिया  
 पिता/पति का नाम मंगल सिंह  
 निवासी/ग्राम/नगर सिंगरपुर वि.खण्ड मोहगांव तहसील  
मण्डला जिला मण्डला संभाग जबलपुर जाति जनजाति का/की  
 सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में  
 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह बैगा  
 जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत  
 म.प्र. को सूची में अनुक्रमांक 03 तीन पर अंकित है। श्री/श्रीमती/कुमारी  
शंकर लाल गुडरिया पिता/पति का नाम मंगल सिंह  
 अनुसूचित जाति/जनजाति का की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी शंकर लाल गुडरिया  
 के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 73,778=00 है।

स्थान मण्डला

दिनांक 22/5/03



Shankar Lal Gudariya  
 अनुविभागीय अधिकारी का नाम  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 (राजस्व)  
 मण्डला/बिश्निया/नैनपुर/निवास  
 जिला - मण्डला

Dr. M. S. Shukla  
 Professor in Biochemistry  
 Gandhi Medical College, Bilaspur  
Asseser

(सील)

### मूल निवासी का प्रमाण - पत्र

प्रकरण क्र० 777/1981/96197

दिन 6/6/86

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शकरी लाल

आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री / मंगल सिंह शाह - सिंगरपुर

तहसील मण्डला जिला मंडला म० प्र० का निवासी है क्योंकि

१- मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है।

अथवा

२- वह/उसका पालक वैध अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम १५ वर्षों से रह रहा है।

अथवा

३- उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत है।

अथवा

४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य पिछले में पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त

उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है।

अथवा

५- उसने म० प्र० स्थिति किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा पास की है - शा० उ० म० मंडला मंडला

अ- १० + २ प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।

ब- आठवीं कक्षा की परीक्षा।

स- पांचवीं/प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा।



स्थापित प्रति

Gandhi

Dr. Mrs. Sneh Shukla  
Professor in Biochemistry  
Gandhi Medical College, Bhopal

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

Handwritten text, possibly a name or subject.

# पिछड़ा वर्गों जालि प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिरला नगर जिला ग्वालियर के मूल निवासी हैं। इनका नाम ..... द्वारा वर्ष १९८२ में घोषित पिछड़े वर्गों .....



प्रमाणित करने वाले का नाम .....  
पद .....  
पता .....

गौरी कृष्ण टेलर  
गौरी कृष्ण टेलर

2 11

आचार्य विद्यापीठ गवाक्षियर (म० प्र०)

प्रमाणित किया जाता है श्री श्रीमती/कुमार विनोद कुमार शर्मा

आत्मज/प्राथमिक श्री राम देव शर्मा

पाम गिरला नगर तहसील गवाक्षियर जिला गवाक्षियर  
मध्यप्रदेश का निवासी है।


कार्योक्ति यह—

- (1) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, अथवा—
- (2) इसके पालक दाय अभिभावक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा—
- (3) उसके मातापिताओं में कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा—
- (4) वह अपने लड़के पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों में कोई अन्तर्गत, उद्योग अथवा व्यवसाय करी है।

कार्योक्ति यह—

- (1) उक्त उपाधी विद्या मध्य प्रदेश में स्थित किसी विद्या संस्था में कम से कम 3 वर्षों तक प्राप्त की है, अथवा
- (2) उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।
  - (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
  - (ख) आठवीं कक्षा परीक्षा।
  - (ग) चौथी कक्षा परीक्षा।

नोट:— जो अंग्रेजी नाम दे हो कृपया दिया जाय।



विनोद कुमार शर्मा  
अधिकृत अधिकारी  
(विनोद कुमार शर्मा)  
नाचक तहसील नगर  
तहसील गवाक्षियर (मध्य प्रदेश)

नाम -

रमेश चंद्र

जिला - देवास (100 प्र.)

पद -

रखार - निवासी

# जाति प्रमाण-पत्र

पटवारी ह का एवं राजस्व के अधिकृत अधिकारी प्रमाणित किया जाता है कि

श्री - रामचंद्र तारा

तनय श्री - रामचंद्र तारा

निवासी प्रमाणित किया जाता है कि श्री - रामचंद्र तारा

... निवासी का ... श्री - रामचंद्र तारा

पटवारी कार साह

शान्ति का प्रमाण

मोहनदास करमचंद गान्धी

1931

शान्ति का प्रमाण

Handwritten signature or initials





11

6

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )

तहसील ग्वालियर

पु. क्र. 23

मूल निवासी प्रमाण-पत्र

9352/98-99/

स. क्र. 38

प्रकरण क्रमांक 8/2/

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुकुलसिंह

आत्मज / पत्नी /

आत्मजा श्री सुकुलसिंह

निवासी शास्त्री नगर

तहसील जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश वर निवासी है।

क्योंकि वह -

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
2. इसके पालक कर्म/अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं, अथवा केन्द्रीय शासन के कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्त हैं, अथवा
3. इसके पालकों में से किसी के शासन में सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्त है अथवा के शास. सेवा का 5000-5000
4. वह स्वयं या उसके पालक शासन में पिछले 5 वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त-

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है:

- (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। 10th - 11/1/62 93/99
- (ख) आठवीं कक्षा परीक्षा। 119/13/99
- (ग) पांचवीं कक्षा परीक्षा।

टीप - जो अंश लागू न हो काट निकालिये।

एम. एस. उदरिया.  
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वार्गज्यिक)  
कार्या. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)  
म. प्र. ग्वालियर.

नायब तहसीलदार  
कार्यपालक सहायक  
तहसील ग्वालियर

सत्यापित प्रति

Ghoni

प्रशासनिक अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

# प्रमाण पत्र मूल निवासी मध्यप्रदेश

(6)

न्यायालय का नाम - दुमराज जिला दुमराज

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1220 / B121 / 94-95

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी हेमलता धारसे

आत्मज / आत्मजा / पति अज्ञानाथ धारसे ग्राम जाटा धार तहसील परासिया

जिला छिन्वाड़ा मध्यप्रदेश का निवासी है।

-: क्योंकि वह :-

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।
2. (क) वह (ख) उसके पालकों में से कोई जीवित न हो तो उसका अथवा अभिभावक / गार्जियन मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो।

- अथवा -

3. उसके पालकों में से कोई भी -  
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो। अथवा  
(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत हो। अथवा
4. (क) वह कार्य अथवा  
(ख) उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

- परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त -

- (अ) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षा तीन वर्ष तक प्राप्त की हो।
- (ब) उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षा में निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो।


- अर्थात् -

1. यह कि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं की परीक्षा।
2. यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की या बोर्ड की इंटर मीडियम हायर सेकेन्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो।  
आठवीं की परीक्षा।
3. अन्य मामलों में चौथी की परीक्षा।

स्थान - छिन्वाड़ा

दिनांक - 25/1/95

टीप - जो अंश लागू न होवे काट दिया जावे।



प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

पद का नाम, सील

सत्यापित प्रति

प्रमाणित अधिकारी

म.प्र. प्रमाण निदेशक बोर्ड, भोपाल



परिशिष्ट तीन  
(नियम क्र. 10 [1] ई.स.)

### कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुविभाग... निवासी... जिला... सीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)  
पुस्तक क्रमांक...  
प्रमाण पत्र क्रमांक... प्रकरण क्रमांक... 606/1/2011/05-06

## जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी महेश्वरी  
पिता/पति का नाम शामचरन निवासी ग्राम/नगर पञ्चीपुर  
बि० ख० पञ्चीपुर तहसील पञ्चीपुर  
जिला सीकमगढ़ संभाग सागर क्षेत्र/जिला/जिला का को सदस्य है  
और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 242 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह कोरी  
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जन जाति [संशोधन] अधिनियम 1966 के अंतर्गत  
म० प्र० की सूची में अंक क्रमांक 3..1 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी महेश्वरी  
पिता/पति का नाम शामचरन अनुसूचित जाति/र  
जाति का/की है।

२- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी महेश्वरी के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये १०४ है।

दिनांक 2/11/2011  
(मो.)

अनुविभागीय अधिकारी  
सीकमगढ़ (म० प्र०)  
सुलभ संकेत/अधिकारी का नाम  
पदनाम

*Handwritten signature and notes*

## मूल निवासी का प्रमाण-पत्र

22

प्रकरण क्रमांक ..... 1333 B-121-05-06 दिनांक 12-1-86

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... रमेश चंद्रा

आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री ..... रामचन्द्र चंद्रा

तहसील ..... जबलपुर ..... व जिला ..... जबलपुर ..... म.प्र. का/की निवासी है क्योंकि वह :-

1. म.प्र. में पैदा हुआ है / हुई है अथवा
2. वह/पालक/वैध अभिभावक के पास म.प्र. में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा/रही है अथवा उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का/की कर्मचारी है जो म.प्र. में सेवारत है अथवा सेना सेवा का/की अधिकारी/कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक है, अथवा
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई चल व अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
5. म.प्र. में संवैधानिक या अन्य विधिक (STATUTORY) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है अथवा

### इसके अतिरिक्त -

1. उसने मध्यप्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष तक सफलता पूर्वक शिक्षा प्राप्त की है अथवा
2. म.प्र. के स्थानीय निवासी के बच्चों द्वारा यदि म.प्र. के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की हो तो फूट प्राप्त होगी बशर्ते वह निर्धारित उक्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति करता हो अथवा आवेदक अंध मूक, बधिर है और किसी अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की हो, अथवा
3. उसने म.प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है :-

(अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

(ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा

(स) पांचवीं/प्राथमिक प्रमाणपत्र परीक्षा

टीप : जो अंश लागू न हों उन्हें काट दिया जावे।

प्रमाण पत्र देने हेतु नायब तहसीलदार या उससे

ऊपर के राजस्व अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।



Attested  
[Signature]

राज्यांत  
[Signature]  
[Signature]

प्राधिकृत अधिकारी  
नायब तहसीलदार  
प्रमाणपत्र की अधिकारी  
एवं कार्यपालन की अधिकारी  
(नजूल) जबलपुर (म.प्र.)



5  
3

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुभाग .....

जिला शिवपुर ..... मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण-पत्र क्रमांक .....

3198 प्रकरण क्रमांक... वी.डी. 2002-2003



### जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी कामला पुसाद बैगा .....  
पिता/पति का नाम ब्रामगणेश बैगा ..... निवासी ग्राम/नगर ककरहाड (पोगरी)  
वि.खं. खोहापुर तहसील खोहापुर ..... जिला प्रहरे ..... संभाग रीवा .....  
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन  
मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया  
है और यह बैगा जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम  
1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... 03 ..... अंकित है, अतः श्री/श्रीमती  
कुमारी कामला पुसाद बैगा पिता/पति का नाम ब्रामगणेश बैगा .....  
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक : 5/9/03

(सील)

P.C. Arastha  
Dr. Karunesh Jha  
Head  
Department of English  
J. G. College Shabdoli

अनुविभागीय अधिकारी  
प्रमाणिकरण  
पदनाम

पूजा प्रिन्टर्स गंज रोड, शहडोल

सत्यापित प्रमाण

Gunt

प्रमाणिकरण  
म.प्र. प्रमाणिकरण विभाग, शिवपुर

# मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण-पत्र

अव प्र क्र 731 सी. 2/10/4/85 दि. 02/05

न्यायालय तहसीलदार तहसील सोहागपुर जिला शाहडोल (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी कामता प्रसाद बैंग  
 आत्मजे / आत्मजा / श्रीमती रामगणेश बैंग  
 शहर / नगर पोडाही तहसील सोहागपुर जिला शाहडोल (म.प्र.)  
 के निवासी है क्योंकि

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुए हैं।
2. इनके मालिक वैध अभिभावक श्री / श्रीमती रामगणेश बैंग मध्यप्रदेश के ग्राम / नगर पोडाही तहसील सोहागपुर जिला शाहडोल मध्यप्रदेश में वर्ष से वर्ष अर्थात् कम से कम पुस्तनी निरन्तर रह रहे हैं।
3. मैं इनके पालकों में इनके माता / पिता आत्मज / पत्नी की मध्यप्रदेश राज्य शासन में सेवारत सेवा निवृत्त कर्मचारी है।
4. केन्द्रीय शासन के विभाग में कर्मचारी है जो वर्तमान समय में स्वयं इनके माता / पिता / पालक श्री / श्रीमती रामगणेश बैंग मध्यप्रदेश / नगर/ग्राम पोडाही जिला शाहडोल में मध्यप्रदेश अचल सम्पत्ति उद्योग और व्यवसाय रखते हैं। आवेदक के पिता के नाम उमर इसके अतिरिक्त ग्राम में के. नं. 22/4 इकवा 1.619 हे० भूमि है।  
 इन्होंने मध्यप्रदेश के नगर / ग्राम के पाठशाला / विद्यालय में वर्ष से तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक परीक्षा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए पाठशाला / विद्यालय से पास की है।

(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा x

(2) आठवीं कक्षा की परीक्षा श. व. उच्च मा. वि. सोहागपुर से वर्ष 1990 में उत्तीर्ण।

(3) चौथी कक्षा की परीक्षा x

P. C. Artist  
 Dr Karunesh Jha

शिक्षक प्रमाण पत्र के प्रतिवेदन के आधार पर English  
 D. L. Mittal College Sha. dol, M. P.

सत्यापित प्रति

नोट :- जो अंश लाल रंग से काट दिया जावे।

प्रशासक प्रशासकी  
 म.प्र. प्रवृत्त निदेशक बोर्ड, भोपाळ

प्रमाणित तहसीलदार  
 सोहागपुर

विषय-नाम बोर्ड शाहडोल



प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री - शिव स्वामी  
जन्म/अन्तर्जा श्री - शिव स्वामी - स्वीकृत गांधी  
कार्यक्रम के लिए किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बताया गई गरीब परिवार  
के पुत्र 1989 की वध सूची के क्रमिक - 20 के परिवार  
में निवृत्त/पुत्र/पुत्री है।

कार्यक्रम संख्या 6900/


दिनांक : 20/05/2020  
स्थान : अरुणाचल प्रदेश  
प्रमाणित करने वाले का नाम : शिव स्वामी  
दिनांक : 20/05/2020





BHOPAL  
985

8163



कार्यालय

तहसील पार

तहसील

हुजूर

जिला रीवा (म० प्र०)

प्रकरण क्रमांक १८८८ बी. १२१ वष १९८५-८५ दिनांक

# जाति प्रमाण-पत्र

पटवारी इत्यादि एवं राजस्व के अतिशेखनानुसार प्रमाणित किया जाता है।

श्री ... राम नहर यादव

समय श्री ... राम फूल यादव

निवासी ग्राम ... मेदाजी ... के हैं एवं वे ... यादव

... पिछड़ा वर्ग भेजी के अन्तर्गत आते हैं।



Signature and official stamp area.

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कन्या शोहरत

पुत्र/पुत्री श्री श्री का पिता

वह श्री श्री जिला बल्लभपुर का का निवासी है। इनकी

जाति भोजपुरी है।

"निश्चय" के अन्तर्गत कर्मानुसार जाति प्रमाणित की जा रही है।

गया है।

कलकत्ता

दिनांक 25/11/80

*(Signature)*

हस्ताक्षर

जिला प्रमुख  
बल्लभपुर

पहले  
पूर

### स्थायी निवास प्रमाण - पत्र

प्राधिकार दिनांक 10/11/1950

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी श्रीमती

आत्मज / पत्नी / आत्मजा / श्री श्रीमती जाति ब्राह्मण

ग्राम रियासत तहसील हजारा जिला बरेilly

मध्यप्रदेश का निवासी है क्योंकि वह

- 1- मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है / अथवा वह / पालक / व अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर अभिभावक रह चुके हैं अथवा
- 2- उनके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिष्ठ कर्मचारी है अथवा वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यापार में निरन्तर संलग्न अतिरिक्त -
  - 1- उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है अथवा
  - 2- उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।
    - (क) उच्चतर माध्यमिक शाला।
    - (ख) आठवी कक्षा की परीक्षा
    - (ग) नवमी कक्षा की परीक्षा।

*(Signature)*  
 प्राधिकारी / अधिकारी  
 पद नाम महेश  
विराट

नोट :- जो अंग लागू न हो उन्हें काट दिया जाए।

(भागवत प्रेम, मन्नाई)


महाय  
 (2)  
 परीक्षाफ  
 पूरक के  
 कक्षा वि  
 दिनांक

(50)

कार्यालय तहसील तहसील मंडला

जिला रीवा (म० प्र०)

प्रकरण क्रमांक 121 वर्ष 1955-56 दिनांक 7.6.56



### जाति प्रमाण-पत्र

पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री होदेवाल तनय श्री राम जिहो निवासी ग्राम हटाक येगा के हैं एवं ये कास्ती जाति के हैं तथा पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

भैरवा प्रिंटिंग प्रेस, मऊपवा

[Signature]  
Tahsilidar  
Rewa (M.P.)



### विज्ञप्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाने वाला जाति का प्रमाण-पत्र का प्रदाय

श्री रवी परदेशी आत्मज मोतीलाल ग्राम शहर इन्दौर  
 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. पूरा पता प/१२ विनोबा नगर  
 को पिछले वर्षों से से जानता है कि इनकी जाति धोवी उपजाति पिछड़ा वर्ग  
 व धर्म हिन्दू म. प्र. शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के

आपन क्र. एक 8-5/-25-4-84 भारतीय संविधान अनुच्छेद 15/1 एवं 16/4 तहत घोषित पिछड़ा वर्ग की अनुसूची

*म. प्र. शासन कल्याण विभाग*

*[Signature]*  
 19/8/91  
 हस्ताक्षर पिछड़ा वर्ग  
 नाम ...

### प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र ( स्कूल अभिलेख के अनुरूप )

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्री. रवी परदेशी पिता मोतीलाल परदेशी  
 निवासी प/१२ विनोबा ग्राम मकान नं. प/१२ पूरा पता प/१२ विनोबा नगर इन्दौर  
 इस शाला में वर्ष 1977 से ... तक अध्ययनरत रहे हैं इनकी जाति धोवी  
 उपजाति पिछड़ी जाति है। इनका स्कूल रजिस्ट्रार का क्रमांक 123 है व जाति धोवी उपजाति पि.व.व. लिबं है।

- छात्र ने कक्षा एच 1977 में उत्तीर्ण किया।
- इस 1978
- एच 1979
- प/१२ 1980
- प/१२ 1981

*[Signature]*  
 19/8/91  
 प्रधानाध्यापक  
 श्री विद्या प्रीति, इन्दौर  
 म. प्र. रविन्द नगर, इन्दौर (म. प्र.)





समाधान एक दिन : जन सुविधा केन्द्र जिला - ग्वालियर

जिला - ग्वालियर

दिनांक - 04/09/2009



श्रीमान

डी/121/सं/08-09/24513

का पंजी क. - 1703/17135/0910

मध्यप्रदेश

# स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी शैलेश वरैया आत्मज/पति/आत्मजा श्री रविकान्त वरैया ग्राम नगर मुरार तड़भील ग्वालियर जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के निवासी है।

वह :-

मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है.

अथवा

उसके पालक वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रही है,

अथवा

उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है,

अथवा

केंद्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है,

अथवा

वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति या व्यवसाय र है,

उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है

अथवा

उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है,

(क) उच्चतर माध्यमिक एवं हाईस्कूल परीक्षा पास की है।

अथवा

दशम कक्षा की परीक्षा पास की है।

अथवा

पांचवी कक्षा की परीक्षा पास की है।

विशेष परिस्थिति - विवाहित महिला के लिए यदि किसी अन्य प्रदेश से विवाहित होकर आयीं हैं

स्थानीय प्रमाणित

मूल प्रस्तावक के लिए  
जांच की गई।  
  
5/9/09

प्राधिकृत अधिकारी  
नायब तहसीलदार सील  
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट  
जिला ग्वालियर

मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का



# प्रमाण-पत्र

पटवारी सहियेद्वारा  
आपका पत्र के आधार पर

21/2/1978

सतीश कुमार हरिजन

संज्ञित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी

आनंद कुमारी/विधवा/पतिव्रता निवासी ग्राम सतना

उपजाति निवासी ग्राम सतना

महिला सतना जिला सतना मध्य प्रदेश के निवासी

है क्योंकि  
१- मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है। **हाँ अम्मे दे**

२- पिता पालक / अभिभावक मध्य प्रदेश में  
निरन्तर कम से कम १५ वर्षों से रह रहा है। **हाँ अम्मे दे**

३- उसके पालकों में से कोई राज्य का सेवारत या सेवा नियुक्त  
कर्मचारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शासन का कर्मचारी **पिता रेलवे में सेवारत है**

मध्य प्रदेश में सेवारत है अथवा नहीं। **नहीं**

४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में विछले पांच वर्षों  
से कोई सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। **नहीं**

इसके अतिरिक्त -

१- उसने अपनी शिक्षा म.प्र. में स्थित किसी शिक्षण

संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है अथवा नही

संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की अथवा नहीं

२- उसने म.प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित

परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा पास की है।

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

(ख) आठवी कक्षा की परीक्षा

(ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

टीप : जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

स्थान सतना

दिनांक 21/2/78

प्राधिकृत अधिकारी

सतना

(पद नाम कुल अक्षर)

श्रीमती सुपता (सं. 13)

सचिना फोटो कानी



कार्यालय तहसीलदार ..... श्रीधर ..... जिला सीहोर

प्रकरण क्रमांक 7908/बी-121/.../बी-10

सीरियल नम्बर .....

दिनांक 26-02-2010

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

अनुविभाग ..... श्रीधर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी धर्मेन्द्र कुमार


आत्मज/आत्मजा/पत्नी सुरेश कुमार

निवासी सीधर

जिला सीधर

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिये निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्र. 1, 2, 3, 22

एवं क्र. 4 पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।



Handwritten signature and stamp of the Tahsil Dar, Sihor, Madhya Pradesh, dated 26-02-2010.

- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/होती है, अथवा
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसके मातृव्य अथवा अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर रह रहा है, अथवा
- 1.3 उसके पालकों में से कोई राज्या शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, अथवा
- 1.5 वह स्वयं/उसके पालकों का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अग्रल सम्पत्ति/उद्योग/व्यवसाय है, एवं
- 2 इसके आतिरिक्त :-
  - 2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
  - 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा, एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी बोर्ड की इन्टरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई जो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा
  - 2.3 अन्य मामलों में पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- 3 परन्तु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है:-
  - 3.1 वह अंध/मूक/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, अथवा
  - 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है, अथवा
  - 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते हैं एवं
    - 3.3.1 वह अशिक्षित है, अथवा
    - 3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
- 4 वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है:-
  - 4.1 मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान/पत्नी/पति हैं, अथवा
  - 4.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी/पति हैं, अथवा
  - 4.3 मध्यप्रदेश में सवैधानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/पत्नी/पति हैं।

Handwritten signature on the left side.

Handwritten signature and date 21-12-15 at the bottom center.

Official stamp and signature on the bottom right.

कार्यालय-कलेक्टर

क्रमांक क० रि० डि० कलेक्टर/८०

(प्रमाणिकरण शाखा जिन्ना)

५०००५५२६ १३१२१६९७

१७  
१३१३१

### निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि -----

आत्मज -----

निवासी ----- तहसील -----

जिला ----- मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी है क्योंकि-

- १- वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
- २- वह मा/विध/अभिभावक मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है।

अथवा

- ३- इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी है जो मध्य प्रदेश में सेवारत है।

अथवा

- ४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले वर्षों से अथवा सम्पत्ति उद्योग व्यवस्था रहते हैं।

### इसके अतिरिक्त

- ५- उम्मेद अथवा शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कम से कम ३ वर्षों तक प्राप्त की है।

अथवा

- ६- उम्मेद मध्य प्रदेश में स्थित किसी संस्था निम्नलिखित परीक्षा में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- (क) उच्च माध्यमिक परीक्षा
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा
- (ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

टीप :- जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे।

मालकन निवासी मध्य प्रदेश, या  
प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण किया है  
का  
की प्रकृतिका  
के माध्यम से जारी है।



डिप्टी कलेक्टर  
घास्ते कलेक्टर

हस्ताक्षर  
गोपाल

5

(परिशिष्ट चार नियम क्र. ८ देखें)

### प्रोविजनल अस्थाई प्रमाण-पत्र

### कार्यालय तहसीलदार महोदय अधिकारी (प्रमाणीकरण)


अनुविभाग वा.स.वि.प. जिला वा.स.वि.प. मध्य प्रदेश  
 पुस्तक क्रमांक \_\_\_\_\_ प्रकरण क्रमांक 92/02/03  
 प्रमाण पत्र क्रमांक-

### जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु. रमेश लुहा  
 पिता/पति का नाम श्रीमति निवासी ग्राम लुहा  
 वि. ख. वा.स.वि.प. तह. वा.स.वि.प.  
 जिला वा.स.वि.प. संभाग जबलपुर जाति/जनजाति/का  
 की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन म. प्र. राज्य के संबंध में  
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विविष्ट किया गया और यह 21/5  
 जाति/जनजाति/भ्र. जाति/ एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत म. प्र. की सूची अ. १.  
 क्र. 16 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमति/कु. रमेश लुहा पिता/पति  
 का नाम श्रीमति अनुसूचित जाति/जनजाति/का/की है।  
 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कु. श्रीमति

के परिवार की कुल वार्षिक आय 12000/- है।

दिनांक- 21/7/03 हस्ताक्षर तहसीलदार  
 स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम वासुदेव



Ramesh  
14/9/03

अभिलेख कार्यपालन दफ्तराधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी.....

### मूल निवासी का प्रमाण-पत्र

प्रकरण क्रमांक— बी 121/1960/95

दिनांक— 14/2/95

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... रमेश कुमार

.....आत्मज / आत्मजा / पत्नी श्री..... श्रीराम

.....तहसील..... जिला..... म० प्र० का / की

निवासी है, क्योंकि वह

- 1. म० प्र० में पैदा हुआ है / हुई अथवा—
- 2. वह पालक वंश अभिभावक के म० प्र० में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है अथवा (अभिभावक)
- 3. उसके पालकों में से स्थाई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है (अथवा)
- 4. केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत है अथवा—
- 5. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में 5 वर्ष से कार्य / चल ब चल सम्पत्ति बना व्यवसाय करते हैं।

#### इसके प्रतिबन्ध—

1. उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित शिक्षण संस्था में से कम से कम तीन वर्ष की शिक्षा प्राप्त की अथवा—


2. उसने म.प्र. में उक्त किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है।

(अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। (10+2)

(ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(स) पाँचवीं / प्राथमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा।

टीप : जो अक्ष बागू न हो उन्हें काट दिया जावे।



*Signature*  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 निपट नाम एवं पद  
 14/2/95

अभि स्याम-स्टूडेंट्स बुक स्टेशनरीज, (भीकण्डा टाकस के पास) जयपुर  
 निपट - आशीष देवर्षी, रमेश शर्मा, बलराज, जयपुर

रमेश शर्मा प्रमाणित  
*Signature*  
 14/2/95

A. P. P.

कार्यालय तहसीलदार मंडी, सिद्धी तहसील, जिला लाहौर

पत्र क्र० 266/1200

दिनांक 21/11/57

पिछली कृति प्रमाणिका

-----

सु०का० की अख्या दिनांक 21/11/57 के कृति

प्रमाणिका कृति जाता है कि पिछली कृति प्रमाणिका की कृति

निम्नलिखित - नमूना 266/1200 के कृति प्रमाणिका कृति

के कृति प्रमाणिका कृति

दिनांक 17 सितम्बर मनु 1958 के कृति प्रमाणिका कृति है।



तहसीलदार मंडी, जिला लाहौर

Handwritten notes on the left margin, including the number 266/1200.





(प्रपत्र - तीन)

कार्यालय तहसीलदार पिपरिया  
तहसील - पिपरिया, जिला - होशंगाबाद (म.प्र.)  
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

8

2967 0121



दिनांक 22/05/2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु. हरीश शर्मा पिता श्री पदीयकुमार शर्मा  
निवासी अजय शर्मा जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के  
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 20 अक्टूबर 2010 में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक  
12 की पूर्ति करने के फल स्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक प्र-3722/2010/5 दिनांक 28/10/10

के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार आवेदक की पत्नि, अवयस्क बच्चे जिनका नीचे वर्णित है। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं :-

- (1) आवेदक की पत्नि का नाम श्रीमति रश्मि शर्मा आयु 28 वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र / पुत्री
- |         |     |          |
|---------|-----|----------|
| (1) नाम | आयु | वर्ष है। |
| (2) नाम | आयु | वर्ष है। |
| (3) नाम | आयु | वर्ष है। |
| (4) नाम | आयु | वर्ष है। |
| (5) नाम | आयु | वर्ष है। |
| (6) नाम | आयु | वर्ष है। |



टीप : यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।  
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर जारी)

Sharma  
4/7/15

Self Attested  
Sharma  
26/7/15  
हस्ता. तहसीलदार  
तहसीलदार

\* लघू न होने पर काट दें

तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

परिशिष्ट-तीन  
(नियम क्र. 8 (1) देखें)

**स्थायी प्रमाण पत्र**

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... पिपरिया ..... जिला कोशगावार् ..... मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... 01 ..... प्रकरण क्रमांक 1377A  
प्रमाण-पत्र क्रमांक 01 ..... 121-12-13

**जाति प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री लरीशा राय  
आत्मज श्री प्रदीप कुमार राय निवासी/ग्राम पिपरिया  
जिला संभाग कोशगावार् मध्यप्रदेश के निवासी हैं , जो कपार (रू 42)  
जाति के हैं , जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन , आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण  
विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/ पच्चीस4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया ।


श्री लरीशा राय और / या उनका परिवार सामान्य मध्यप्रदेश  
के जिला कोशगावार् संभाग कोशगावार् में निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार राय  
क्रीमोलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण  
विभाग के परिपत्र क्र. 360 02/22/93 स्था. (एस. सी. टी) दिनांक 8/9/93 द्वारा सूची कालम 3 में तथा म.प्र. शासन तथा  
सामान्य शासन विभाग के ज्ञापन क्र. 7-2/26/93/1 आ 9 दि 8 मार्च 1994 के साथ सम्पन्न परिशिष्ट - ई की सूची के कालम  
3 में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी प्रदीप कुमार राय  
के परिवार की कुल वार्षिक आयें रुपये ₹ 16375 =

दिनांक 26/3/13

(सील)



[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पिपरिया  
पदनाम

*Self Assured*  
[Signature]  
28/12/15





10

कार्यालय जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 819 (प्रमाण-पत्र)

भोपाल, दिनांक 7/4/2000

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती

जेनेन्द्र प्रताप चन्द

आत्मज/आत्मजा/पति श्री

मोहन चन्द

पता

कच्चा 28 A/16 साऊथ टी. टी. नगर भोपाल

मध्यप्रदेश के निवासी हैं क्योंकि :-

- 1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है; अथवा
- 2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है; अथवा
- 3. उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या निवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी है तो मध्यप्रदेश में पदस्थ हो, अथवा
- 4. वह स्वयं अथवा मालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कृषि, पशुपालन अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय देखते हैं,

परन्तु इसके अतिरिक्त

- 1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो, अथवा
- 2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :-

- 1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- 2. आठवीं की परीक्षा
- 3. पाँचवीं की परीक्षा



Signature: Jaimendy  
Date: 21/04/2000

Signature: [Illegible]  
District Collector, Bhopal

शुभ हस्ताक्षर से जांच की गई

Recd  
20/12/05

6  
2/11/02

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )

तहसील ... जवाहरपुर

पु. क्रमांक ...

130

स. क्रमांक ...

130

प्रकरण क्रमांक .....

405/2002-2003/121

परिशिष्ट "ब"

अन्य पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र



**प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपत जीवाड आरम्भ श्री राम प्रकाश जीवाड निवासी 1426 61रीपुर जवाहरपुर जिला ग्वालियर के निवासी हैं, जो जाति के हैं जिसे पिछड़े वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिशिक्षा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एम-8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिष्ठित किया गया है।

श्री राम प्रकाश जीवाड और उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर में निवास करता है, जो पिछड़ा वर्ग जाति क्रमांक ... 45 पर अंकित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम प्रकाश जीवाड ब्रिटीश (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक: 360/2/22/94 स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-1994 द्वारा जारी सूची में कालम नं. 3 में तथा म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक: एफ-7-26/93 आ. प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ब" की अनुसूची के कालम 3 में किया गया है।

दिनांक 27/11/02

T.C

*[Signature]*  
Sr. Divisional Accounts Officer  
P.W.D. Un. No. 1, Gwalior (M.P.)  
11/10

*[Signature]*  
प्रमाणित किया गया नाम  
अधिकांश अधिकारी  
ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )  
तहसील बाघिया

3

2015

पु. क्र. ....

362

मूल निवासी प्रमाण-पत्र

49/2/01-02/वी-12

स. क्र. ...18

प्रकरण क्रमांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी वी.पी. श्रीवास्तव आत्मज / पत्नी /  
आत्मजा श्री श.म.प्रकाश श्रीवास्तव निवासी एच.ए. 21 बाघिया  
तहसील / जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश का निवासी है।

क्योंकि वह -

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है, अथवा
2. इसके पालक दूय/अभिभावक मध्यप्रदेश में कम-से-कम दस वर्षों तक निवास कर रहे हैं, अथवा केन्द्रीय शासन के कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है, अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन के कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है, अथवा
4. वह स्वयं या उसके पालक राज्य में पिछले दस वर्षों में अज्ञेय सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।



इसके अतिरिक्त-

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम-से-कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम-से-कम एक परीक्षा पास की है:

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। 1126278/24

(ख) आठवीं कक्षा परीक्षा।

(ग) पाँचवीं कक्षा परीक्षा। 1599/95

नोट - जो अंश लागू न हो काट दिया जाय।

T. C.

*[Handwritten Signature]*

Sr. Divisional Accounts Officer  
Dist. No. 1. Gwalior (M.P.)

1/11/10

*[Handwritten Signature]*

अधिकृत अधिकारी  
ए.म. श्रीवास्तव  
पदनाम व सील  
नायब तहसीलदार एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
तहसील - ग्वालियर



7

स्थायी प्रमाण-पत्र

(संगम प्रेस, दतिया)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... रोहता जिला..... रतिय मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक..... 3279/1/21/08-09

जाति प्रमाण-पत्र



यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी उग्रविन्द आदिवासी पिता/पति का नाम रामसेवक निवासी ग्राम/नगर बुखार विख तहसील रतिया जिला दतिया संभाग मध्यप्रदेश के निवासी सहाय्या जाति/जनजाति का/को सदस्य है और इस जाति/जनजाति का संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह सहाय्या

जाति/जनजाति/अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 14 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी उग्रविन्द पिता/पति का नाम रामसेवक अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी उग्रविन्द के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 1 है।

दिनांक..... 27/10/2019 सील

हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम तथा पद अनुविभागीय अधिकारी संगम प्रेस रोहता जिला दतिया (म.प्र.)

स्वयं प्रमाणित [Signature]

स्वयं प्रमाणित [Signature]

उपरोक्त प्रमाणित है [Signature]

कार्यालय

दिनांक 20/11/20

पुक्रमांक:- 366 (की.प्र.म. 2003-04)

# मूल निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीप्रति/कुमारी अरवि-ए माईवाली  
आत्मज/आहमजा/प्रस्ती श्री राजेश्वर माईवाली ग्राम इन्दरगढ़  
तहसील इन्दरगढ़ जिला दिल्ली म०प्र० का / की निवासी है।

क्योंकि:-

- (1) - वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है।, हुई (अथवा)
- (2) क - वह अथवा  
ख - उसके पालकों में से कोई जीवित न हो तो उसका वंश अक्षिभाजित (गैजियन) मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है। अथवा
- (3) - उसके पालकों में कोई भी  
क - राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी हो, अथवा  
ख - केन्द्रीय शासन का कर्मचारी, जो मध्य प्रदेश में सेवारत हो अथवा  
ग - वह स्वयं अथवा  
घ - उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त इन्दरगढ़  
ज (अ) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश की किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की हो, अथवा  
ज (ब) उसने म०प्र० में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो अर्थात्  
1 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की स्नातक उपाधी निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा।  
2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्व विद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो तो अठवीं कक्षा परीक्षा।  
3- अन्य मामलों में चौथी कक्षा की परीक्षा।  
नोट - जो अशुद्ध हो तो काट दिया जाये।



20/11/20  
2020-23  
20/11/20  
2020-23

रजिस्ट्रार प्रमाणित

रजिस्ट्रार प्रमाणित

प्रमाणित  
20/11/20  
2020-23

# मध्यप्रदेश मूल निवासी

## प्रमाण-पत्र

राज्य/जिला/तहसील/ग्राम पंचायत/संख्या/दिनांक


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रविशंकर

आत्मज/पत्नी/आत्मजा जगतराज

कोरपति तहसील शामिया की/का

निवासी है क्योंकि वह

- (1) म. प्र. में पैदा हुआ है/हुई है अथवा
- (2) वह पालक / वैद्य अभिभावक म. प्र. में निरन्तर कम से कम 95 वर्ष से रह रहा है अथवा
- (3) उसके पालकों से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो म.प्र. में सेवारत है अथवा
- (4) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अस्थाई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं। इसके अतिरिक्त
- (5) उसने अपनी शिक्षा म.प्र. स्थिति किर्स भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।
- (6) उसने म.प्र. स्थित किर्स भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।
  - (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
  - (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा
  - (ग) चौथी कक्षा की परीक्षा
  - (घ) हाई स्कूल (मेरीक) परीक्षा



Attested  
 Dy. Chikitsa Adhikari  
 Reg. No. 11181  
 Balbag Ghindwara

प्रमाणित गति  
 म.प्र. प्रमाणित गति

शामिया (जि. छिन्दवाड़ा)

पद नाम सील

टीप: जो अंश लगेना हो उसे काट दिया जावे।

Swastik

संघीय प्रमाणपत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

जिला- झरखेत (म. प्र.)

अनुभाग- सोनगछी जिला झरखेत

पुस्तक क्रमांक

प्रमाणपत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शु. गणेश कुमार के

पिता/पति का नाम श्री राम लाल के

निवासी प्रमाणपत्र पड़मनिवा डुई विद्यालय सोनगछी


जिला झरखेत अनुभाग सीवा

जाति, जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति, जनजाति की संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत म. प्र. राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और यह के जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/जनजाति

अनुसूचित (अशोषित) अग्रनियम, 1956 के अंतर्गत म. प्र. की सूची अनुक्रमांक 1 के अंतर्गत है। अतः श्री/श्रीमती/शु. गणेश कुमार के

पिता/पति का/की नाम श्री राम लाल के अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/शु. के परिवार की कुल आय रुपये है।



Photocopy attached  
Oyano  
Lect. in Elect.  
Govt Polytechnic College  
Sonbhadra (M. P.)

अनुविभागीय अधिकारी  
सोणगछी विद्यालय  
पदनाम

सत्यापित प्रति  
[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी  
सोणगछी विद्यालय

# निवास प्रमाण-पत्र

525/95

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी श्री अरुण  
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्रीमती श्रीमती का  
 ग्राम नगर गौरी तहसील गौरी जिला शहडोल मध्यप्रदेश के  
 निवासी हैं क्योंकि

(१) मध्यप्रदेश में पैदा हुये हैं उत्पन्न का गौरी म.प्र.  
 (२) ये/इनके मालिक वंश अभिभावक श्री/श्रीमती मध्यप्रदेश  
 के ग्राम नगर गौरी तहसील गौरी जिला शहडोल  
 मध्यप्रदेश में वर्ष से वर्ष अर्थात् कम से कम  
 निरन्तर रह रहे हैं।

(३) ये / इनके पालकों में से इनके माता / पिता मध्यप्रदेश राज्य शासन सेवारत सेवा  
 आत्मज/पत्नी/श्री निवृत्त कर्मचारी है।

(४) केन्द्रीय शासन के विभाग में कर्मचारी हैं जो वर्तमान समय में  
 मध्यप्रदेश जिला में कार्यरत हैं।

(५) ये स्वयं इनके माता/पिता/पालक श्री/श्रीमती जिला शहडोल मध्यप्रदेश में अचल  
 मध्यप्रदेश नगर ग्राम सम्पत्ति उद्योग और व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त :- उत्पन्न के माता श्री अरुण  
०६०२०१ २६६६  
 इन्होंने मध्यप्रदेश के नगर / ग्राम के पाठशाला / विद्यालय में वर्ष से  
 तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक परीक्षा उसके नाम सम्मुख दशाये गये  
 पाठशाला / विद्यालय में पास की है :-

- [१] उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 1992 उत्पन्न अरुण
- [२] आठवीं कक्षा की परीक्षा 1990 उत्पन्न अरुण
- [३] चौथी कक्षा की परीक्षा उत्पन्न अरुण

उत्पन्न अरुण के प्रतिवेदन के आधार पर

Photo copy Attached

नोट:- जो अंश लागू न हो काट दिया जाय।

प्राधिकृत अधिकारी  
 पद नाम एवं शील

6/11/95

प्रमाणित प्रति

गौरी

प्रशासनिक अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

Dept. in Elect.  
 Polytechnic, Gwalior  
 Gwalior (M.P.)

पं० क्र० १०७५

विवास प्रमाण पत्र

महाराष्ट्र राज्य सरकार  
अर्थ विभाग  
मुंबई

दिनांक



परिशिष्ट "चार"  
(निर्देश क्रमांक 8 (2) देखें)

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक \_\_\_\_\_ प्रकरण क्रमांक 2594/B/2/04-05  
प्रमाण-पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_

### जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री धर्मेन्द्र सिंह पादल  
आत्मज श्री रामजील पादल निवासी/ग्राम भोपाल  
जिला भोपाल  
संभाग भोपाल मध्यप्रदेश के निवासी है जो पादल (अरी) जाति के  
हैं; जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग  
कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमार्ग्य किया गया  
है।

श्री धर्मेन्द्र पादल और/या उसका परिवार  
सामान्यता: मध्यप्रदेश के जिला भोपाल संभाग भोपाल  
में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामजील पादल  
केमोलयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08-09-93 द्वारा जारी सूची के कॉलम 3 में तथा म.प्र. सामान्य  
प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 7-26-93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम  
(3) में किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी रामजील पादल  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये \_\_\_\_\_ है।

दिनांक 12/8/03  
(सील)



अध्युक्त संचालक  
जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था  
भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणित)  
हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

2/9/03

आर. दीप्ति नाथ तहसीलदार, छिन्दवाड़ा  
तहसीलदार

### आय, जाति, प्रमाण पत्र

राजस्व करण बी, १२१-९४ दिनांक 18/4/94

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री कुमर

आत्मज श्री रिक्षीराम साकिन बंगगाँव तह. छिन्दवाड़ा

एवं जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हैं ।

इनकी जाति जाति है जो कि पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जन जाति में आती है । तथा इनकी वार्षिक आमदानी रुपया

रुपये अक्षरों की है ।

यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक पत्र शपथ पत्र तथा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया ।



तहसीलदार  
छिन्दवाड़ा





201

विकलांगी के लिए शिक्षा गता



हम जिला चिकित्सा.....

के सहज्य यह प्रमाणित करते है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
आवरण/आर मध्य/प्रदानी.....

.....  
.....

का पराक्षण किया है और पाया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

विश्व स्वास्थ्य विकलांगता से पीडित है.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

सदस्य  
जिला चिकित्सा परिषद  
विश्व स्वास्थ्य विकलांगता से पीडित  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

202



ः उ विकलांगों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र



हम जिला चिकित्सा .....  
के तहत यह प्रमाणित किया है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
को .....  
जांच किया है और पाया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

विकलांगता से पीड़ित है .....  
अस्थि रोग विवरण .....  
दृष्टि रोग के पीड़ित दृष्टि क्षमता :  
18 दाहिना  
22 बायाँ

विर-श्रेणी शक्ति  
आई क्यू का स्तर :-  
रिटारडेशन

भारत सरकार के आदेश कल्याण के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 8-2-83 एच डब्ल्यू 111  
के अन्तर्गत विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

इसका वह माइल्ड/माइडरेट/मोबेयट/प्रोफाउण्ड टोटल विकलांगता को श्रेणी में आते हैं/विकलांगता  
की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

विकलांगता के पाठकमों के अध्ययन करने का तमाम्रख से तीन वर्ष तक के लिए  
प्रमाणित किया गया है।

.....

.....

.....

.....

परिशिष्ट "ब"

6

कार्यालय तहसीलदार तहसील हजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)

"अन्य पिछड़े वर्गों को शासकी सेवा में नियुक्ति के लिये"

प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र का

जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक 879A

दिनांक 23/1/98

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री... सुरेश यादव ...  
 आर्यज / आर्यज / श्रीमती... श्व... श्री इमरत सिंह यादव ...  
 निवासी / ग्राम / म.नं. ... ग्राम नेवरी पो. विजयनगर तालुका (भोपाल)  
 जिला सम्भाग... भोपाल ... में ... जन्म से राज्य ... मध्य प्रदेश  
 के निवासी हैं। जो... यादव ... (गुवाला) ... जाति के हैं, जिसे  
 मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधि-  
 सूचना क्रमांक एफ/8/5/पचचीस/4 / 84 दिनांक 16 दिसम्बर 1984 की अनुसूची में  
 ... क्रमांक ... 1 ... पर जाति / उपजाति  
 वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री... सुरेश यादव ...  
 छम्पन्न वर्ग व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक  
 एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्या. (एस.सी.टी.) दिनांक  
 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3 में किया गया है।

दिनांक 23/1/98

आधिकारी का नाम  
 तहसीलदार  
 पद नाम  
 कार्यालय दण्डाधिकारी  
 तहसील हजूर (भोपाल)



कार्यालय जिलाध्यक्ष जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक

प्रमाण पत्र/90

भोपाल दिनांक 24/4/20

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री. जगदीश शर्मा

आत्मज/आत्मजा/पति श्री

पता

मध्य प्रदेश का निवासी है क्यों कि:-

- 1- वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ अथवा
- 2- वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है, अथवा

3- उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हेजो मध्यप्रदेश में मद्यस्थ है, अथवा

4- वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग देखाते है।

इसके आतिरिक्त

5- उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से कम तीन वर्षों तक की हो, अथवा

उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो :-

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

आठवी कक्षा की परीक्षा

चौथी कक्षा की परीक्षा



Handwritten signature and official stamp of the District Magistrate, Bhopal.



पुणे जिल्हा

सुभिक्षा विभाग

पुणे जिल्हा सुभिक्षा विभाग

सुभिक्षा विभाग, पुणे

पुणे जिल्हा सुभिक्षा विभाग

सुभिक्षा विभाग, पुणे

पुणे जिल्हा सुभिक्षा विभाग



१०६०१०

पुणे

सुभिक्षा विभाग, पुणे

५/३/१३



प्राचीन कागज

उत्पत्ति का प्रमाण

शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है

प्रमाणित किया जाता है कि प्रो. [नाम] द्वारा

पुनः प्रती

समस्त कार्य प्रमाणित किया गया है

लिखित आदेशों के अधीन अनुसूचित प्रमाणित

तारीख 15/05/1950

प्रमाणित करने वाले का नाम

*[Handwritten signature]*

प्रमाणित करने वाले का पता  
[पता]  
[पता]  
[पता]

क्रमांक २५०१

कम्प्यूटर कलेक्टर

(प्रमाणीकरण शाखा) जिला बिजनौर

12

क्रमांक क० रि० डि० कले०/८०/दिनांक २१/११/८९

# निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नालाब शम शर्मा

आत्मज तेजस

निवासी आम्बेडकर वाडी तहसील बिजनौर

जिला बिजनौर मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है क्योंकि-

- १- वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
- २- वह मा/वेध/अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रहा है।

अथवा

- (३- इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या विवृत कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

- ४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले वर्षों से अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग व्यवस्था रखते हैं।

इसके अतिरिक्त :-

- १- उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कम से कम ३ वर्षों तक प्राप्त की है।

अथवा

- २- उसने मध्यप्रदेश में किसी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- (क) उच्च, माध्यमिक परीक्षा आवेदन क्रमांक २५०१/८९/१५
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तर परतवारि इलाहाबाद
- (ग) दसवीं कक्षा की परीक्षा कक्षा १० की कीर्ति २५०१/८९
- (घ) बारहवीं कक्षा की परीक्षा आवेदन क्रमांक २५०१/८९

टीप : जो अंक लागू न हों उसे काट दिया जावे

[कलेक्टर द्वारा प्रामाणिकृत]

तहसीलदार  
 डिप्टी कलेक्टर  
 बास्ते-कलेक्टर



240/15

# निधाय पत्र-सात संबंधी प्रमाण पत्र

①

कंपनी पूर्ण सातवादी के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि

जिला लाहा

मदसुचित कारि/जनजाति जिला लाहा

जिला लाहा

वर्षों से म० प्र० के निवास

एवं असतत् श्रोती के कारि/जनजाति

हस्ताक्षर

सहायक निवासी

21/9/69

उ-नी  
ता ख  
धा  
रु-नी

# जाति प्रमाण पत्र

मेरे समक्ष प्रस्तुत लिखित प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि—

श्री विश्वनाथ प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद निवासी ...

जन्म ... दिनांक ...

व्यवसाय ... (सं. प्र.) के रूप में

जाति (सं. प्र.) संशोधन आयोग द्वारा प्रमाणित प्रमाणित जाति/जाति की प्रमाणित

संख्या ...

दिनांक ...

100

...

5

----- तहसील कार्यालय कुशी जिनाधार नम० -----

----- जाति प्रमाण-पत्र :- दिनांक 28-1-21 -----

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----- सुन्दरलाल -----

पिता ----- किराण ----- निवासी ----- सिनासो ----- तहसील -----

कुशी जिनाधार के होकर यह जाति के ----- सिनासो -----

----- है । अनेकपत्र, जगपत्र तथा प्रशासन पत्रकारी के प्रतिनिधन

के आधार से यह प्रमाणित किया जाता है । यह प्रमाणित करने के लिये

आज्ञा के दिने ब्रिजाकाश देव सिनासो तहसील कुशी जिनाधार के तहसील कुशी



Attest  
A.R. Bapat

विभागाध्यक्ष  
सामुदायिक बालिका विद्यालय  
मुख्य भवन कुशीसहाय संस्थान  
कोलपुर

(4)

Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

Ref. No.

Date. ....

Certified that Shri/Kumari/Smt. Hannumal Singh Malviya  
viya Son/daughter/wife of Shri Nanhe Lal Malviya  
 is a native of the State of Madhya Pradesh and is a  
 resident of Village Gahal Pura Tehsil  
Baseli District Raisen and belongs to  
 Scheduled Caste/Tribe Mohi Sub-caste/  
 tribe Mahiya and has been getting State  
 and Post-Matric Scholarship and other concession granted by the Tribal  
 and Harijan Welfare Department as detailed below:-

- (1) Year 1979-80 Rs. 150/-
- (2) Year 1980-81 Rs. 150/-
- (3) Year 1981-82 Rs. 225/-
- (4) Year 1982-83 Rs. 225/-
- (5) Year 1983-84 Rs. 225/-

Place Raisen  
 Date 27-8-84

Signature of Sub-Divisional Officer  
 Tribal Welfare Deptt (M. P.)  
27-8-84

( OFFICE SEAL )

I have conducted necessary enquiry and have satisfied myself/or have personal knowledge of the fact that Shri/Kumari/Smt. Hannumal Singh Malviya Son/Daughter/Wife of Shri Nanhe Lal Malviya is a native of the State of Madhya Pradesh and resident of Village Gahal Pura Tehsil Baseli District Raisen is a member of Mohi Sub-caste/Tribe and Mahiya Sub-caste/tribe which is one of the Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, recognised under the Constitution for the State of Madhya Pradesh.

Place Raisen  
 Date 27-8-84

Signature of Collector Sub-Divisional Officer  
27-8-84

(office Seal)

4

प्रमाण-पत्र  
=====

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी हर्षिवर्मा  
ठक्कर आत्म व श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी  
निवासी ग्राम चार इमली तहसील हुजूर जिला भोपाल  
पिनकोड ३६०५०३ आहिरवार  
जाति/जनजाति के हैं, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिष्ठीयित अनुसूचित जाति/  
जनजाति के अन्तर्गत आती है। इनकी जाति/जनजाति आहिरवार है।

स्थान:- भोपाल  
दिनांक:- २६/८/१८

तहसीलदार  
तहसील हुजूर भोपाल  
उत्तावर, पदनाम भोपाल प्रमाणित  
सुता.



विद्यार्थी नाम: ...

9/80

...

रजि. दि. 27/9/86

...

...

...

...

...

...





1775/100 285 B  
121

# मूल निवासी प्रमाण-पत्र

कार्यालय जिलाध्यक्ष खासियर (म० प्र०)

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/पत्नी/भारतज/भारतजा श्री.....

ग्राम..... तहसील..... जिला.....  
मध्य प्रदेश का निवासी है।

क्योंकि वह—

- (1) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ/हुई है, अथवा
- (2) इसके पालक द्रव, अभिभवाक मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा
- (3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा
- (4) वह स्वयं उसके पालक राज्य में विछले 5 वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उपयोग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त—

- (1) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है, अथवा
- (2) उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है।  
(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।  
(ख) आठवीं कक्षा परीक्षा।  
(ग) चौथी कक्षा परीक्षा।

नोट—जो अंश लागू न हों काट दिया जाय।

आधिकृत अधिकारी  
जय राम एवं सील



9

पुस्तक सं. 01/1/1990

दिनांक 21-11-90

पुस्तक सं. 01/1/1990

पुस्तक सं. 01/1/1990

पुस्तक सं. 01/1/1990  
पुस्तक सं. 01/1/1990  
पुस्तक सं. 01/1/1990  
पुस्तक सं. 01/1/1990  
पुस्तक सं. 01/1/1990  
पुस्तक सं. 01/1/1990

June 2019  
Ravi Singh

पुस्तक सं. 01/1/1990  
Ravi Singh  
2019

# जाति प्रमाण-पत्र

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि—

- १- श्री/श्रीमती/कुमारी ..... श्रीमती श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... श्रीमती श्रीमती .....  
 स्थाई निवास हनुमान नगर, जू-125, आ.प.प. .....  
 है।
- २- श्री/श्रीमती/कुमारी ..... श्रीमती श्रीमती .....  
 जाति बुद्धी ..... है। और उसकी उपजाति ..... बुद्धी .....  
 उनका घम ..... हनुमान नगर ..... है। जो म० प्र० शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की  
 सूची में सम्मिलित है।



हस्ताक्षर

पूरा नाम

नोट-यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छात्र वृत्ति मुख्यतः सप्रमाण-पत्र के आधार पर ही जाती है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुये यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम व पद की सुहर अवश्य लगायें।

जाति संबंधी प्रमाण-पत्र देने के लिये निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम हैं।

- १- संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
- २- जिला कलेक्टर
- ३- परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी हरिजन विकास परियोजनाएं
- ४- उप संचालक, आदिम जाति कल्याण विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ५- जिला सयोजक, जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ६- विकास खंड अधि. स. सयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ७- दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)
- ८- म्युनिसिपल कोसलर
- ९- तहसीलदार, नायब तहसीलदार
- १०- जनपद अध्यक्ष, ग्राम संचायक एवं न्याय पंचायत के सरपंच
- ११- मण्डल सयोजक, आदिम जाति कल्याण, हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

शान्ति निकेतन, भोपाल फोन: ५४३७६०



कार्यालय शिक्षाधिकारी (आदिम जाति प्रत्यक्ष शाखा) गिरवा थोला ।

क्रमांक / म.प्र. 0 / 83 /

115

बोपाल, दिनांक 11/11/83

\* जाति प्रमाणपत्र \*

श्री - आंधर्व नाथ दुबे - - - - - निवासी - पांडु जी ठिकाना

रतन - दि. 25/11/83, सुभगा, उत्तिकांगी, आदिम (आदिजाति)

विभाग, अपराध-पां लंका - श्री 83 के प्रमाणपत्र अंगी

ने प्रमाणित किया है कि तथा श्री - उडिया कुआ - निवासी श्री - आका वाध

ने वापस पत्र में प्रमाणित किया है कि श्री - उडिया कुआ - - - - -

पुत्र/पुत्री/पुत्र/श्री - आका वाध - - - - - पत्नी नं० - 549/106-प.प्र.प

- लीला लाल - - - - - तत्पुत्री - उज - श्री कला बोपाल के पुत्र

निवासी हैं व इनकी जाति - मेडा - - - - - है व धर्म - हिंदू - है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार - - - - - मेडा - - - - - जाति बोपाल जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति में आती है ।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के हाथन के क्रमांक/74 सी० अ.प्र. 0/335/(3)62 दिनांक 8 जनवरी 1962 द्वारा सम्पन्नित आधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र को देय माना गया है । अतः इस आधार पर यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि यह प्रमाणपत्र राष्ट्र शासन की नींवियों तक ही मान्य होगा ।



TRIBAL WELFARE DEPARTMENT, BHOPAL

\* अनुसूचित \*

कार्यालय जिलाध्यक्ष, आठवां कोशाखा । जबलपुर

क्रमांक 857/

जाति -प्रमाण -पत्र

दिनांक 27/2/82

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इयाम लाल  
पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति श्री लक्ष्मण प्रसाद जाति हल्वा।कोटा।  
निवासी मंडा तहसील जबलपुर जिला जबलपुर की है। जो अनुसूचित  
जाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है। वह जाति संविधान  
संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 108 की धारा 1 की उपधारा 12।  
अन्तर्गत 27 जुलाई 1977 मध्य राज्य के लिये घोषित है।

यह प्रमाण पत्र संसद/सदस्य/विधायक /संसद/तहसीलदार/  
पार्षद श्री बोखेलाल चौधरी के द्वारा प्रसारित जाति प्रसारित किया गया  
है।

सही/-

जिला- संयोजक

आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण  
जबलपुर ।

//सत्यप्रतिलिपि//

*[Handwritten Signature]*  
संयोजक  
आदिम जाति एवं  
हरिजन कल्याण

# आय, जाति, प्रमाण पत्र

राजस्व प्रकरण

नं. ३३१-८६-८७ वि. दिनांक ३१/११/८६

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

श्री

जिला छिंदवाड़ा का निवासी है।

इनकी जाति

अनुसूचित जने जाति में आती है।

मये-असरी

यह प्रमाण पत्र आवदन द्वारा प्रस्तुत आवदन पत्र प्रमाण पत्र तथा परिवारी व निवेदन के आधार पर दिया गया।

सील

अधीक्षक  
छिंदवाड़ा

APPENDIX No. I  
[Vide Rule No 1.4 (i)]

SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE CERTIFICATES.

Ref. No. 1006

Date 22/11/83

Certified that Shri/Kumari/Smt. Manoj Kumar Mandrai son/daughter/wife of Shri Rambharosh Mandrai is a native of the State of Madhya Pradesh and is a resident of Village Harada Tehsil Harde District Hoshangabad and belongs to Scheduled Caste/Tribe Mochi sub-caste/tribe Mandrai and has been getting State and Post-Matric Scholarship and other concession granted by the Tribal and Harijan Welfare Department as detailed below :---

- (i) Year 1978-79.....
- (ii) Year 1979-80.....
- (iii) Year 1980-81.....
- (iv) Year 1981-82.....
- (v) Year 1982-83.....

*[Signature]*

District Organiser  
Tribal & Harijan Welfare  
Hoshangabad (M.P.)  
Signature of District Organiser Tribal Welfare

Place Harada

Date 22/7/83



I have conducted necessary enquiry and have satisfied myself / or have personal knowledge of the fact that Shri/Kumari/Smt. Manoj Kumar Mandrai son/daughter/wife of Shri Rambharosh Mandrai is a native of the State of Madhya Pradesh and resident of Village Harada Tehsil Harde District Hoshangabad is a member of Mochi Caste/Tribe and Mandrai sub-caste/tribe, which is one of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes, recognised under the Constitution for the State of Madhya Pradesh.

Place Harada

Date 29/7/83



*[Signature]*  
Sub-Divisional Officer  
Signature of Sub-Divisional officer  
Hoshangabad (M.P.)

- Note:-
- (i) "Scheduled Castes" means "Scheduled Castes specified in relation to M.P. State under Article 341 of the Constitution" and "Scheduled Tribes" means the "Scheduled Tribes specified in relation to M.P. State under Article 342 of the Constitution".
  - (ii) This certificate should be issued after due enquiry carried out by Revenue or Tribal Welfare Department and not on the basis of an affidavit by the guardian of the candidate or on the basis of certificate from members of local bodies.

कार्यालय कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक 609

दिनांक 22/6/983

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती मनिज कुमारी  
मातृनाम/पति/प्रतिभा जयवी जयवाड़े ग्राम हनुमानगढ़  
तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़  
निवासी है क्योंकि :-

- 1. वह म०प्र० में पैदा हुआ है ।
- 2. वह पालक एवं अभिभावक/म०प्र० में निरन्तर कम से 15 वर्ष से रह रहा
- 3. उसके पालक में से कार्य रक्ष शासन का सेवारत एवं सेवा निवृत्त कर्मचारी है  
अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो म०प्र० में सेवारत है ।
- 4. वह स्वयं अथवा उसके राज्य में पिछले 5 वर्ष से कोई सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यापार रखता है :-

इसके अतिरिक्त

- 1/- उसने अपना म०प्र० में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है अथवा :-
- 2/- उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम 12<sup>वा</sup> परीक्षा पास की है :-

प्राथमरी, पिंडिल, हायरसेकेंडरी परीक्षा

P. K. Sharma

प्राधिकृत अधिकारी,  
पद का नाम एवं सील  
डिप्टी कलेक्टर, हनुमानगढ़  
कलेक्टर हनुमानगढ़

नोट :- यह प्रमाणपत्र इलफ सा स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर जारी किया गया है ।

मुद्रा





कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

340

बुक नंबर .....

सीरियल नंबर 11

प्रकरण क्रमांक 79520/12/05

भोपाल, दिनांक 6/8/05

मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती धर्मेश यादव

आत्मज/आत्मजा/पति श्री रामजीत यादव

ग्राम/नगर M-216 अयोध्या नगर भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल

मध्यप्रदेश के निवासी हैं क्योंकि :-

✓ वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है; अथवा

✓ वह उसके पालक, वैध अधिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है; अथवा

✓ उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवार्थ या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हो तो मध्यप्रदेश में पदस्थ हो; अथवा

✗ वह स्वयं अथवा पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय देखते हैं,

परन्तु इसके अतिरिक्त

✓ उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक की हो; अथवा ग्यालेय

✗ उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :-

1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (दसवीं, बारहवीं)

2) आठवीं की परीक्षा

3) पांचवीं की परीक्षा

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती धर्मेश यादव  
आत्मज/आत्मजा/पति श्री रामजीत यादव  
ग्राम/नगर M-216 अयोध्या नगर भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल

[Signature]  
अध्यक्ष संचालक

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था  
भोपाल

[Signature]  
आति. प्राधिकृत अधिकारी  
एन.डी.ओ. भोपाल

[Signature]

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद  
(स्थायी प्रमाणीकरण)

6

अनुभाग होशंगाबाद 1

जिला होशंगाबाद

मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक 32 ✓

प्रकरण क्रमांक...../बी 121/98-99

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी श्री रतिपाल

पिता/पति का नाम श्री रामराम निवासी ग्राम/हजार गोल चकरी

विकास खण्ड होशंगाबाद तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समाज होशंगाबाद जाति/ राज

का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य

के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/“जनजाति

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976” के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक

18 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमति/कुमारी श्री रतिपाल पिता/पति का नाम.....

श्री रामराम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी श्री रतिपाल

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 15000/- है

दिनांक 1/8/99

(सील)



True Copy

Om  
Lecturer

Govt. Higher Sec. School  
Kotna, Dist. SEHORE (M.P.)

[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी  
होशंगाबाद

सत्यमेव जयते

[Signature]

म.प्र. प्रद. 99

// CASTE CERTIFICATE //

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri KANTI LAL CHOUDHARY

son of Sh. DHANNALAL CHOUDHARY of village/town ITARSI

in District/Division HOSHANGABAD of the State/Union Territory MADHYA PRADESH belongs to

the SCHEDULED (MOCHI) Caste/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :-

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951

the Constitution (Schedule Tribes) (Union Territories)

Order, 1951.

*Certificate issued on the basis of 10  
issued by the Dist. Officer  
Madhya P. No. 815/83 dt-27/7/83*



*अवधालिक दस्तावेज  
9/11/83*

कार्यालय नायब तहसीलदार



क्रमांक

जिल्हा

जाता

तहसीलदार / नायब तहसीलदार / सहायक / उप-निरीक्षक / निरीक्षक या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री. राजेश रामदास शास्त्री

व्यक्ति की 'रामेश शास्त्री' नाम

निवासी मातृ 'दीक्षा प्रभा' नाम

बिधा 'दीक्षा प्रभा' नाम निवासी है।

या 'वत-जात' / 'आदि' नाम निवासी है।

दिनांक 10/05/2017

# माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा

( टेक्नीकल, एक वर्षीय पाठ्यक्रम )

सन् १९८७

## प्रमाण-पत्र

018



रोल नम्बर १२१७

संख्या No 001744

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती वीरेंद्र सहाय राय ने,  
जिनके पिता / पति का नाम श्री राम सहाय राय है,  
की रजिस्ट्रेशन (अंकों में) ५५.५६९ (शब्दों में) पन्द्रह अगस्त  
सन् इकतस है, नियमित रूप से शाहवा का शाळा टीकमगढ़  
शाळा से सन् १९८७ ई. की हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (टेक्नीकल) द्वितीय  
वर्षी में उत्तीर्ण की है :-

विषय :-

- १ प्रथम भाषा हिन्दी  
(बिशिष्ट)
- २ द्वितीय भाषा अंग्रेजी  
(सामान्य)
- ३ गणित
- ४ भौतिक शास्त्र
- ५ रसायन शास्त्र

- ६ इन्जीनियरिंग साइन्स
- ७ इन्जीनियरिंग ड्राइंग
- ८ धार्मिक शिक्षा इतिहास
- ९ अतिरिक्त विषय /

इन्होंने निम्नांकित विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है :-

LC  
LC

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
भोपाल

7 JUL 1987

# जाति प्रमाण-पत्र

3

में पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि :-

१- श्री/श्रीमती/कुमारी --- सन्ध्या तिलोतिया  
पुत्री/पुत्री/पुत्री --- जी.रम.सल.तिलोतिया  
स्थायी निवास --- मंडीदीप जि.रायसेम (म.प्र.)  
..... है।

२- श्री/श्रीमती/कुमारी --- संध्या तिलोतिया  
जाति --- धोकी --- है और उनकी उप जाति --- (अ.जा.)  
उनका धर्म --- हिन्दू --- है। जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है।



हस्ताक्षर ---  
पूरा नाम --- नाथब तहसीलदार  
---  
---

नोट:- यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छाद्रवृत्ति मुख्यतः सप्रमाण-पत्र के आधार पर ही जाती है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुये यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम एवं पद का मुहर अवश्य लगाये।

जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिये निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम है:

- १] संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
- २] जिला कलेक्टर
- ३] परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें।
- ४] उप संचालक, आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ५] जिला संयोजक, जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ६] विकास खंड अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ७] वण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)
- ८] म्युनिसिपल कोसलर
- ९] तहसीलदार / नाथब तहसीलदार
- १०] जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच
- ११] मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण, हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण।

RECEIVED

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
ASST. DIR. ADMIN. SERVICES  
C. W. ROY, DIRECTOR



५८०११  
१२/६/८८

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री/ती/कु ललिता देलवार  
आत्मज पत्नी/आत्मजा श्री दयालचन्द्र देलवार  
ग्राम २६/१ रावहारा नगर तहसील बन्दौर  
जिला इन्दौर म. प्र. का

निवासी है क्योंकि वह—

(१) म. प्र. में पैदा हुआ है हुई है अथवा

(२) वह/पालक/वध अभिभाषक/म. प्र. में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है। अथवा

(३) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है। अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म. प्र. में सेवारत है। अथवा

(४) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई स्थायी अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

### इसके अतिरिक्त

(१) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। अथवा

(२) उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

(ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

नायब सहायक अधिकारी  
एच

कार्यपालन दण्डाधिकारी  
जिला इन्दौर तथा सोल

टीप—जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे।

टीप—असत्य जानकारी पाये जाने पर उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुतकर्ता का रहेगा।



कर्मिक / आ. आ. क्र. /

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है

सुपुत्र / सुपुत्री

नाम *विश्वनाथ*

का / को

जन्मदिनांक

जन्मस्थान

*Handwritten signature and stamp*

कलेक्टर द्वारा प्रमाण-पत्र

Date

# निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

रमेश कुमार

आत्मज

श्री राधेश

निवासी

पु. २०१० कलेक्टर

तहसील

सागर

जिला

सागर

मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है क्योंकि—

१- वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, अथवा

२- वह माँ / बाप / अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रहा है,

अथवा

३- इसके पालकों में से कोई राज्य सामान्य का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी है जो मध्य प्रदेश में सेवारत है,

अथवा

४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति अथवा उद्योग व्यवसाय रखते हैं।

## इसके अतिरिक्त—

१- उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है, अथवा

२- उसने म० प्र० में किसी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

क- उच्च माध्यमिक परीक्षा।

ख- आठवीं कक्षा की परीक्षा।

ग- चौथी कक्षा की परीक्षा।

टीप- जो अंता लागू न हो उसे काट दिया जावे।

गोपाल टाईपिंग इंग. सागर  
रमेश २०१० को अंक सूचीकरण द्वारा  
(कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत)

[ गोपाल टाईपिंग इंग. सागर ]



P. B. Kulkarni  
डिप्टी कलेक्टर  
सागर- कलेक्टर, सागर

41

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय तहसीलदार तहसील हजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)

"अन्य पिछड़े वर्गों को शासकी सेवा में नियुक्ति के लिये"

• प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र का

जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक

24/94

दिनांक

27/10/22

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/... .. श्री/... .. श्री/... ..  
 आत्मज / आत्मजा / श्रीमती ... .. श्री/... .. श्री/... ..  
 निवासी / ग्राम / म.नं. 16/ रविन्द्र कॉलेज जं. भोपाल ... ..  
 जिला सम्भाग ... .. भोपाल जं. मध्य ... ..  
 के निवासी है। जो ... .. जाति के हैं, जिसे  
 मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधि-  
 सूचना क्रमांक एफ/8/5/एचबीस/4 / 84 दिनांक 16 दिसम्बर 1984 की अनुसूची में  
 कुनबी क्रमांक ... .. पर जाति / उपजाति  
 वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/... .. श्री/... .. श्री/... ..  
 सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक  
 एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक  
 08.09.93 द्वारा किया गया है।

दिनांक



प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पद नाम

*[Signature]*  
 तहसीलदार एवं  
 कार्यपालन दफ्तर अधिकारी  
 तहसील हजूर (भोपाल)

कार्यालय कलेक्टर & आदिम जाति कल्याण भागा & भोपाल ।

क्रमांक / आदेश/भा.प्र.प./87/829 भोपाल, दिनांक 7/7/80

आदिम जाति कल्याण

श्री ... - विधायक - - - -

आपका पत्र ... के आधार पर किया जाता है कि श्री ...

पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी ... निवासी ...

... तहसील ...

जिला भोपाल के भूत निवासी हैं & तथा इसकी जाति ... है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात आदेश (संशोधन) अधिनियम 1978 के अनुसार ... भोपाल

... में सम्मिलित हैं ।

श.प्र. शासन, ताम्रान्ध्र प्रशासन विभाग क्रमांक/74/सी.आर. 335/1 /83 दिनांक 8 जनवरी 1962 द्वारा राज्यांत्रित अधिकारी द्वारा

प्रवर्तित प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति/राज्य शासन नौकरियों तक ही मान्य होगा

... सील



जिला अधिकारी, कल्याण, आदिम जाति कल्याण भागा, भोपाल

अनीत

AH ex-edi  
tax end

...

क्रमांक अमाण-पत्र/85

भाोपाल, दिनांक 14/1/85

2159


प्र ना ण - प त्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी श्रीमती विजय कुमारी  
आ लज आत्म प्रसि श्री कान मिहू मिश्रा  
पता 2159 अण-8 ह वाव के ज भाोपाल  
मध्यप्रदेश के निवासी है, क्योंकि

1. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
2. वह उसके पालक, वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से निवास करता है अथवा
3. उसके पालकों में से राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी हो तो मध्य-प्रदेश में पदस्था हो अथवा
4. वह संव्य अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पाँच 5 वर्षों से कोई अवल संपत्ति उद्योग अथवा उद्योग रखाते हैं ।

इसके अतिरिक्त :-

1. उसके अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की हो ।
  1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
  2. आठवीं की परीक्षा
  3. चौथी की परीक्षा



प्रमाणित अधिकारी  
जिला भाोपाल  
RECEIVED

Attested  
taxewar

अन्य पिछड़े वर्गों की शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र

890/13/10/95-56

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री धर्मदास चौरे

आत्मज श्री पद्मीकाठ चौरे निवासी मन्वीय ठंज

डियरसी जिला होशंगाबाद संभाग होशंगाबाद में

राज्य महाराष्ट्र के निवासी है जो कुर्मी जाति

के है जिसे मध्यप्रदेश शासन आदि जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की अनुसूचि मे क्रमांक पर जाति/उपजाति/वर्ग समूह मे अधिमाप्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री धर्मदास चौरे

श्रीमलेयर [सम्पन्न वर्ग] व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी मे नहीं आते है। जिसका उल्लेख भारत सरकार, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2-22-93/स्था [एस. टी. सी.] दिनांक 8-9-93 द्वारा सूची के कालम 3 मे किया गया है।



9/11/96

दिनांक 9/11/96

प्राधिकृत अधिकारी का नाम  
अर्पित नाम

# पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री. वि. वि. शर्मा पुत्र श्री श्री. जे. ए. शर्मा

प्राम जिला/प्रभाग/प्रदेश महाराष्ट्र

के निवा मुमुक्षु समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के

सकल्प सं. १२०११/६८/९३ वो. सी. (सी) दि. १० सित १९९३ द्वारा जो कि भारत सरकार के असाधारण राज्य प्रभाग १, खण्ड १ दि. १३ सित. १९९३ में प्रकाशित है के अनुसार पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री. वि. वि. शर्मा तथा/या उसका परिवार साधारणतया महाराष्ट्र

प्रदेश के जिला/प्रभाग में रहते/रहती हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

वे भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं. ३६०१२/२२/९३ स्था (एस. टी. सी.) दिनांक ८-९-९३ को अनुसूची के कालम-३ में उल्लेखित व्यक्तियों वर्गों (क्रोमीनेयर से संबंधित नहीं है।

दिनांक १०/१०/९३



जिलाधीश या उपायुक्त इत्यादि

मोहर १०/१०/९३

टिप्पणी-(१) यहां प्रयुक्त शब्द साधारणतया की वही अर्थ होगा जैसा कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० के खण्ड २० में टिप्पणी-२ केवल निम्नलिखित प्राधिकारियों से प्राप्त अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र भी स्वीकारी होगा।

(क) जिलाधीश/अपर जिलाधीश / कलेक्टर/उपायुक्त / अपर उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्इपेंडरी मजिस्ट्रेट/सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/सलाह मजिस्ट्रेट/एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी के स्टार्इपेंडरी मजिस्ट्रेट के नीचे के रैंक का न हो।)

(ख) चोफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चोफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(ग) राइस्व अधिकारी जो तहसीलदार में नीचे रैंक का न हो।

(घ) उस क्षेत्र का डिवीजनल आफिसर वहां अन्वार्थी या उसका परिवार साधारणतया रहता है।

कार्यालय  
अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुभाग ..... प्रारिखा ..... जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

पुस्तक क्र. 195 ..... प्रमाण पत्र क्र. 581 ..... प्रकरण क्र. 581/अनुविभा/04-05

- जाति प्रमाण पत्र -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. रविशंकर भारती

पिता/प्रति का नाम सीताराम

निवासी ग्राम/नगर चिर्यालीकला पटवारी हल्का नं. 13 तहसील प्रारिखा

जिला- छिन्दवाड़ा संभाग- जबलपुर जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन म. प्र. राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह प्रारिखा जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में

अनुक्रमांक 05 पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कु. रविशंकर भारती

पिता/प्रति का नाम सीताराम

अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 23/1/05




म. प्र. शा. मरावा  
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
अनुविभागीय अधिकारी  
पटवारी

V.S. JADHAW  
Asst. Prof. of Zoology  
S.M. Govt. P.G. College, Khanpura

सत्यापित प्रति

प्रशासकीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल





24

# मध्यप्रदेश कुशावाह भवन एवं छात्रावास

प्रस्तावित स्थल (५० x १०० का प्लॉट) माता मंदिर के समीप टी.टी. नगर भोपाल

क्रमांक

जाती उमाठी पत्र

दिनांक २०-९-२००९

मैं उमाठी करती हूँ। कि श्री. नरेंद्र कुमार कुशावाह का लज, स्थ. श्री. नंदकिशोर कुशावाह निवासी L.L.P. 123 खरखरी नगर जवाहर चोक भोपाल निवासी हैं।  
 जिन दोनको मैं ऊरही तरह से जानती हूँ  
 यह कुशावाह (जाही) हैं। जो कि पिछे  
 जाते हैं।

श्री. नरेंद्र कुमार  
 श्री. नंदकिशोर  
 कुशावाह - बहायमा क्षेत्र काठगुड  
 प.प. ४२२/२  
 माता मंदिर के समीप टी.टी. नगर भोपाल  
 महाम. ५६२/ कुशावाह  
 २०-९-२००९ खरखरी भोपाल

संयक्त कार्यालय : बाबूलाल कुशावाह भानपुर वाले, झोला रोड, भानपुरा भोपाल



48

कायलिय सैक्टर, कुरु (वाकिय वाति कल्याण शाखा)

प्रमाणिक । वाक्यांकन प्रथम १८२०, वंशु, दिनांक १-७-२०

ःइ वाति प्रमाणकतः

प्रमाणित किया जाता है कि श्री । सुमरी - सुमरीयन पाटीकर  
दुमरीयनीकी कुन्दू पाटीकर ग्राम ठोससिं तल्लीक वंशु पिता वंशु का ।  
निवासी है । इन्की जात मेहरा है । जिसे कुरु पितापिता कुरु पिताकपाति  
गणक (संशोक्त नियम १९७६ के अनुसार कुरुपित वाति कल्याण शाखा मया है ।  
सैक्टर द्वारा प्रमाणक जाति करने हेतु स्वीकृति पही-

वाकिय सैक्टर  
वाकिय वाति कल्याण  
द्वारा सैक्टर वंशु

4/7/82  
m.m. ROPTA  
Professor of ...  
J. H. Govt. College, Betul

अनुसूचित जाति / अनु. जन जाति का प्रमाणपत्र


लेखपाल व सुपरवाइजर कानूनगो की जांच आख्या दिनांक १९८७

के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिशुगणेश  
को उसके माता/ पिता/ श्री / श्रीमती/कु- रामगुलाम निवासी ग्राम  
दोला गांव/शहर/ जिला/मण्डल जालौर

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति दोला के आधार पर जारी  
किया गया है ये अनुसूचित जाति/ अनु. जन जाति है दोला जाति  
के व्यक्ति हैजि से दण्ड में अनुसूचित जाति/ अनु. जन जाति  
घोषित किया गया है।

दिनांक १९-९-८७

संख्या KN 1463

  
तहसीलदार, कोंच  
जालौर  
तहसीलदार  
कोंच (जालौर)

392

# जय प्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल म

## विकलांगता प्रमाण - पत्र



क्रमांक - 1013

दिनांक - 6.8.86

हम मेडिकल बोर्ड शासकीय जय प्रकाश चिकित्सालय के सदस्य यह प्रमाणित करते हैं

कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सिं  
 आत्मज /आत्मजा /पति /अभिभावक श्रीमती सुकुमार  
 पता म.प. जिला चिकित्सालय, भोपाल की आयु 45 वर्ष  
 निवासी भोपाल का परीक्षण किया  
 और पाया कि श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सिं  
 निम्नलिखित विकलांगता से पीड़ित हैं

1. अन्धता (दृष्टि बाधित) ।
2. दृष्टि क्षीणता ।
3. कुष्ठ रोग ।
4. वाक- श्रवण शक्ति हास ।
5. चलन निःशक्तता (अस्थि बाधित)
6. मानसिक मदता / रुग्णता (रिवाइडेशन) ।
7. कारणवश जो अंग आहत हो गया है ।

*Handwritten notes in Hindi:*  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

भारत सरकार के समाज कल्याण केंद्र गजट, नोटिफिकेशन क्र. 4.2.83 एच. डब्ल्यू. III

दिनांक 6.8.86 तथा 1 जून 2001 के अनुसार इसकी विकलांगता की प्रतिशत 100%  
 शब्दों में पूर्ण विकलांगता है तथा वह माइल्ड / मोडरेड / मोवियर / प्रोफाउन्ड / टोटल  
 (विकलांगता) की श्रेणी में आत हैं / विकलांगता की श्रेणी में नहीं आत हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि  
 श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सिं  
 यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से आठ वर्ष / स्थाई तक के लिए वैध रहे ।

**यह प्रमाण पत्र कोर्ट से संबंधित कार्यों के लिए नहीं है।**

बोर्ड के सदस्य :-

सदस्य  
 जिला चिकित्सालय  
 ज.पी. चिकित्सालय, भोपाल

सदस्य  
 (विशेष विशेषज्ञ)  
 जिला चिकित्सालय, भोपाल  
 ज.पी. चिकित्सालय, भोपाल

अध्यक्ष  
 मेडिकल बोर्ड  
 जिला चिकित्सालय, भोपाल  
 ज.पी. चिकित्सालय, भोपाल

(17)

# जाति प्रमाण-पत्र

मैं अपनी पूर्ण जानकारी के आधार पर यह प्रमाणित करता हूँ कि  
श्री गणेश चंद्र चमार आत्मनः श्री तीजडी चमार  
अनुसूचित जाति/जनजाति चमार

ग्राम चमेश्री तहसील सागर  
जिला सागर म. प्र. के स्थाई नागरिक मूलनिवासी  
वर्षों से म. प्र. में निवास करते हैं।

इसकी आय का स्रोत X  
स्रोतों से वार्षिक आय X  
दिनांक 17.5.93

पत्र श्रीमान् पं. पटवारी ए. व.  
रीपोट एच. सम्मानीय पूर्व भा. ए. ए.  
श्री केशरी फावरी जी अलख चौक  
सागर (म. प्र.)

है एवं समस्त  
सागर (म. प्र.)  
तहसीलदार  
डिप्टी कलेक्टर  
सागर  
(17/5)


In the Court of So. Maji Goryu  
Rev. Case No. 376 / A.D.M. 6-82/83  
Tah. Torajur 80-88

CAST CERTIFICATE

This is to certify that shri Dnyaneshwar  
S/o Indrahar R/o Bhandara Tah Torajur  
Dist Bhandara of Maharashtra State belong to the KALAR  
community religion is Hindu.

Shri Dnyaneshwar Visham Soneman and  
his family resides in District Bhandara in Maharashtra.

Place- Torajur  
Dated- 11.12.83



[Signature]  
Signature  
Executive Magistrate  
Designation



परिशिष्ट - "य"

अन्य पिछड़े वर्गों की जातकीय सेवा में विपूर्ति के लिए

प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

संख्या प्रकरण क्रमांक 48-1121-100 95799

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री

आत्मज 2113122 निवासी राज

जिला/संभाग राज राज्य राज

के निवासी है जो श्री जाति के है, जिसे मध्य प्रदेश

शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं विछेडा का कल्याण विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की अनुसूची में श्री

क्रमांक 10 पर जाति/उपजाति

की सूची में आया/आयी किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री

कीमतीवर सुसम्पन्न वर्ग/उच्चवर्गों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के परिपत्र 360/2. 22. 93/राज

द्वारा दिनांक 18. 9. 93 भारत की वे काल 3 में किया गया है।


क्रमांक :-

पाठकृत अधिकारी का नाम

राजपालिका

राज

221153





**\* आदिम जाति कल्याण-पत्र \***

39

1. पुराने जमाने की कल्पना पर प्रमाण प्रस्तुत है कि-  
 (पिता/माता) श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती डाकूर  
 पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती डाकूर  
 जन्म तिथि ...

2. श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती की  
 जाति डाकूर है; और उनकी उपजाति डाकूर है  
 उनका उम्र ... है। जो मध्यप्रदेश जायन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग  
 की सूची में सम्मिलित है।

हस्ताक्षर ...  
 पूरा नाम ...  
 पता ...

यदि आप इस पत्र को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क या भुगतान के माध्यम पर दी जाती है,  
 तो यह पत्र वास्तव में एक प्रमाण है कि यह पत्र जारी किया गया है। यह पत्र केवल सूचना के लिए है।  
 यह पत्र वास्तव में जारी करे। कृपया नाम एवं पता की मुहर अवश्य लगावे।

- जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति या जातकीय अधिकारी सक्षम हैं-
1. संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य
  2. जिला कलेक्टर
  3. परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें।
  4. उप मंचालक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास - पिछड़ा वर्ग कल्याण
  5. जिला संचालक जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
  6. विकास गण्ड अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
  7. संचालक कोषाध्यक्ष
  8. सहायक संचालक/वायव्य सहायक संचालक
  9. जनसंख्या संचालक, पान संचालक एवं पंचायत संचालक के सचिव
  10. सहायक संयोजक, आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

37

# मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने का निवास प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शैलेन्द्र सिंह राजवंत

आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री राधाशंकर राजवंत

ग्राम खैरवाड़ा तारखेड़ा तहसील दमोह जिला दमोह

मध्यप्रदेश के निवासी हैं क्योंकि वह—

- [१] मध्यप्रदेश में पैदा हुए हैं / हुई हैं अथवा
- [२] वह / पातक / वेध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम १५ वर्ष से रह रहे हैं।

अथवा  
अभिभावकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या निवृत्त कर्मचारी है।

अथवा  
केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

[३] वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं और इसके अतिरिक्त

- (१) उसने अपनी शिक्षा म. प्र. में स्थित किसी शिक्षण में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।
- (२) उसने म. प्र. में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक पास की है।

- (क) उच्चतर माध्यमिक
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा
- (ग) चौथी कक्षा / पांचवीं कक्षा की परीक्षा



(जो अंश लागू न हों उन्हें काट दीजिए)

Tahsildar  
प्राधिकृत अधिकारी  
नाम एवं  
सील

दिनांक- 8/1/96

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी जात वस्वामि शाखा) धौपल ।

अप्रति/आदिवासी/जाति प्रमाण- पत्र/845/625 धौपल, दिनांक 15/6/85

\* जाति प्रमाण- पत्र \*

श्री - - - - - काठुलामाक गौर - - - - - निवासी

पुत्र आशिरामेन्द्र शंकरिचर P.W.D. धौपल - - - - -

- - - - - शायक-पत्र - - - - - प्रमाणित है कि, तथा

श्री - आशिरामेन्द्र लक्ष्मी पति श्री - पुल्लुदयाल - - - - -

ने शायक-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि :-

श्री - - - - - आशिरामेन्द्र लक्ष्मी - पुत्र/पुत्री

श्री - - - - - लक्ष्मीदयाल - - - - - का नं० धौपल - - - - -

प्रवृत्ति पुरा - - - - - सह गोल धौपल - - - - - गिरगा धौपल के गोल निवासी

है व इनकी जाति शकरीक व धर्म हिन्दू है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

आधिनियम 1976 के अनुसार शकरीक जाति धौपल गिरे में अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल है ।

1960 राज्य निर्माण अधिनियम के अधिनियम 74/गो/

अप्रति/335/1/(3) दिनांक 8 नवंबर 1962 द्वारा राष्ट्रपति आधिकारी

द्वारा प्रस्तावित प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्तों के तहत ही जारी किया गया है ।



दिनांक 15/6/85  
आदिवासी जाति अधिकारी धौपल

अधिका \* -

227  
14/10/85

6

जाति/निवास का प्रमाण पत्र  
=====

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुजबल सिंह  
आत्मज - रुमान सिंह - पुरा पता सैतनाई  
- - - - - तहसील शुर्ही - जिला सागर MO प्र० के मूल/  
- - - - - स्थान निवासी है। इनकी जाति - चंदार - - - - - उपजाति/जनजाति  
- - - - - चंदार - - - - - है। जो कि MO प्रदेश में सागर जिले के लिये  
अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्तर्गत सूचीबद्ध है।

स्थान: Khisai  
दिनांक: 14/10/85

र-यय सत्यापित  
मुजबल सिंह

हस्ताक्षर  
पद मुद्रा.

C.S. Pandey  
मुख्य अधिकारी  
जाति/जाति अधिकारी  
शुर्ही (अनन्य)  
C.S. Pandey

7  
मुद्रक :- मुकुल प्रेम, सागर

कार्यालय कलेक्टर [ प्रमाणीकरण शाखा ] जिला सागर

कर्मिक क्र. दि. दि. कलेक्टर/म. प्र. मु. प्र. 1/25

दिनांक 18/11/25

## निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भुजवल सिंह

आत्मज शुभम सिंह निवासी सतनाई तहसील खुरई

जिला सागर मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है क्योंकि :-

1. वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है अथवा
2. वह धर्म/वेष/अभिभावक म. प्र. में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है) अथवा
3. इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी है जो मध्य प्रदेश में सेवारत है। अथवा
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अखन सम्पत्ति अथवा उद्योग व्यवस्था रखते हैं।


### इसके अतिरिक्त :-

1. उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है।
2. उसने म. प्र. से किसी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।

- (क) उच्च माध्यमिक परीक्षा /
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा /
- (ग) चौथी कक्षा की परीक्षा /

टीप :- जो अंश छागू न हो उसे काट दिया जावे।

पटवारी प्रेम लाल साहू  
डी.डी. नं. 1000 सागर

  
मुकुल प्रेम  
[सागर] 18-11-25

(कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत)

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते-कलेक्टर

(बिहारी-मूलकन्द जिनेंद्र कुमार मलैया, सागर)

भुजवल सिंह

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( प्रमाणीकरण )

अनुभाग डिण्डौरी जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश

शहपुरा

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक .....

Form No. 2

Signature

(M.P.)

1069

स्थायी प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण - पत्र

5570  
प्रकरण क्रमांक .....

(B-121)05-06

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रमति/कुमारी सुरवद्याल मराठी  
 पिता/पति का नाम सुरवदीन मराठी निवासी ग्राम/नगर मोह.द.वा.ली  
 वि.ख. मोह.द.वा.ली तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी संभाग जबलपुर खैरा  
 जति/जनजाति की सदस्य है और इस जति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 32 के  
 अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है  
 और यह खैरा जति /जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976  
 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची अनुक्रमांक 03 पर अंकित है  
 अतः श्री /श्रीमती / कुमारी सुरवद्याल मराठी  
 पिता / पति का नाम सुरवदीन मराठी अनुसूचित जाति /जनजाति का /की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी  
 परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 7 है।

दिनांक 21.02.06



हस्ताक्षर  
 प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम  
सुरवद्याल मराठी

मूल प्रमाणपत्र  
 आय को 7  
 सिपडा

स्थायी प्रमाणपत्र

सुरवद्याल

17/02/2006



**स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र**

1177 <sup>B14</sup>  
07-08

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी

आत्मज / आजमजा / पति

सुरवदान

सुरवदान

निवासी

मेहदवानी

तहसील शाहपुरा

जिला

डिण्डोरी


राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थायी

निवासी के लिये निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्रमांक 1, 1, 1, 2 एवं क्रमांक 2, 3

पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है।

**मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड**

- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई अथवा
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसका पालक वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है अथवा
- 1.3 उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश से सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है अथवा
- 1.5 वह स्वयं/ उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/ उद्योग/ व्यवसाय है एवं
2. इसके अतिरिक्त
- 2.1 उसमें मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है अथवा
- 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड इन्टरमीडियट हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा
- 2.3 अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
3. परन्तु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2, 1 से 2, 3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है
- 3.1 वह अंध/ मूक/ बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण किया अथवा
- 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है अथवा
- 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1, 2 की पूर्ति करते हैं एवं
- 3.3.1 वह अशिक्षित है अथवा
- 3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
4. वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है :-
- 4.1 मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संतान/ पत्नि/ पति है अथवा
- 4.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदंड पूरा करने वाले की पत्नि / पति है। अथवा
- 4.3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर मौहम्मदियत/ हिन्दू/ सिख/ जैन/ बौद्ध/ अन्य धर्म/ राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान / पत्नि/ पति है।



मूक अक्षीय के साथ ही जारी किया जायेगा

न्याय तहसीलदार  
नियंत्रण तहसीलदार  
मेहदवानी

स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

10/1/2008



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, शहपुरा

परिशिष्ट - तीन  
(नियम क्रं. 8(1) देखें)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( प्रमाणीकरण )

अनुभाग डिण्डौरी जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश

शहपुरा

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक 1373

स्थायी प्रमाण पत्र

प्रकरण क्रमांक 5574

Code No. 2

(B-121)05-06

Tahsil Shahpura  
Distt.-Dindori (M.P.)

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रामराज मराठी

पिता/पति का नाम खुशबदीन मराठी निवासी ग्राम/नगर मेहदवाकी

वि.स. मेहदवाकी तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी संभाग जबलपुर खैरा

जाति/जनजाति की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के

अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

और यह खैरा जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1956

के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची अनुक्रमांक 03 पर अंकित है

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी रामराज मराठी

पिता/पति का नाम खुशबदीन मराठी अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 21.02.06



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, शहपुरा

प्रमाणित अधिकारी का नाम

मक इलाकिया  
से प्राप्त हुआ है  
शहपुरा

स्वयंके द्वारा सत्यापित  
रामराज मराठी

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,  
टप्पा/तहसील Shahpura जिला डिण्डोरी.

10

क्र. RS/453/0101/10555/2014 /बी-121/2014

दिनांक 23/09/2014

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. रामराज पिता/पति सुखदीन निवासी मेंहदवानी, Mehadwani (Mehadwani), Shahpura, डिण्डोरी तहसील Shahpura जिला डिण्डोरी (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।  
प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- 1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।
- 2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ साक्ष्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)



*Open*

हस्ताक्षर  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार,  
तहसील Shahpura  
जिला डिण्डोरी

लागू न होने पर काट दें।

नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/453/0101/10555/2014 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाईट [lokseva.gov.in](http://lokseva.gov.in) अथवा [mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।  
प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट [www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर

[click here to verify](#) [Print](#) [Back](#)

मूलक हस्ताक्षर  
आयु 30/09/2014  
शहदा

रामराज भरावी

# कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

\* अनुभाग: ----- जिला ----- मध्यप्रदेश  
\* इचर भोपाल

\* पुस्तक क्रमांक: -----  
\* **अस्थायी प्रमाण-पत्र**

\* प्रमाण पत्र क्रमांक: ----- प्रकरण क्रमांक 5094/B131/2-3

## ◆ जाति प्रमाण-पत्र ◆

\* यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी विहारीलाल

\* पिता/पति का नाम श्री रामपति निवासी ग्राम/नगर श्यामनगर

\* पाना इन्डियन डे सामन भोपाल

\* भोपाल मध्य प्रदेश वि. सं. पुन्डा तहसील इचर जिला भोपाल संभाग भोपाल

\* जाति/जनजाति का/की/सदस्य है और इस जाति/जन जाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन

\* मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह

\* श्री रामपति जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के

\* अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 14 पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी विहारीलाल

\* भोपाल

\* पिता/पति का नाम श्री रामपति अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

\* इनका धर्म हिन्दू है।

\* 2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी विहारीलाल

\* के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 11 है।

\* दिनांक 21/4/03

[Signature]  
हस्ताक्षर

\* (सील)

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
एवं कार्यपालन दंडाधिकारी



यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।

(ए.पी.जी.)

19

कार्यालय तहसीलदार तहसील हजूर जिला मोपाठ (म.प्र.)

क्रमांक 18

दिनांक : 1-4-03


# निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. विहारी लाल  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री रामपति हरिजन  
निवासी श्याम लाल दवीवाण धाना  
के पास मोपाठ म. प्र. के हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. विहारी लाल  
03 (तीन) वर्षों से निरन्तर रूप से रह रहे हैं।

यह निवास प्रमाण-पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, आवेदन-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया।

स्थान :  
दिनांक :



[Signature]  
नायब तहसीलदार  
एवं कार्यभार संभालने वाला  
तहसील हजूर, मोपाठ  
हस्ताक्षर/मूद्रा सहित

A.P.B.

14

प्रारूप "एक"

[ निर्देश दिनांक 12-3-1997 की कंडिका क्र. 8 (2) देखें ]

**अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिये स्थायी प्रमाण-पत्र**

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग 531 सागर जिला सागर मध्यप्रदेश.

पुस्तक क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक 115 ... 121

प्रमाण-पत्र क्रमांक 29

वर्ष-2011-2012

**जाति प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी चन्दना  
पुत्र/पुत्री श्री भागीरथ प्रसाद  
निवासी/ग्राम/शहर करीपुर तहसील सागर जिला सागर मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो  
दोली जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित  
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984,  
पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 234-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ  
में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और जो सूची के क्रमांक 26  
पर अंकित है.

श्री चन्दना और/या उनका परिवार सामान्यतः  
मध्यप्रदेश के जिला सागर संभाग सागर में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्दना  
क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन  
विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" को अनुसूची  
के कॉलम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी भागीरथ प्रसाद  
के परिवार की वार्षिक आय रुपये 321276/- है.

दिनांक .....



भागीरथ प्रसाद  
प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
(म. प्र. शा. स. स.)  
पदनाम

शाकेसुधो-17088 वि.सं.सं-25-10-06-75, बुक्स.

मूल प्रमाणित  
प्रमाणित किया गया  
भागीरथ प्रसाद

self Attest  
Kojals  
15/02/16





क्रमांक/ 793/90 / 90-91

भोपाल दिनांक 29/5/90

// जाति - प्रमाण - पत्र //

श्री ~~श्री 25/5/90 प्रकृत~~ विधायक ~~श्री 25/5/90~~

एवं ~~श्री 25/5/90 श्री 25/5/90 श्री 25/5/90~~

के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि श्री ~~श्री 25/5/90 श्री 25/5/90~~

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति/ श्री ~~श्री 25/5/90 श्री 25/5/90~~ निवासी -


~~श्री 25/5/90 श्री 25/5/90~~ तहसील ~~श्री 25/5/90~~

जिला ~~श्री 25/5/90~~ के मूल निवासी हैं तथा इनकी जाति [

~~श्री 25/5/90~~ व धर्म हिन्दू है ।

पृष्ठ 09  
प्रतिलिपि:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 5.



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश § संशोधन § अधि-  
नियम 1976 के अनुसार ~~श्री 25/5/90~~ भोपाल जिले में अनु. जाति/  
जनजातियों की सूची में सम्मिलित हैं ।

स. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- 14/सी/आर/355/  
11813 दिनांक 08 जनवरी 1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त  
प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति /राज्य शासन की नौकरियों तक ही मान्य होगा ।

" सील "

*(Signature)*  
तहसीलदार  
भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग 300 प्रमाण पत्र क्रमांक 7512 जिला रायसेन मध्य प्रदेश पुस्तक क्रमांक 176 17/07/2017 02-08

जाति प्रमाण पत्र

उपरोक्त किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी गाँव/ग्राम तहसील जिला मध्य प्रदेश

और इस जाति जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित

है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति का/की सदस्य है।



Handwritten signature of Dr. Sudhir Sharma

Dr. Sudhir Sharma S.S.O. SCENE OF CRIME MOBILE UNIT Distt. INDORE (M.P.)

रविवार के द्वारा सम्पादित 21/7/16

मूल दस्तावेज से परीक्षण किया गया श्रीमती 21/7/16

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri\*/Shrimati/Kumari Ankit Son/Daughter of Radam Singh Village/Town Chikli /District/Division\* Dhary of the Madhya Pradesh State/Union Territory belongs to the Bhilala (07) Caste\*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Tribe under :

- \*The Constitution Scheduled Castes Order, 1950.
\*The Constitution Scheduled Tribes Order, 1950.
\*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
\*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.]
\*The Constitution (Jammu and Kashmir)\* Scheduled Castes Orders, 1956.
\*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)\* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
\*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)\* Scheduled Castes Order, 1962.
\*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)\* Scheduled Tribes Order, 1962.
\*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
\*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
\*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
\*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
\*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
\*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
\*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.
\*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
\*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
\*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
\*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
\*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati\* father/mother\* of Village/Town\* of Shri/Shrimati/Kumari of the State/Union Territory\* in /District/Division\* who belongs to the Caste\*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the Station/Union Territory\* issued by the DM Kukshi 7-5-7512/8/94 7-06-2008

3. Shri/Shrimati/Kumari\* and /or\* his/her\* family\* ordinarily reside(s) in Village/Town\* District/Division\* of the State/Union Territory \* of Chikli M.P.

Place Kukshi Date 22-12-15

Signature Anu Veer Bahariy Dandaधिकार Designation Kukshi Jilla-Dham (M.P) (with seal of Office)

State/Union Territory M.P.

T.C. S.S.O.

Dr. Sudhir Sharma S.S.O. SCENE OF CRIME MOBILE UNIT DISTRICT INDORE (M.P.) District In-charge Supendary

- \* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential Order
% Delete the Paragraph, which is not applicable

Note : (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

The following Officers are authorised to issue caste certificates :

- 1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Commissioner/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government countersigned by the District Magistrate concerned.
6. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

मूल्य (ता 19/1) 3 परीक्षण (ता 21/1) 21/1/16

स्वयं के द्वारा स्वीकारित 21/1/16





न्यायालय ना. तहसीलदार ..... (टीकमगढ़) म.प्र.

क्रमांक ..... क्यू/विधिध 1308 10/04/08 दिनांक 8/8/2008

**निवास प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

आत्मज श्री अनीला देवी जाति कु

निवासी रुडवा जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)

का निवासी है क्योंकि वह -

- 1)  म.प्र. में पैदा हुआ
- 2)  वह पालक वैद्य अभिभावक राज्य शासन का सेवारत या निवृत्त कर्मचारी हो अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी म.प्र. में कार्यरत हो
- 3)  वह पालक वैद्य अभिभावक म.प्र. में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से निवास करता हो अथवा
- 4)  वह स्वयं अथवा उसके राज्य पालक में से कोई पिछले पाँच वर्षों से अचल सम्पत्ति या उद्योग व्यवसाय रखता हो अथवा
- 5) उसके अतिरिक्त -
  - 1.  उसने अपनी शिक्षा म.प्र. में स्थित किसी भी संस्था से लगातार तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो
  - 2.  उसने अपनी शिक्षा म.प्र. में स्थित किसी भी संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं से कम से कम एक परीक्षा पास की हो -

- (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ।
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा ।
- (ग) पाँचवीं कक्षा की परीक्षा ।

नोट :- जो अंश लागू न हो उसको कृपया काट दिया जावे ।

अधिकृत अधिकारी

Medical Officer  
Community Health Centre  
Bithur (Tikamgarh) M.P.

*Handwritten signatures and notes:*  
Aneta Narmalev  
मूलप्रति से प्रमाणित  
23/8/08  
[Signature]


कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,  
टप्पा/तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ

17

प्र.क्र. RS/424/0110/358/2016 /बी-121/2016

दिनांक 27/01/2016

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. अनीता नामदेव पिता/पति लक्ष्मीनारायण नामदेव निवासी  
[Redacted], Neguwan Khas, Prithvipur, टीकमगढ तहसील पृथ्वीपुर जिला (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश  
के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की  
कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. \* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011  
दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क बच्चे\* जिनका  
विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -


(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ  
ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

Medical Officer  
Community Health Centre  
Prithvipur (Tahsil) M.P.



Aneeta Namdev  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

हस्ताक्षर  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार,  
तहसील पृथ्वीपुर  
जिला टीकमगढ

\* लागू न होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक: RS/424/0110/358/2016 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट lokseva.gov.in अथवा mpdistrict.gov.in पर  
यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट www.mpdistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर

8

अन्य पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाला

प्रमाण-पत्र

4557

15-9-94

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार कुशवाहा

आत्मज श्री रामजीपाल कुशवाहा

निवासी/ग्राम अहरा जिला/सम्पन्न सतना में शीवा संभाग

राज्य मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो आदि जाति के हैं,

जिसे मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-८-४ / पन्चोस / ४ / ८४ दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ की अनुसूची में क्रमांक पर जाति / उपजाति / वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार कुशवाहा कोमोलेयर ( सम्पन्न वर्ग ) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार काबिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र० ३६० / २.२२.६३ / स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक ८-९-६३ द्वारा सूची के कालम ३ में किया गया है।

दिनांक 15/9/94

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम  
पुस्तक अमरवाटव, राणा (म.न.)



# जाति प्रमाण पत्र 12 63

क्रमांक .....

दिनांक 30/11/93

(12)

पूर्ण जानकारो के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार कुशवाहा

पुत्र/पुत्री/श्री रामजीपाल कुशवाहा निवासी ग्राम भडरा ... तहसील अमवाहा

जिला सतना (म० प्र०) के हैं ये पिछड़ी जाति हरजन/बादिकारी/बाय की है। इनकी उपजाति


कुशवाहा ... है।

स्थान- भडरा

  
[Official Stamp]

चांपानो मशोन द्वारा फोटो कापी हेतु, सतना फोटो कापी सेन्टर, सिविल ल.इन, सतना (म० प्र०)

# जाति प्रमाण-पत्र



५

पूर्ण जानकारी के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित व्यक्ति का नाम **कुशवाहा**

पारसनाथ/पारसनाथ भी **रामजीपाल** कुशवाहा

ग्राम **भडल** तहसील **अमरवाहन** जिला **सतना** (म.प्र.)

प्रसूचित जाति/प्रसूचित जनजाति **विष्णु वर्मा**

पितृका जाति की है जिसकी जाति **कुक्षी** है एवं उसका धर्म **हिन्दू** है।

*(Signature)*  
सरपंच

तारीख **32/02/96**

ग्राम पंचायत **भडल** एवं पंचसोल  
विकास **अमरवाहन**  
जिला **सतना** (म.प्र.)

माननीय प्रेष **अमरवाहन**

दि

\* म

# जाति प्रमाणपत्र

धरणी एका नं. 68 अंश

पूर्ण जानकारी के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमान उमा चरण

आत्मज / आत्मजा श्री श्रीमान शंकर चरण

प्रा. नं. 101/51 तहसील अमरपटन जिला एच. सी. (म. प्र.)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति

पिछड़ी जाति की है जिनको जाति अनुसूचित जाति है एवं उसका धर्म हिंदू है।

तारीख 9/1/68

Attested

Assistant Sub-Divisional Officer  
C. H. C. Amarpatan  
Distt. Satna (M. P.)

Sub-Divisional Officer  
AMARPATAN,  
DIST. SATNA (M.P.)

20

कार्यालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 14

दिनांक: 4-4-03

# निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. मुन्नी चम्रदार  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री स्व. श्री जैया लाल  
निवासी 2 याम नगा घाना इवीव गडा के सामने  
भोपाल म. प्र. के हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. मुन्नी चम्रदार  
में विगत 05 (पांच) वर्षों से निरन्तर रूप से रह रहे हैं।

यह निवास प्रमाण-पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, आवेदन-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया।

स्थान: .....  
दिनांक: .....



[Signature]  
नायब तहसीलदार  
नामके तहसीलदार  
एवं कार्यालयन दण्डाधिकारी।  
हस्ताक्षरों सहित भोपाल


A.P.B.

कार्यालय

राजकीय कार्यालय ... .. तहसील ... मऊगंज ...

जिला सीवा (म० प्र०)

प्रकरण संख्या सी/११७ ... वर्ष १३-१४ दिनांक - ४-४-१४ ...



# जाति प्रमाण-पत्र

पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्रमाणित किया जाता है कि

श्री राजकुमार देव ... तनय श्री पद्म माता देव ...  
निवासी ग्राम राजपुरा मऊगंज के हैं एवं य जाति ... जाति के हैं तथा  
... पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।


*Ear*

*81* Mausil  
... ..  
... ..

परिशिष्ट "ब"

अन्य पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला

प्रमाण-पत्र का प्रारूप



प्रमाण-पत्र क्र. 947/B/21

9-1-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री

आत्मज: श्री. अ. प्रसाद शर्मा निवासी मण्डला गाँव ग्राम मण्डला जिला / सभाग मण्डला में मण्डला राज्य मध्य प्रदेश के निवासी है, जो

जाति के हैं, जिसे मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति / अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-८/५ पच्चीस/४/८४ दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ की अनुसूची में कमाक पर जाति/उपजाति/वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री

श्री. मिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्यात्मक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक ३६०/२-२२-६३ तथा (एस. सी. टी.) दिनांक ८-६३ द्वारा सूची के कालम ३ में किया गया है।

दिनांक 6-3-98

तहसीलदार  
मण्डला  
पदनाम

भारतिया प्रिंटिंग प्रेस, मऊगंज।

दिनांक

शिव प्रेम, मऊगंज।

भारतिया प्रेस, मऊगंज।



कार्यालय तहसील, इन्दौर

क्रमांक ९१/१२१/८८-८९

इन्दौर दिनांक १८/७/८९



जाति प्रमाण-पत्र

श्री/कु./श्रीमती

ललिता देव्या

पिता/पुत्री/पत्नी/श्री

हमालचन्द्र

मकान नम्बर

२५१ सर्वखरानगरा ग्राम

तहसील

इन्दौर

जिला इन्दौर के मूल निवासी हैं और इनका धर्म

हिन्दू है और इनकी जाति

कोरी है जो अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (संशोधन) अधिनियम १९७६ के अनुसार

जाति इन्दौर जिले में/मध्य प्रदेश में/अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

कोरी

यह जाति प्रमाण पत्र श्री

कन्हैयालाल यादव

विधायक/सांसद/जिला

इन्दौर

एवं राजपत्रित अधिकारी

सुपाम-शासक

श्यामकोट महाविद्यालय के ललिता देव्या

श्री/कु./श्रीमती

ललिता

पिता/पुत्री/पत्नी/श्री

हमालचन्द्र

के द्वारा दिये गये। शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रकाशन विभाग के जापन क्रमांक/७४/सी. आर./३३५/१/(३) ६१ दिनांक ८ जनवरी, १९६२ द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया जाति प्रमाण-पत्र बंध माना गया है। अतः यह प्रमाण-पत्र राजपत्रित अधिकारी/विधायक/सांसद एवं शपथ पत्र के प्रमाण के आधार पर दिया गया।

यह प्रमाण-पत्र राज्य शासन की नोक़रियों तथा छात्रवृत्ति हेतु मान्य होगा।

नाथ सिंह सी.सी.आर.  
तहसील इन्दौर

\* सूचना \*

यह जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसे सुरक्षित अपने पास रखें तथा इसकी सत्य प्रतिलिपियां फोटो स्टेट कॅामियां जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रस्तुत करें। इस मूल प्रमाण-पत्र के गुम होने पर जिम्मेदारी आपकी होगी इनकी दूसरी प्रति इस कार्यालय द्वारा प्रदाय नहीं की जावेगी।





प्रमाण-पत्र (B-1) का प्रमाण-पत्र  
अन्य पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये  
प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र का पारुप

### प्रमाण-पत्र

*Handwritten signature and date*

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेमसिंह कुशवाह  
आत्मज स्व. राम साहसरे सिंह निवासी/पाम काला काठगीवा  
जिला/सभाग इन्दौर में पन्द्रह वर्षों  
राज्य इन्दौर के निवासी है जो काष्ठी  
जाति के है, जिसे सध्यप्रवेश जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या

-८-५ / पञ्चवीस / ४ / ८४ दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ को अनुसूची में

क्रमिक नंबर जाति काष्ठी उपजाति कुशवाह

वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेमसिंह कामोलेपर (सम्पन्न वर्ग)  
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कामिक एवं प्रमाण विभाग  
के परिपत्र क्र. ३६९/२/२२/९३ त्वा. (एस. ओ. डी.) दिनांक ८-९-९३ द्वारा जारी सूची के कालम  
३ में किया गया है।



*Handwritten signature*  
प्राधिकृत अधिकारी का नाम  
सुधीर कुमार

*Handwritten signature and date at the bottom left*

विद्यार्थ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाने वाला  
इसकी एक प्रतिलिपि को प्रमाण-पत्र का प्रदाय किया गया है

मैं श्री प्रमोद सिंह नामक रामप्रसाद सिंह नाम/गृह इन्दौर  
तहसील इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. इन्दौर पुरा पता 185 लासा आकीया  
को पिछले वर्ष 5 में सामवा है इसकी जाति ब्राह्मण उपजाति कुशवाह  
व धर्म हिन्दू म. प्र. शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के  
ज्ञापन क्र. एक ८-५/पन्चीस -४-८४ भारतीय सविधान अनुच्छेद १५/४ एवं १६/४ के तहत घोषित पिछड़ा  
वर्ग की अनुसूची में अंकित है।

महोदय,  
हस्ताक्षर बलि सिंह  
शास. स्वामी विवेकानन्द उ. मा. वि.  
न्यु पलासिया, इन्दौर-३

प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र (स्कूल अभिलेख के अनुसृत)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्री प्रमोद सिंह पिता रामप्रसाद सिंह  
निवासी लासा आकीया प्रकान नं. 3 पुरा पता 185 लासा आकीया का  
(गण. प्रमाण-पत्र क्र. 14788 है।) इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. इन्दौर पुरा पता 185 लासा आकीया  
प्रमाण-पत्र क्र. 14788 है जो कि इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. इन्दौर पुरा पता 185 लासा आकीया का  
छात्र ने कहा मैं उत्तीर्ण किया।

1990 के उत्तीर्ण की है।

C. V. Jadhav

Attested  
New Jagah  
25/10/76

शास. स्वामी विवेकानन्द उ. मा. वि.  
न्यु पलासिया, इन्दौर-३

DR. D. K. WAGELA  
Scientist,  
N. P. Pollution Control Board,  
INDORE.

प्रारूप 3-(ब) 1 म. प्र. की अन्य पिछड़ी अनुसूचित (क्रीमी लेयर को छोड़कर) श्रेणी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमाण-पत्र का प्रारूप (नियम 2, 3, 5 देखें)

### स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)  
अनुभाग खिन्दाड़ा जिला खिन्दाड़ा (मध्य प्रदेश)

पुस्तक क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक ..... स.प्र. प्र./5682/डी.121/2006-07

### - जाति प्रमाण-पत्र -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुं. श्वेता .....  
आत्मज श्री पंचकौड़ी लाल साहू निवासी/ग्राम गन्धिया कला जिला खिन्दाड़ा  
संभाग जबलपुर ..... म. प्र. के निवासी है, जो तेली ..... जाति के हैं, जिसे  
पिछड़ा वर्ग के रूप में म. प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधि-  
सूचना क्रमांक एफ. 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री कुं. श्वेता ..... और या/उनका परिवार सामान्यतः म. प्र. के जिला  
खिन्दाड़ा संभाग जबलपुर ..... में निवास करता है व म. प्र. राज्य में  
दिनांक..... प्रवृत्त कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंचकौड़ी लाल साहू (पिता का नाम) क्रीमीलेयर  
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण  
विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची कालम 3 में तथा  
म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आ प्र, दिनांक 8 मार्च 1984 के साथ  
संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... है।

दिनांक 02 MAR 2007

(सील)



हस्ताक्षर  
प्रमाणिकरण अधिकारी  
अनुविभागीय अधिकारी  
खिन्दाड़ा (ब.प्र.)

Attested  
Principals

Govt. High Sch. Khindara  
Khindara, Dist. Khindara

श्रीमती

तहसीलदार एवं  
मूल निवासी प्रमाण पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक / ..... / बी-121 / 2006-07 छिन्दवाड़ा, दिनांक 14/5/07  
4992

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी श्वेता साहू

आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री पी.एल. साहू ग्राम छिन्दवाड़ा

तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश का निवासी है


क्योंकि वह :-

- 1. ✓ मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है, अथवा
- 2. ✓ वह/पालक/वेद्य/अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है, अथवा
- 3. ✓ उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है, अथवा
- 4. ✓ वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति अथवा उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त :-

- 1. ✓ उसने अपने शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है अथवा
- 2. ✓ उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षा संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है:-

- (अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
- (ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा
- (स) चौथी कक्षा की परीक्षा।



प्राधिकृत अधिकारी  
तहसीलदार  
छिन्दवाड़ा

टीप :- जो लागू न हो काट दिया जावे।

*[Handwritten Signature]*

Principal

Prin. High Sch. Same

*[Handwritten Signature]*

आयालय अनुविभागीय अधिकारी

15

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छिन्दवाड़ा (म.प्र.) श्रेणी / सेवाओं में आरक्षण सुविधाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पंचकेशी लाल साहू पुत्र/पुत्री  
 जन्म/संहर चिन्धवाड़ा तहसील हिंदोवाड़ा  
 जिला हिंदोवाड़ा मध्यप्रदेश के निवासी है जो तेली जाति के है। यह जाति भारत सरकार के गिनलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में कर्मांक (51) अधिसूचित है।

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर सन् 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995
4. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 10 दिसम्बर 1996
5. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी
6. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 164 दिनांक 1 सितम्बर 1997 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/11/12/96-बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 236 दिनांक 11 दिसम्बर 1997 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी
8. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 239 दिनांक 3 दिसम्बर 1997 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी
9. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी
10. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी
11. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी
12. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 270 दिनांक 6 दिसम्बर 1999 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी
13. भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी

श्री श्वेता और या/उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला हिंदोवाड़ा संभाग जलमपुर में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंचकेशी लाल साहू भारत सरकार के कर्मचारी एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 अनुसूची के कॉलेज 3 में उल्लिखित कीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते।

बी.एस.डी. 5682/बी-121/06-07 के शासक पत्र लेख (080) का

1 MAY 2000



अनुविभागीय अधिकारी  
 Principal  
 Govt. High Sch. Chhindwada

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मूदनाम  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 चिन्धवाड़ा



5

र सबमिशन का  
नय द्वारा नाम धे  
की सूत में नि  
जिसे उपलब्ध  
गये प्रत्येक रिक्त  
प्राप्त करने के नि  
दे इस सम्बन्ध  
है तो आप रोजग  
ी जाती है कि  
थक मार्गदर्शन  
की क्या-क्या  
प्रत्येक व्यवसा  
न प्रशिक्षण सं  
प्राप्त है  
कालिन संकेत  
लिखित और रो  
है जो प्रतीकरण  
कि आप अप  
होने की तारीख  
करण करने के  
आप रोजगार आ

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )

जबलपुर

जिला

जबलपुर

मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक

217

प्रमाण पत्र क्रमांक

क्रमांक 16649/बी-121/97-98

● जाति प्रमाण-पत्र ●

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी किरण

प्रति का नाम जमुना लक्ष्मादे निवास ग्राम/नगर 2/ लेखानगर

तहसील जबलपुर

जबलपुर जिला/भाग जबलपुर कोशी जाति / जन्मति-का / की सदस्य है


जाति / जन्मति-को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित  
जन्मति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह कोशी

जन्मति अनुसूचित जाति एवं जन्मति(संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची  
क्रमांक 31 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी किरण

प्रति का नाम जमुना लक्ष्मादे अनुसूचित जाति / जन्मति का / की हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी किरण

का कुल वार्षिक आय रुपये 50,000/- है।



Joint Director  
G. G. H. S. BHOPAL

19-5-76  
प्रमाणित किया जाता है

सत्यापित प्रति  
प्रमाणित किया जाता है  
न.प्र. प्रमाणित किया जाता है, भोपाल

6

कार्यपालन दण्डाधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी जबलपुर

### मूल निवासी का प्रमाण पत्र

क्रमांक :- 5846/बी/121/96-97

दिनांक :- 4.4.97

किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी किरण शाक्य

शाक्य <sup>2/1</sup> जबलपुर <sup>जबलपुर</sup> जबलपुर <sup>जबलपुर</sup> जबलपुर <sup>जबलपुर</sup> जबलपुर

को निवासी है क्योंकि वह—

म० प्र० में पैदा हुआ है / हुई अथवा—

वह पालक वंश अभिभावक के म० प्र० में निरन्तर कब से कम 15 वर्ष से रह रहा है अथवा (अभिभावक)

उसके पालकों में से स्याई राज्य शासन का सेवारत या सेवा विवृत कर्मचारी है (अथवा)

केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत है अथवा—

वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में 5 वर्ष से कार्य / चल व बचल संपत्ति घन्घा व्यवसाय करते हैं।

प्रतिरिक्त—

उ3 अपनी शिक्षा म. प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में से कम से कम 3 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की है अथवा—

उत्तमे म. प्र. में उक्त किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है।

- (अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- (ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा
- (स) पाँचवीं/प्राथमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा

जो प्रमाण पत्र न हो उन्हें काट दिया जाये।



*[Signature]*  
पद मध्ये प्रमाणित

दिकेता—विद्यार्थी पुस्तक सदन, गलगला, जबलपुर

सत्यापित प्रति.

*[Signature]*

प्रमुख नियंत्रण वेद, गोगा

*[Signature]*

*[Signature]*  
Medical Specialist,  
Seth Govind Das Hospital,  
Jabalpur (M. P.)





कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) (7)  
अनुभाग इटारसी ..... जिला होशंगाबाद ..... मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....


प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक

51/12/12/12  
98-99  
गम - इटारसी

## जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/ सुनीता कुल्हारे .....  
पिता/पति का नाम श्री सुजलाल कुल्हारे ..... निवासी ग्राम/नगर लीन कंगला, इटारसी  
वि. ख. होशंगाबाद ..... तहसील इटारसी ..... जिला होशंगाबाद .....  
संभाग होशंगाबाद ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद  
३४१ के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया  
गया है और यह बलाही ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एव जनजाति (सशोधन) अधिनियम  
१९७६ के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूचि में अनुक्रमांक ..... 4 ..... पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी  
सुनीता कुल्हारे ..... पिता/पति का नाम श्री सुजलाल कुल्हारे .....  
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।



प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी सुनीता कुल्हारे .....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... 1,20,113/- ..... है।

Attest

Divisional Operation Manager  
West-Central Railway, Bhopal

अनुविभागीय अधिकारी  
इटारसी (म.प्र.)  
हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का  
नाम तथा पदनाम

सत्यापित प्रति

प्रमाणित अधिकारी

प्रमाणित अधिकारी, भोपाल

क्र.सं. / प्रमाण-पत्र/83

दिनांक 16/12/83

4046


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती राजदुलारी परिवार  
आत्मज/अत्मजा/पत्नी - श्री जुगल किशोर परिवार  
पता - चार बत्ती चौराहा बुधवारा भोपाल  
मध्य प्रदेश का निवासो है क्योंकि वह

- X1/ वह 50प्र0 में पैदा हुआ है अथवा
- 2/ वह/उसका पालक/वैध अधिकारक 50प्र0 में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से निवास कर रहा है। अथवा
- X3/ उसका पालक में से कोई राज्य शासन सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारी है? अथवा केन्द्र शासन का कर्मचारी होवे मध्यप्रदेश में प्रदस्त हो, अथवा
- X4/ वह स्वयं अथवा उसके पालक में से राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई अवल संपत्ति उपयोग अथवा व्यय रखता हो।

इसके अतिरिक्त: -

- 1/ उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम तीन वर्षों से प्राप्त की हो अथवा
- 2/ उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी शिक्षित संस्था में से निःनलिखित परीक्षा में से एक परीक्षा पास की हो।
  - 1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ।
  - 2) आठवें को परीक्षा ।
  - 3) चौथे को परीक्षा ।



*[Signature]*  
आधिकृत अधिकारी,  
Executive Magistrate  
For District Magistrate,  
BHOAL

प्रमाण-पत्र

# मूल-निवासी

10/4/97  
(20000260)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/कुमारी शुनीता कुच्छरे  
श्री कृजलाल कुच्छरे निवासी इधरसी  
तहसील इधरसी जिला होशंगाबाद म. प्र. का/की निवासी है।  
क्योंकि वह—

- ✓ १- म. प्र. में पैदा हुआ / हुई / अथवा—
- ✓ २- वह पालक / बेहू अभिभावक म. प्र. में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रहा / रही है। अथवा—
- ३- उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो म. प्र. में सेवारत है। अथवा—
- ४- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच सालों से कोई अचल सम्पत्ति या उद्योग या व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त—
  - (१) उसने अपनी शिक्षा म. प्र. स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम ३ वर्ष तक प्राप्त की है। अथवा—
  - (२) उसने म. प्र. स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की हो।

- ✓ (अ) उच्चतर माध्यमिक कक्षा की परीक्षा
- ✓ (ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा
- ✓ (स) चौथी कक्षा की परीक्षा
- (द) अन्य कोई परीक्षा जो उसने पास की हो।

*Jeetendra*  
अध्यक्ष प्राध्यापक  
उप. प्र. वि. वि. महाविद्यालय  
इधरसी [म.प्र.]

*[Signature]*


नायब तहसीलदार  
प्राधिकृत अधिकारी

सत्यापित प्रति (पद एवं सील)

*[Signature]*

प्रकारक अधिकारी  
म.प्र. प्रबन्धन नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

टीप :- जो अन्य लागू न हो इसे काट दिया जावे।







10

—: प्रमाण-पत्र :—

निवास

मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
जन्म म./पत्नी/आत्मजा / श्री .....  
ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....  
मध्य प्रदेश का निवासी है क्योंकि वह—

- (१) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है, अथवा [ 25-3-1969 ]
- (२) वह/पालक/बैध अभिभावक मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा, अथवा
- (३) अभिभावकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है अथवा
- (४) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले ५ वर्षों में कोई अच्छी सम्पत्ति खरीद अथवा व्यवसाय करते हैं इसके अतिरिक्त
- (५) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षा संस्था में कम से कम ३ वर्ष तक प्राप्त की है अथवा
- (६) उसने म. प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक पास की है।

- (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/नवीन १०+२+३ माध्यमिक परीक्षा 1990
- (ख) आठवीं कक्षा की माध्यमिक परीक्षा
- (ग) चौथी कक्षा की परीक्षा

Dec 16  
तहसीलदार  
बमोह  
9/2/90

स्थान : बमोह  
तारीख : 9/2/90

(जो लागू न हो उन्हें काट दीजिये)  
प्राधिकृत अधिकारी  
पद नाम एवं सील

स्कूलों, अदालतों, पंचायतों, कार्यालयों के  
छपे फार्म मिलाने का पता- महाश्वोर स्टेशनरी मार्ग, बमोह

603





11


6

[ नियम क्र. 8 (2) देखें ]

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( प्रमाणीकरण )  
अनुभाग ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

पु. क्र. 12  
स. क्र. 119



प्रकरण क्रमांक  
609/03-04/13/21

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी हेमलता भाई पिता/पति का नाम काबूराम भाई निवासी ग्राम/नगर सुन्दरगढ़ (वार्ड) लखनपुर पटवारी हल्का नं. ..... तहसील ..... जिला ..... संभाग ..... जाति/जन्जाति का / की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह कोली जाति/जन्जाति अनुसूचित जाति एवं जन्जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक. 31 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी हेमलता भाई पिता/पति का नाम काबूराम भाई अनुसूचित जाति/जन्जाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक 31/07/04

*(Handwritten signature)*

(किशोर कन्याल)  
अनुविभागीय अधिकारी  
ग्वालियर (म.प्र.)

R. K. MAHAR  
Asstt. Professor of English  
Govt. Autonomous K.R. College  
GWALIOR

कार्यालय प्रति  
*(Handwritten signature)*  
प्रकारिक अधिकारी  
प्रमाण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

3326 1998 B12

# मूल निवासी प्रमाण-पत्र

कार्यालय जिलाध्यक्ष इवालिगर (म० प्र०)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारो हेमलता माहोर  
आत्मज/पत्नी/आर्मज/श्री कादिराम माहोर  
ग्राम मशकर तहसील इवालिगर जिला इवालिगर  
मध्यप्रदेश का निवासी है।

क्योंकि वह—

- 1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है, अथवा
- 2. इसके पालक दय अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं अथवा किन्द्रीय शासन कर्मचारी जो मध्यप्रदेश से सेवारत है, अथवा
- 3. इसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा किन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है, अथवा
- 4. वह स्वयं उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त—

- 1. उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, अथवा
- 2. उसने म० प्र० में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की।
  - (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
  - (ख) आठवी कक्षा परीक्षा
  - (ग) चौथी कक्षा परीक्षा

टीप--जो अंश लागू न हो, काट दिया जाय।

MAHARAJA  
आचार्यकृत अधिकारी निवासे  
पुस्तकालय सी.पी.स्ट्री.  
इवालिगर

प्रमाणित प्रति

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

R. K. MAHOR  
Asstt. Professor of Zoology

सं. 110/06  
11-10-06

कादर 211 य 1

*[Handwritten Signature]*  
11-10-06

11/10/06

*[Handwritten Signature]*

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री रामशंकर कोरी

पिता श्री मानक लाल कोरी साकिन हटा तह० हटा

जिला दमोह के कोरी नाम की अनुसूचित जाति के हैं।

सारीख

हस्ताक्षर

मंडल - संयोजक

स्थान हटा जिला - दमोह

पर जाति एवं हरिजन

प्रमाणपत्र

पता

दमोह (म.प्र.)

सम्पाप्त किया जाता है श्री रामशंकर  
मानक श्री मानक लाल कोरी निवासी हटा

यह प्रमाण-पत्र किसी गजटिड ऑफिसर के द्वारा दिया जाना चाहिये।

सभी प्रकार के छपे काम एकमात्र स्थान

संगम जनरल स्टोर्स - स्टेशन धौराहा दमोह ४०३

४क४ उन्होंने मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में कही भी सेवा करने की सहमति दी है, यह उन्हें मान्य होगी।

148

147

नामक लक्ष्मीलक्ष्मी - लक्ष्मीलक्ष्मी - लक्ष्मीलक्ष्मी  
जिला - सीक - (म.प्र.)  
क्रमांक - ९९ | ति. ११/१०/९१ | दिनांक - १०-१०-९१

# जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि  
नाम - काश लाल विश्वकर्मा  
पिता - विश्वनाथ विश्वकर्मा  
जिला - सीक - के है एवं वे - बड़ई - जाति के हैं तथा  
पिछडा का - जेथी के सम्बन्धित जाते हैं।


*(Signature)*  
न. य. तहसीलदार  
तहसील त्योंबर जिला सीक  
(म.प्र.)

*(Signature)*  
(म.प्र. - विश्वकर्मा)

दिनांक १६/१०/९१

*(Signature)*  
(म.प्र. - विश्वकर्मा)

म.प्र. शासिका  
१९९१



148

न्यायालय ... तहसील ... जिला-रीवा (म. प्र.)

प्र. क्र. 1546 दिनांक 15/11/2009

## निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ... तहसील ... जिला ...

आत्मक ... तहसील ... जिला ... मध्य प्रदेश के निवासी है क्योंकि वह :-

- १- मध्य प्रदेश में पैदा हुआ।
- २- वह पालक, वैध अभिभावक म. प्र. में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रहता है।
- ३- उनके पालक में के कोई कार्य राज्य शासन का सेवारत या सेवा से निवृत्त कर्मचारी है।
- ४- केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा
- ५- वह राज्य शासन का कर्मचारी राज्य में पिछले ४ वर्षों से कार्य अथवा सम्पत्ति अथवा
- ६- इसके अतिरिक्त :-

- (१) उसने अपना शिक्षा म. प्र. में विद्यत किसी में कम अ २ वर्ष की है अथवा।
- (२) उसने म. प्र. में किसी संस्था में भी निम्न लिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है -
- १- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- २- आठवीं की परीक्षा
- ३- चौथी कक्षा की परीक्षा

दिनांक 15/11/2009

आधिकारी

...





श्रीमती गंगा लाल  
कार्यालय कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण  
नरसिंहपुर

3

क्रमांक/ 52 /आजोको/82 नरसिंहपुर, दिनांक

जाति प्रमाण पत्र

175

सहायक नगरपालिका अधिकारी/सरपंच सामंजस्य  
कार्यवाही किया गया जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन  
के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...

... निवासी डोटा चिड़वाडा तहसील



28/10

श्रीमती गंगा लाल



4

ग-२३

अपनी पूर्ण जानकारी के आधार पर प्रमाणित करता है कि

श्री ..... शिवराम

नाम ..... सुन्दर लाल अनुसूचित जाति/जनजाति ..... जिला ..... जिला


नाम ..... लक्ष्मी प्रसाद तहसील ..... जिला ..... जिला

वर्ग ..... के तहत नागरिक/ग्राम निवासी हैं एवं ..... वर्षों से वर्ग ..... में निवास

करते हैं। उनकी आय के स्त्रोत ..... हैं एवं समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आमदानी

..... रुपये हैं।

दिनांक... 17/9/91...



हस्ताक्षर ..... [Signature]

पद ..... [Signature]

क्या आप से जांच की गई है  
रीकॉर्ड फाइल नम्बर। [Signature]

भारत सरकार, राज्य सरकार  
जाती रिपोर्ट रखें कृपया  
रिपोर्ट की फाइल नम्बरों के माध्यम से।

7.11.94 B-E

अनुसूचित जाति / जन जाति का प्रमाण पत्र 2614

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चक्र उर्फ (चन्द्रशेखर)

आत्मज राम खिलान ... निवासी ग्राम हेल्लपुरा ...  
डाकखाना ... तहसील ... जिला ...

उत्तर प्रदेश के ... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है  
जो अनुसूचित एवं अनुसूचितजनजाति आदेश [संशोधन] अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत  
मान्यता प्राप्त है।

दिनांक 18-5-52 मुहर-  
श्री/श्रीमती/कुमारी ... और अथवा उनका  
परिवार ... गांव/नगर ... जिला ...


राज्य उत्तर प्रदेश में सामान्यता रहता है।  
यह प्रमाण पत्र लेखपाल/सु०/कानूनगो ... की आख्या पर दिया गया

ह० तहसीलदार

# कार्यालय तहसीलदार तहसील झाबुआ ( म. प्र. )

झाबुआ, दिनांक 18/7/95

## जाति प्रमाण-पत्र



कमोक्त

/बो/ 122

247

के प्रमाणिकरण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती श्रीमती जवाहीर श्री जवाहीर तहसील झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश के मूल निवासी है मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति में से अधिकांश जाति है।

यह प्रमाण पत्र प्रार्थी द्वारा वांछा जाने पर प्रदान किया जाता है।

तहसील कार्यालय झाबुआ

दिनांक :- 18/7/95

*(Signature)*  
तहसीलदार  
तहसील झाबुआ

30

- 11. श्री रामरतन सागरि
- 12. श्रीमती शोभा टोके
- 13. श्री राम नाथ वर्मा
- 14. श्री छोटे लाल कुशवाह

श. का. सागर  
 मुख्यालय भोपाल  
 मुख्यालय भोपाल  
 मुख्यालय भोपाल



70

7

छड़े वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र  
न्यायपालिका तहसील तहसील मिर्जापुर  
क्रमांक 152/150/94 प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री

लक्ष्मणलाल

उत्तर श्री

14/7/94

जिला/संभाग

धरपुर (सागर)

मध्यप्रदेश के निवासी है जो

कुमार

काठ के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन,

नाथराय परे

जिला/ग्राम

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-8-5/एचबीस/434, दिनांक 25 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिनियमित किया गया है।

श्री

लक्ष्मणलाल परे

और/या उत्तर श्री

सामान्यतः

मध्यप्रदेश के

धरपुर

जिला

धरपुर

जन्म

सागर

में मूलतः निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री

लक्ष्मणलाल परे

परे

श्रीनीतेवर (संपन्न वर्ग):

व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत

चक्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/22/93/स्या. (रज.सौ.वी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के क्र. क्रमांक-एफ-7-38/93/1/आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'इ' की अनुसूची के कालम-3 में किया गया है।

मौल

तहसील मिर्जापुर प्राधिकृत अधिकारी का

यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची

पद नाम

प्रमाणित किया गया है जहाँ कि अन्यथा यह उत्तर परिवार निवास करता है:-

प्राधिकृत अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहाँ कि अन्यथा यह उत्तर परिवार निवास करता है:-

प्राधिकृत अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहाँ कि अन्यथा यह उत्तर परिवार निवास करता है:-

न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश कार्यालय, जिला "सीता" (म० प्र०)

संक्र० 172 वर्ष 1989-90 दिनांक 21/1/89

21

### निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .....  
श्री 21/1/89

आत्मज श्री 21/1/89 ग्राम ..... तहसील .....  
जिला ..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं क्योंकि वह—

- 1—मध्य प्रदेश में पैदा हुआ।
- 2—वह पालक, बंधु अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रहता है।
- 3—उनके पालक में से कोई कार्य राज्य शासन का सेवारत या सेवा से निवास कर्मचारी है
- 4—केंद्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा
- 5—वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कार्य अचल अथवा संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
- 6—इसके अतिरिक्त—
  - 1—उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष की है अथवा
  - 2—उसने म० प्र० में किसी संस्था में भी निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है—
    - 1—उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
    - 2—आठवीं की परीक्षा
    - 3—दशवीं कक्षा की परीक्षा

21/1/89  
तहसीलदार  
तहसील सिरहौर, जिला सीता (म० प्र०)  
प्राधिकृत अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री 21/1/89 ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं क्योंकि वह—

1—मध्य प्रदेश में पैदा हुआ।

2—वह पालक, बंधु अभिभावक म० प्र० में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रहता है।

3—उनके पालक में से कोई कार्य राज्य शासन का सेवारत या सेवा से निवास कर्मचारी है

4—केंद्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा

5—वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कार्य अचल अथवा संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

6—इसके अतिरिक्त—

1—उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष की है अथवा

2—उसने म० प्र० में किसी संस्था में भी निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है—

1—उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

2—आठवीं की परीक्षा

3—दशवीं कक्षा की परीक्षा

21/1/89  
तहसीलदार  
तहसील सिरहौर, जिला सीता (म० प्र०)  
प्राधिकृत अधिकारी

5030 4526 1312 96 97  
जाति का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वृजेश 27 9 01  
आरमज जीलवन प्रसाद निवासी 311 पाल गीज  
तहसील मिर्जापुर जिला मिर्जापुर  
जाति के 27 9 01 है। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति में मान्य की गई है।

दिनांक 21/11/97

जीलवन प्रसाद द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।  
311 पाल गीज निवासी मिर्जापुर



नोट - प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा ही गई उपरोक्त जानकारी के अनुसार जारी किया गया है।  
अन्य जानकारी देने एवं प्रमाण पत्र का अनुचित उपयोग करने का उत्तरदायित्व  
आवेदक-प्रस्तुतकर्ता का होगा।

की प्र. सं. 27 9 01 मिर्जापुर प्रशासक

6

# प्रमाण पत्र 9320 दाशरथी

क्रमांक १४६६२

दिनांक ६-२-९९

मैं प्राप्त जानकारी एवं डा. हरिशचंद्र  
के द्वारा प्रमाणिकरण के आधार पर यह प्रमाणित करता हूँ कि  
श्री शुभेश पुत्र देवानाथ  
निवासी गडघाट ३१ कोठी ३५ पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति/  
जन जाति महार उपजाति  
के है, जो मध्यप्रदेश उज्जैन जिले में मान्य की गयी है।

प्रतिष्ठा  
Waver  
उप निहालेश्वर  
राज्य शासिक मजिस्ट्रेट

राजेश्वर  
राज्य शासिक मजिस्ट्रेट



# पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि जालेन्द्र .....  
 नाम ए. ए. खेड़ापति ..... कालिणी तहसील उन्नाव .....  
 जिला खानपुर के मूल निवासी है. इनकी जाति कुर्बत ..... है जो कि मध्यप्रदेश शासन  
 द्वारा वर्ष 1982 में घोषित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित है।

(सी. एस. चौधरी)

प्रमाण-पत्र देने वाले के हस्ताक्षर .....  
 पद नाम .....  
 पता .....  
 मुहर - .....  
 (म. प्र.)

श्री. वि. नंद  
 अध्यक्ष  
 समाज कल्याण

# पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जरेन्द्र शिवहरे वास्तव में बाबू लाल शिवहरे  
बाबू लाल का ब्याज लक्ष्मण शर्मा सहस्रीक अवालियर  
जिला ब्याजियर के पुत्र निवासी है। इसकी जाति ब्रह्मण है जो कि व. प्र. शासन  
द्वारा वर्ष 1982 में घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है।



प्रमाण-पत्र देने वाले के हस्ताक्षर  
पद नाम  
पता  
ग्राम

*(Signature)*  
**विपिन कुमार शर्मा**  
जिला ब्याजियर (अ.प्र.)  
जिला ब्याजियर (अ.प्र.)

23/08/20  
शिवहरे  
ब्राह्मण

29.

# जाति प्रमाण-पत्र


1920-2254/17-12/91-92 दिनांक 28/9/92

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामेश्वर कठिरवा

आरामज श्री टहसिलदार ग्राम रावैपुर तहसील बिला

म. प्र. के निवासी हैं इनकी जाति जो कासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जाति/विशेष वर्ग सामान्य वर्ग में सम्मिलित किये गये हैं।



प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम नायब टहसिलदार  
पता बिला  
पद मुद्रा

राज्यपालिका लक्ष्मी जिला मारकोट (मंसिर)

पं. ३-१३१/१२१ २४५-८६

जलविभाग पत्र

दिनांक १९-११-८५

आपणित जिला जाल्डे रिकि श्री अमोलदारा मन्डा  
यतेन काष्ठ रिकि (पानिका) लक्ष्मी जिला मारकोट मन्डा  
की जति पानिका रिकि मारकोट जिला मारकोट मन्डा  
अनुदापित जति रिकि मारकोट जिला मारकोट मन्डा  
के नदी गाते रिकि मारकोट जिला मारकोट मन्डा  
मे रिकि मारकोट जिला मारकोट मन्डा

जोशी जिला मारकोट

१९-११-८५  
मन्डा मारकोट

जिला मारकोट (१० १०)

पट्टाकार/संरचना की विशेषता के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी: श्री. राजेश कुमार पुत्र/पुत्री

जगत लाल कुशवार का स्थाई निवासी: उत्तरांचल

श्री/श्रीमती/कुमारी: \_\_\_\_\_ का पिता/पति हैं, और  
उसकी उपजाति: कुशवार उसका धर्म: हिन्दू है।

छात्र/छात्रा के पिता/पिता/माता की 31 मार्च 1937 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की समाप्त तिथि से छात्र द्वारा आय अथवा नो तो अभिभावक के द्वारा वार्षिक आय रुपये: \_\_\_\_\_ अक्षरों में: \_\_\_\_\_ है।

ता/माता/पति जीवित न होने पर अभिभावक की आमदनी स्थायी जायें।

दिनांक: 24-2-23

प्राधिकृत अधिकारी

